601
5-1-65

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[नवां सत्र
Ninth Session]

[खंड 34 में अंक 11 से 20 तक हैं]
Vol. XXXIV contains Nos. 11—20

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची

अंक 15—शुक्रवार, 25 सितम्बर, 1964/3 आश्विन, 1886 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
398	व्यापारिक घाटे	1499—1500
399	टाटा आयरन एंड स्टील कं० तथा इंडियन आयरन एंड स्टील कं० को दिये गये ऋण	1501—03
400	नेपा अखबारी कागज़	1503—04
401	वस्त्र नियंत्रग आदेश	1504—06
402	दिल्ली में यमुना पर रेलवे पुल	1506—07
403	रेलवे कर्मचारियों में भ्रष्टाचार	1507—10
404	रूई के मूल्य	1510—11
405	जापानी किस्म की सिगनल प्रणाली	1511
407	रूरकेला इस्पात संयंत्र	1511—12
410	कोयला उद्योग को वित्तीय सहायता	1512—14
412	रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों का सेवा काल बढ़ाना	1514—15
415	हथकरघे के वस्त्रों का निर्यात	1515—16
417	दिल्ली में सीमेंट की कमी	1517—19
418	इस्पात उद्योगों द्वारा ऋणों का लौटाया जाना	1520
419	कच्चे लोहे के लिये धमन भट्टियां	1520—21
420	संयुक्त अरब गणराज्य से व्यापार प्रतिनिधि मंडल	1521

अल्प सूचना

प्रश्न संख्या		
6	दिल्ली किशनगंज रेलवे स्टेशन पर खाद्यान्न के वैगनों से खाद्यान्न का उतारा जाना	1521—22

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या		
406	रेडियो तथा ध्वनि यंत्र	1422
408	पंजाब के होजरी निर्माता	1523

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

**Starred Questions Nos.*	*Subject*	PAGES
398	Trade Deficits	1499–1500
399	Loans to TISCO and IISCO	1501—03
400	Nepa Newsprint	1503–04
401	Textile Control Orders	1594—06
402	Railway Bridge over Jamuna in Delhi	1506-07
403	Corruption amongst Railway Employees	1507—10
404	Prices of Cotton	1510–11
405	Japanese Signalling System on Railways	1511
407	Rourkela Steel Plant	1511-12
410	Financial Assistance to Coal Industry	1512—14
412	Extension of service to Senior Officers of the Railway Board	1514-15
415	Export of Handloom Goods	1515–16
417	Shortage of Cement in Delhi	1517–19
418	Repayment of Loan by Steel Industries	1520
419	Blast Furnaces for Pig Iron	1520–21
420	U.A.R. Trade Delegation	1521

Short Notice Question No.		
6	Unloading of Foodgrains Wagons at Delhi Kishanganj Railway Station.	1521-22

Starred Questions Nos.		
406	Radio and Sound Equipments	1522
408	Hosiery Manufacturers in Punjab	1523

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
409	कृषि उपकरणों का निर्माण	1523–24
413	कांडला निर्बाध व्यापार जोन	1524
414	विद्युत् सिगनल उपकरण	1524
416	सूती कपड़े के मूल्य	1524–25
421	छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये परीक्षण समिति	1525
422	इलायची बोर्ड	1525
अतारांकित प्रश्न संख्या		
1238	रेलवे इंजन	1526
1239	रेलवे लाइन के पास की भूमि	1526
1240	पुराने डिब्बों का बदला जाना	1526
1241	रायगड़ा में सड़क ऊपरी पुल	1527
1242	कांच के सामान का निर्माण	1527
1243	रूस को जूतों का निर्यात	1527–28
1244	नयी रेलगाड़ियां	1528
1245	पूछताछ एवं रिजर्वेशन क्लर्क	1528
1246	गया से रांची तक रेलवे लाइन	1528–29
1247	ललितपुर में हाल्ट स्टेशन	1529
1248	तिरुचिरापल्लि के निकट हाई प्रैशर बायलर प्लांट	1529
1249	दिल्ली किशनगंज से शकूरबस्ती तक दोहरी लाइन	1529–30
1250	हावड़ा-फिरोजपुर एक्सप्रेस ट्रेन	1530
1251	दियासलाइयों का उत्पादन	1530
1252	सीमेंट के मूल्य	1530–31
1253	पूरे वैगन माल के लिये तीव्रगति वाली ट्रांजिट सेवा	1531
1254	साप्ताहिक चाय विशेष ट्रेन	1531–32
1255	रेल कर्मचारियों का राष्ट्रीय संघ	1532
1256	सूडान को ऋण	1532
1257	मद्रास तथा हैदराबाद के बीच एक्सप्रेस ट्रेन	1532–33
1258	पेटेंट कानून	1533
1259	दक्षिण अमरीका को व्यापार शिष्टमंडल	1533
1260	बार्सीलोना में अन्तर्राष्ट्रीय मेला	1533–34

Starred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
409	Manufacture of Agricultural Implements	1523-24
413	Kandla Free Trade Zone	1524
414	Electrical Signalling Equipment	1524
416	Prices of Cotton Textiles	1524-25
421	Screening Committees for Small Scale Industries	1525
422	Cardamom Board	1525
Unstarred Questions Nos.		
1238	Railway Locomotives	1526
1239	Lands Alongside Rail Tracks	1526
1240	Replacement of old coaches	1526
1241	Road over-bridge at Rayagada	1527
1242	Manufacture of glass materials	1527
1243	Export of Shoes to U.S.S.R.	1527-28
1244	New Trains	1528
1245	Enquiry-cum-Reservation Clerks	1528
1246	Railway Line from Gaya to Ranchi	1528-29
1247	Halt Station at Lalitpur	1529
1248	High Pressure Boiler Plant near Tiruchirapalli	1529
1249	Double Line from Delhi Kishanganj to Shakurbasti	1529-30
1250	Howrah-Ferozpur Express Train	1530
1251	Production of Matches	1530
1252	Price of Cement	1530-31
1253	Quick Transit Service for Goods in Wagons	1531
1254	Weekly Tea Special Train	1531-32
1255	National Federation of Railwaymen	1532
1256	Credit to Sudan	1532
1257	Express Train between Madras and Hyderabad	1532-33
1258	Patent Law	1533
1259	Trade Delegation to South America	1533
1260	International Fair at Barcelona	1533-34

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
409	कृषि उपकरणों का निर्माण	1523–24
413	कांडला निर्बाध व्यापार जोन	1524
414	विद्युत् सिगनल उपकरण	1524
416	सूती कपड़े के मूल्य	1524–25
421	छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये परीक्षण समिति	1525
422	इलायची बोर्ड	1525
अतारांकित प्रश्न संख्या		
1238	रेलवे इंजन	1526
1239	रेलवे लाइन के पास की भूमि	1526
1240	पुराने डिब्बों का बदला जाना	1526
1241	रायगड़ा में सड़क ऊपरी पुल	1527
1242	कांच के सामान का निर्माण	1527
1243	रूस को जूतों का निर्यात	1527–28
1244	नयी रेलगाड़ियां	1528
1245	पूछताछ एवं रिजर्वेशन क्लर्क	1528
1246	गया से रांची तक रेलवे लाइन	1528–29
1247	ललितपुर में हाल्ट स्टेशन	1529
1248	तिरुचिरापल्लि के निकट हाई प्रैशर बायलर प्लांट	1529
1249	दिल्ली किशनगंज से शकूरबस्ती तक दोहरी लाइन	1529–30
1250	हावड़ा-फिरोजपुर एक्सप्रेस ट्रेन	1530
1251	दियासलाइयों का उत्पादन	1530
1252	सीमेंट के मूल्य	1530–31
1253	पूरे वैगन माल के लिये तीव्रगति वाली ट्रांजिट सेवा	1531
1254	साप्ताहिक चाय विशेष ट्रेन	1531–32
1255	रेल कर्मचारियों का राष्ट्रीय संघ	1532
1256	सूडान को ऋण	1532
1257	मद्रास तथा हैदराबाद के बीच एक्सप्रेस ट्रेन	1532–33
1258	पेटेंट कानून	1533
1259	दक्षिण अमरीका को व्यापार शिष्टमंडल	1533
1260	बार्सीलोना में अन्तर्राष्ट्रीय मेला	1533–34

Starred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
409	Manufacture of Agricultural Implements	1523-24
413	Kandla Free Trade Zone	1524
414	Electrical Signalling Equipment	1524
416	Prices of Cotton Textiles	1524-25
421	Screening Committees for Small Scale Industries	1525
422	Cardamom Board	1525
Unstarred Questions Nos.		
1238	Railway Locomotives	1526
1239	Lands Alongside Rail Tracks	1526
1240	Replacement of old coaches	1526
1241	Road over-bridge at Rayagada	1527
1242	Manufacture of glass materials	1527
1243	Export of Shoes to U.S.S.R.	1527-28
1244	New Trains	1528
1245	Enquiry-cum-Reservation Clerks	1528
1246	Railway Line from Gaya to Ranchi	1528-29
1247	Halt Station at Lalitpur	1529
1248	High Pressure Boiler Plant near Tiruchirapalli	1529
1249	Double Line from Delhi Kishanganj to Shakurbasti	1529-30
1250	Howrah-Ferozpur Express Train	1530
1251	Production of Matches	1530
1252	Price of Cement	1530-31
1253	Quick Transit Service for Goods in Wagons	1531
1254	Weekly Tea Special Train	1531-32
1255	National Federation of Railwaymen	1532
1256	Credit to Sudan	1532
1257	Express Train between Madras and Hyderabad	1532-33
1258	Patent Law	1533
1259	Trade Delegation to South America	1533
1260	International Fair at Barcelona	1533-34

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1261	रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण	1534
1262	टाइपराइटरों का निर्माण	1534–35
1263	लंका से व्यापार	1535
1264	बीकानेर में वर्सटेड यार्न मिल	1535
1265	हरी तथा काली चाय	1535–36
1266	कांगड़ा में अखबारी कागज का कारखाना	1536
1267	जवानवाला से गुलेर तक रेलवे लाइन	1536–37
1268	कांगड़ा में ऊन कताई मिल	1537
1269	नेपाल के साथ व्यापार करार	1537
1270	किराये और रायल्टी की बट्टे खाते की रकम	1537–38
1271	शाहदरा-सहारनपुर रेलवे	1538
1272	अफ्रीका के साथ व्यापार	1538–39
1273	पाकिस्तान से मछली का आयात	1539
1274	दुर्ग-राजहेरा रेलवे लाइन	1539
1275	गुना और ग्वालियर के बीच रेलवे सम्पर्क	1540
1276	लौह अयस्क का खनन	1540
1277	पहाड़ी क्षेत्रों का भूतत्वीय सर्वेक्षण	1540–41
1278	उत्तर-सीमान्त रेलवे में भीड़भाड़	1541
1279	लोहे की कमी	1541
1280	निर्यात में कमी	1552
1281	उदयपुर में चीनी मिट्टी के निक्षेप	1542
1282	कथारा कोयला खान	1542–43
1283	देवगढ़ मदारिया स्टेशन के समीप रेल-मोटरगाड़ी टक्कर	1543
1284	सम्बलपुर-टिटलागढ़ रेलवे लाइन	1543–44
1285	साइकिलों और ट्रैक्टरों का निर्माण	1544
1286	उत्तर रेलवे के चुराये गये डेन्मो	1544
1287	पूर्वोत्तर रेलवे पर रेलगाड़ी और बैलगाड़ी की टक्कर	1544–45
1288	सरकारी उपकरण	1545
1289	ओटा गांव में पुराने अस्थि पंजर का पता लगना	1545–46
1290	पार्सल क्लर्क	1546

Unstarred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
1261	Electrification on Railway Lines	1534
1262	Manufacture of Typewriters	1534-35
1263	Trade with Ceylon	1535
1264	Worsted Yarn Mill in Bikaner	1535
1265	Green and Black Tea.	1535-36
1266	Newsprint Factory in Kangra	1536
1267	Railway Line from Jawanwala to Guler . . .	1536-37
1268	Wool Spinning Mill in Kangra	1537
1269	Trade Agreement with Nepal	1537
1270	Dead Rents and Royalties	1537-38
1271	Shahdara-Saharanpur Railways	1538
1272	Trade with Africa	1538-39
1273	Import of Fish from Pakistan	1539
1274	Durg-Rajehra Railway Line	1539
1275	Rail Connections between Guna and Gwalior . .	1540
1276	Iron Ore Mining	1540
1277	Geological Survey of Hilly areas.	1540-41
1278	Over-crowding on N.F. Railway	1541
1279	Shortage of Steel	1541
1280	Fall in exports	1542
1281	China Clay Deposits in Udaipur	1542
1282	Kathara Colliery	1542-43
1283	Train-Motor van collision near Deogarh Madaria Station	1543
1284	Sambalpur-Titlagarh Railway Line . . .	1543-44
1285	Manufacture of Bicycles and Tractors	1544
1286	Stolen dynamos of Northern Railway	1544
1287	Train-Bullock-cart collision on N.E. Railway . .	1544-45
1288	Public Undertakings	1545
1289	Discovery of Old Skeleton at Autha Village . . .	1545-46
1290	Parcel Clerks]	1546

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1291	दिल्ली स्टेशन से पार्सलों का भेजा जाना	1546–47
1292	कलकत्ता के गिर्द गोल रेलवे	1547
1293	रबड़ के कारखाने	1547
1294	पटसन के क्रयकेन्द्र	1547
1295	सवारी गाड़ी के डिब्बे	1548
1296	दक्षिण पूर्व रेलवे पर स्टेशनों का ढांचा बदलना	1548
1297	पठानकोट में पारगमन माल रोड	1548–49
1298	समुद्री तार का निर्माण	1549
1299	त्रिपुरा में चाय बागान	1549–50
1300	बाढ़ से रेलवे लाइन को क्षति	1550
1301	लघु उद्योग	1551
1302	दो डिब्बों वाली डीजल रेल कार	1551
1303	बर्मा और पाकिस्तान को कोयले का निर्यात	1551–52
1304	झरिया और रानीगंज में हवाई रज्जुपथ	1552
1305	कोयले का वार्षिक उत्पादन	1552–53
1306	रेलवे पास	1553–54
1307	रेलवे द्वारा कोकिंग कोयले का उपयोग	1554–55
1308	रेलवे कर्मचारियों में वर्णान्धता	1555
1309	खनन कार्य से खेती की जमीन को नुक्सान	1555–56
1310	गोटीटोरिया, नरसिंगपुर में कोयला खानें	1556
1311	इटारसी स्टेशन पर ऊपरी पुल	1556
1312	भोजन वितरण विभागों के कर्मचारी	1556–57
1313	कांडला अबाध व्यापार क्षेत्र	1557
1314	हैदराबाद और दिल्ली के बीच रेल सेवा	1557
1315	नेवेली लिग्नाइट निगम	1557–58
1316	सिंगरेनी कोयला खानें	1558
1317	लौह अयस्क सूक्षमक का उपयोग	1558
1318	टोकियो में अन्तर्राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन	1558–59
1319	टसर अनुसन्धान और बीज केन्द्र	1559
1320	रेलवे लाइनों का संरक्षण	1559–60

Unstarred Questions Nos.	*Subject*	PAGE
1291	Despatch of Parcels from Delhi Station	1546-47
1292	Circular Railway around Calcutta	1547
1293	Rubber Factories	1547
1294	Buying Centres for Jute	1547
1295	Passenger Coaches	1548
1296	Remodelling of Stations on South Eastern Railway	1548
1297	Transit Goods Shed at Pathankot	1548-49
1298	Manufacture of Cables	1549
1299	Tea Gardens in Tripura	1549-50
1300	Damage to Railways by Floods	1550
1301	Small Scale Industries	1551
1302	Two Coach Diesel Rail Car	1551
1303	Coal export to Burma and Pakistan	1551-52
1304	Aerial Ropeways in Jharia and Raniganj	1552
1305	Annual Coal Production	1552-53
1306	Railway Passes	1553-54
1307	Coking Coal used by Railway	1554-55
1308	Colour Blindness among railway workers	1555
1309	Damage to agricultural land through Mining.	1555-56
1310	Coal Mines in Gotitoria, Narsinghpur	1556
1311	Over-bridge near Itarsi Station	1556
1312	Employees in Catering Departments	1556-57
1313	Kandla Free Trade Zone	1557
1314	Train Service between Hyderabad and Delhi	1557
1315	Neyveli Lignite Corporation	1557-58
1316	Singareni Collieries	1558
1317	Utilisation of Iron Ore Fines	1558
1318	International Coal Conference at Tokyo	1558-59
1319	Tassar Research and Seed Station	1559
1320	Protection of Railway Lines	1559-60

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1322	तिरुनेलवेली-कन्याकुमारी त्रिवेन्द्रम रेलवे ल... . .	1560
1323	आयात प्राथमिकता	1560
1324	टंकारा और मोरवी के बीच रेलवे लाइन .	1560–61
1325	उत्तर रेलवे के कर्मचारियों को छुट्टी . .	1561

सभा पटल पर रखे गए पत्र . 1561–62

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (केरल), 1964–65 . . . 1563

आनन्द भवन के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 149 के अनुपूरक उत्तर में शुद्धि

श्री लाल बहादुर शास्त्री . . . 1563

सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 376 के अनुपूरक उत्तरों में शुद्धि—

श्री ति० त० कृष्णमाचारी 1563–64

सभा का कार्य . . . . 1564—67

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव 1567—77

श्री स्वर्ण सिंह . . . . 1567—74

श्री रंगा . . . 1574–75

श्री के० दे० मालवीय 1576–77

श्री हेडा 1577

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

अड़तालीसवां प्रतिवेदन 1577–78

विधेयक पुरःस्थापित—

(1) फिल्म उद्योग कर्मचारी विधेयक [श्रीमती मैमूना सुल्तान का] . 1578–79

(2) संविधान (संशोधन) विधेयक (नए अनुच्छेद 368–क का रखा जाना)—[श्री हरि विष्णु कामत का] . . . 1579

(3) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (धारा 144 का संशोधन) [श्री हरि विष्णु कामत का] 1579

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 370 का हटाया जाना) —[श्री प्रकाशवीर शास्त्री का]— . . . 1580

विचार करने का प्रस्ताव (वाद-विवाद स्थगित)—

श्री हरि विष्णु कामत 1580

संसद्-सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक—[श्री रघुनाथ सिंह का] 1581—85

1322 Tirunelveli-Kanyakumari-Trivandrum Railway Line . 1560

1323 Import Priority 1560

1324 Railway Line between Tankara and Morvi 1560-61

1325 Leave for Staff of Northern Railway . . 1561

Papers laid on the Table

Demands for Supplementary Grants (Kerala), 1964-65.

Correction of Anwer to Supplementary to Starred Quetion No. 149 re: Anaid Bhawan.

Shri Lal Bahadur Shastri

Correction of Answer to Supplementaries to Starred Question No. 376 *re* : Public Sector Projects

Shri T. T. Krishnamachari . . 1563-64

Business of the House 1564--67

Motion *re* : International situation . . 1567--77

Shri Swaran Singh 1564--74

Shri Ranga 1574-75

Shri K. D. Malaviya . . 1575--77

Shri Heda 1577

Committee on Private Member's Bills and Resolutions

Forty-eighth Report—adopted 1577-78

Bills introduced

1. Film Industry Workers Bill by Shrimati Maimoona Sultan . 1578-79

2. Constitution (Amendment) Bill (*Insertion of new article* 368*A*) by Shri Hari Vishnu Kamath 1579

3. Representation of the People (Amendment) Bill (*Amendment of section* 144) by Shri Hari Vishnu Kamath . . . 1579

Constitution (Amendment) Bill (*Omission of article* 370) by Shri Prakash Vir Shastri . . . . . .

Motion to consider (debate adjourned)

Shri Hari Vishnu Kamath 1580

Salaries and Allowances of Members of Parliament (Amendment) Bill by Shri Raghunath Singh 1581--85

राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार 1581

श्री दाजी 1581

श्री हरि विष्णु कामत 1582

श्री स० मो० बनर्जी 1582

श्री हनुमन्तैया 1582

श्री हुकम चन्द कछवाय 1582

श्री श० ना० चतुर्वेदी 1582–83

श्रीमती सुभद्रा जोशी 1583

श्री रघुनाथ सिंह 1583

राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर सहमति प्रस्ताव 1584

श्री रघुनाथ सिंह . 1584

श्री ही० ना० मुकर्जी . . 1585

आयकर (संशोधन) विधेयक (धारा 2 का संशोधन)—[श्री च० का०

भट्टाचार्य का] वापिस लिया गया . . . . **1585—90**

विचार करने का प्रस्ताव **1585**

श्री च० का० भट्टाचार्य **1587–88**

श्री ब० रा० भगत . . . . 1588—90

बैंक दर बढ़ाये जाने, ऋण नियन्त्रण आदि में रूपभेद के बारे में वक्तव्य

श्री ति० त० कृष्णमाचारी 1590–91

दिल्ली आंख की पुतली लगाना विधेयक—[श्री नवल प्रभाकर का] . 1591–92

विचार करने का प्रस्ताव 1591

श्री नवल प्रभाकर . . 1591–92

श्री यशपाल सिंह . 1592

श्री शिव नारायण 1592

Consideration of Rajya Sabha Amendments . 1581
Shri Daji 1581
Shri Hari Vishnu Kamath . . 1582
Shri S. M. Banerjee . 1582
Shri Hanumanthaiya 1582
Shri Hukam Chand Kachhavaiya . 1582
Shri S. N. Chaturvedi . 1582-83
Shrimati Subhadra Joshi . . . 1583
Shri Raghunath Singh 1583
Motion to agree to Rajya Sabha Amendments 1584
Shri Raghunath Singh. 1584
Shri H. N. Mukerjee 1585
Income Tax (Amendment) Bill—withdrawn
(*Amendment of section* 2) by Shri C. K. Bhattacharyya . 1585--90
Motion to consider 1585
Shri C. K. Bhattacharyya . 1587-88
Shri B. R. Bhagat 1588--90
Statement *re* : Enhancement of Bank rate modification of credit control etc.
Shri T. T. Krishnamachari . . 1590-91
Delhi Corneal Grafting Bill by Shri Naval Prabhakar . 1591-92
Motion to consider 1591
Shri Naval Prabhakar 1591-92
Shri Yashpal Singh 1592
Shri Sheo Narain 1592

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रजी / हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

1384(ai)LSD—1.

लोक-सभा

LOK SABHA

शुक्रवार,२५ सितम्बर, १९६४/३ आश्विन, १८८६ शक

Friday, September 25, 1964/Asviva 3, 1886 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

व्यापारिक घाटे

*398. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य तथा कृषि संगठन ने व्यापारिक घाटों के बारे में हाल में जो अध्ययन किया था उसके निष्कर्षों की सरकार को जानकारी है;

(ख) अध्ययन से क्या मुख्य निष्कर्ष निकले हैं और वे निष्कर्ष भारत के व्यापारिक घाटे पर कहां तक लागू होते हैं; और

(ग) क्या सरकार ने अध्ययन प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर विचार किया है और क्या उन सिफारिशों में से किन्हीं सिफारिशों को क्रियान्वित करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). "संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास दशक में खेती की वतुस्रों का व्यापार" के सम्बन्ध में खाद्य तथा कृषि संगठन के अध्ययन के सारांश का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3240/64**]

चूंकि इनमें से अनेक अध्ययन अभी केवल प्रारंभिक दशा में हैं और अन्तिम निष्कर्ष तैयार नहीं हुए हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार तथा विकास बोर्ड को इन अध्ययनों के विषय में अभी अपना कार्य आरम्भ करना है, इसलिए उनके प्रभाव को समझना हमारे लिये सम्भव नहीं होगा ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार के अनुमान के अनुसार इन अध्ययनों से किसी ढांचे का संकेत मिलता है और यदि हां, तो क्या अपने व्यापारिक घाटों के सम्बन्ध में इन ढांचों से हमारे लिए चिन्ता उत्पन्न हो सकती है ?

श्री मनुभाई शाह : जैसाकि विवरण से मालूम हो सकता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन हैं और मोटे तौर पर यह निष्कर्ष निकलता है कि कम विकसित देशों को घाटा हो रहा है क्योंकि बुनियादी चीजों की कीमतें तैयार चीजों की कीमतों के मुकाबले में बराबर गिरती जा रही है और कुछ एक चीजों की कीमतों में जो वृद्धि हुई है वह बहुत ही थोड़ी थी। इसलिए गेहूं करार, चावल करार और कॉफी करार जैसे वस्तु करार किये जाने की सिफारिश की गयी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन में हमने यह मंजूर करा लिया है कि प्राथमिक वस्तुओं के सम्बन्ध में एक वस्तु आयोग होना चाहिये।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या यह समझना ठीक होगा कि वर्तमान ढांचे में आज आर्थिक उपनिवेशवाद के कारण ही इस देश में तैयार किये गये कच्चे माल के सम्बन्ध में कठिनाई हो रही है और यदि हां, तो ये आयोग शीघ्र स्थापित किये जायें इसके लिये क्या किया जा रहा है ?

श्री मनुभाई शाह : पहला कदम यह है कि इन वस्तुओं पर तटकर समाप्त कर दिया जायेगा, दूसरा मूल्य सहायता देने और तीसरा, अन्तर्राष्ट्रीय क्षतिपूर्ति मुद्राप्रणाली कायम करने का होगा ताकि यदि मूल्य गिर जाने के कारण किसी देश में भुगतान अन्तर कम हो जाता है तो यह निधि उस सम्बद्ध देश को क्षतिपूर्ति देगी।

Shri M. L. Dwivedi : It has been said in the statement that a Committee had been appointed to supervise this entire scheme I would like to know when this Committee was appointed, how long did it work and when the consideration by Government over it would be completed ?

Shri Manubhai Shah : The Committee has not been appointed so far. I have not referred to any committee.

Shri M. L. Dwivedi : In the statement laid on the Table, it has been said.

"केन्द्रीय सरकार और पँजाब सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारियों की एक समिति"

श्री मनुभाई शाह : हम अब प्रश्न संख्या 398 पर हैं।

श्रीमती सावित्री निगम : विभिन्न वस्तुओं के सम्बन्ध में मदद देने के लिए जो मुद्राकोष बनाया जा रहा है उसकी राशि कितनी होगी ?

श्री मनुभाई शाह : कोष का परिमाण अभी तक नहीं मालूम हुआ है लेकिन वह तीन किस्मों वाला कोष होगा। एक में, मूल्य के उतार चढ़ाव में उतनी मूल्य-सहायता तक मदद दी जायेगी जितनी कि कम पड़ती है, दूसरा, भुगतान अन्तर की कमी पूरी करने के लिए वह एक अस्थायी मार्गोपाय होगा और तीसरा, मूल्य अधिकतम सीमा से अधिक होने पर वृद्धि खत्म की जा सकती है और एक अलग खाते में जमा की जा सकती है।

टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी तथा इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को दिये गये ऋण

*399. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रा० गि० दुबे :
श्री प्र० क० देव :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री 29 मई, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 47 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि टाटा आयरन एण्ड स्टील कं० तथा इंडियन आयरन एण्ड स्टील कं० को दिये गये ऋण को वसूल करने के लिये अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : विचार विमर्श के फल स्वरूप कुछ प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं । इनके बारे में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

श्री स० मो० बनर्जी : पिछले प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया कि यह बातचीत संतोषजनक रूप से चल रही है और आशा है कि भुगतान के तरीके के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय शीघ्र ही हो जायेगा । मैं जानना चाहता हूं कि यह अन्तिम निर्णय संभवतः कब तक हो जायगा और क्या इस निर्णय में देर उनके हठ के कारण हो रही है ?

श्री संजीव रेड्डी : देर कुछ नयी समस्याओं के कारण हो रही है जो इस्पात पर आंशिक रूप से नियंत्रण हटा लेने के कारण पैदा हुई । इस स्थिति को देखते हुए प्रतिधारण मूल्य पुनः निर्धारित करना होगा । इसी कठिनाई के कारण देर हुई है । अब इसे हम तटकर आयोग को सौपेंगे और इस्पात पर आंशिक विनियंत्रण और नियंत्रण की दशा में हम यह मालूम करेंगे कि क्या करना चाहिये और प्रतिधारण मूल्य क्या हों और विशेष तत्व क्या हो । इन बातों को अब स्पष्ट करना होगा ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं जानना चाहता हूं कि टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी तथा इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी से ब्याज सहित कुल कितनी रकम बकाया है और किस तारीख से बकाया है ?

श्री संजीव रेड्डी : टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के लिए 10 करोड़ रुपया और इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के लिए 10,18,26,476 रुपया ।

श्री स० मो० बनर्जी : ब्याज ?

श्री संजीव रेड्डी : सिफारिश के अनुसार 1958 से 5 प्रतिशत ब्याज दिया जायगा ।

Shri Yashpal Singh : Does the government propose to convert this loan into share capital ?

श्री संजीव रड्डी : इस पर शायद विचार करना होगा लेकिन सभी पहलुओं पर गौर किया जायेगा ।

श्री हेडा : ऋण की वापसी का सवाल हमेशा नियंत्रण, विनियंत्रण अथवा आंशिक नियंत्रण की नीति के साथ क्यों जुड़ा हुआ होता है जबकि करार के किसी भी खंड में इस प्रकार की कोई बात नहीं है ?

श्री संजीव रेड्डी : करार में खंडों के कारण ही हमें कुछ प्रक्रियाओं को अपनाना होता है। जब उन्हें धनराशि दी गयी थी तब यह मंजूर किया गया था कि उन्हें विशेष रियायत दी जायेगी और अग्रिम तथा ब्याज की वापसी इसी विशेष रियायत में से की जायेगी।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : सरकार को ऋण पर सिर्फ 5 प्रतिशत ब्याज मिलेगा इस खंड के रूप में इन फर्मों की मदद करने का प्रस्ताव सरकार ने किन कारणों से निश्चित किया जबकि ये फर्में 40 से 50 प्रतिशत मुनाफा कमाती हैं ?

श्री संजीव रेंड्डी : मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। मैं नहीं जानता।

श्री रामनायन् चेट्टियार : जबकि इन दो संस्थाओं को 1948 से दिये गये ऋण ब्याज मुक्त थे और ब्याज निर्धारित करने के बारे में सरकार और इन कम्पनियों के बीच एक समझौता हो चुका था और चूंकि ऋण की वापसी के बारे में सरकार और इन कम्पनियों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है तो समझौता करने के बाबत क्या कठिनाइयां हैं ?

श्री संजीव रेड्डी : किसी भी समय यह नहीं समझा गया था कि ये ब्याजमुक्त ऋण है। लकिन प्रश्न यह था कि कितना और कब से ब्याज दिया जाय और अब प्रशुल्क आयोग ने कहा है कि 1958 के बाद 5 प्रतिशत ब्याज दिया जाय। वापसी के बारे में, जैसाकि मैंने बताया, इस्पात के आंशिक नियंत्रण और विनियंत्रण को देखते हुए कुछ पेचीदगियां हैं। हमें इन बातों की छानबीन करनी होगी।

श्री द्वा० ना० तिवारी : जिस समय ऋण दिया गया था उस समय ऋण की पहली किस्त कब चुकायी जानी थी और सरकार ने किन कारणों से वह अवधि समाप्त कर दी ?

श्री संजीव रेड्डी : उस समय कोई समय-सीमा निश्चित नहीं की गयी थी।

डा० मा० श्री० अणे : क्या इन बातचीतों के दौरान सरकार ने उन्हें हठीला पाया है ?

श्री संजीव रेड्डी : जी नहीं।

Shri Gulshan : Will the hon. Minister be pleased to state whether there are any companies other than these two steel companies which owe such loans ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri P.C. Sethi) : This question does not relate to other companies. It is only pertaining to loans to TISCO and IISCO.

श्रीमती विमला देवी : क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि ये ऋण पूरी तौर से वसूल किये जायेंगे, या वह टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी तथा इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को कोई छूट देने का विचार कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल में साधारणतया आश्वासन नहीं दिये जाते।

श्रीमती विमला देवी : मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या सरकार ने पूरी रकम वसूल करने का अन्तिम निश्चय कर लिया है ?

श्री संजीव रेड्डी : उन्हें रियायत देने की कोई बात दिखाने वाला कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री अ० प्र० जैन : करार में हमेशा एक खंड यह होता है कि पहली किस्त कब देय होती है। म यह जानना चाहता हूं कि पहली किस्त कब देय हुई और वर्तमान करार के अनुसार आज कितनी बाकी है।

श्री संजीव रेड्डी : कोई निश्चित तारीख नहीं है। लेकिन वापसी के तरीके के बारे में कुछ शर्तें थीं।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या इन ऋणों पर ब्याज नियमित रूप से चुक्ता किया जाता रहा और ऋण की वापसी के सम्बन्ध में क्या कठिनाई है ?

श्री संजीव रेड्डी : वापसी का तरीका निर्धारित किये जाने के बाद प्रतिधारण मूल्य और विशेष रियायत निश्चित करना है। यही एकमात्र कठिनाई है।

नेपा अखबारी कागज

+

*400. { **श्री यशपाल सिंह :**
श्री बागड़ी :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भाषा समाचार पत्र संस्था ने यह अनुरोध किया है कि नेपा अखबारी कागज के प्रयोक्ताओं की शिकायतों की जांच करने के लिये एक त्रिपक्षीय सम्मेलन किया जाय; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग तथा सम्भरण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) मामले की जांच की जा रही है।

Shri Yashpal Singh : I would like to know what are their complaints and to what extent these complaints could be removed ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : ये शिकायतें अखबारी कागज रवाना करने के बाबत थीं कि वह उनके पास समय पर नहीं पहुंच पाता और वे मूल्य तथा किस्म के सम्बन्ध में थीं। इसलिए उन्होंने त्रिदलीय सम्मेलन का सुझाव दिया है।

Shri Yashpal Singh: How much quota of newsprint is being given to Small newspapers and how much to big newspapers ? When the proportionately wide gap between the two could be removed ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : छोटे और बड़े अखबारों को कितना कोटा दिया जाता है इससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है।

Shri Prakash Vir Shastri : Is it a fact that after some time Nepa newsprint factory would face lot of difficulties in procuring raw material and if so, what arrangements are being made in regard to it ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : जी नहीं, क्योंकि क्षमता वास्तव में सालाना 30,000 टन से 75,000 टन बढ़ायी जा रही है।

श्री अ० सिं० सहगल : क्या यह सच है कि भाषाई समाचारपत्र संघ की शिकायत बहुत पुरानी है और सरकार को उसे दूर करने में कितना समय लगेगा ?

श्री विभुवेन्द्र मिश्र : भाषाई समाचारपत्रों की शिकायत की यहां कोई बात नहीं है ।

Shri M. L. Dwivedi : Is it not a fact that Nepa newsparint is not of the same quality as the foreign paper of superior grade ? If so, what are the reasons therefor and has government taken any steps to remove the complaints of consumers regarding the improvement of quality of newsprint and if not whether those steps would be taken ?

श्री विभुवेन्द्र मिश्र : किस्म तो अवश्य ही घटिया होगी क्योंकि विदेशी कागज मलायम लकड़ी से बनाया जाता है जो भारत में नहीं मिलती ।

Shri Y. S. Chaudhary : In view of the scarcity of newsprint, does government propose to start one more unit in Nepa factory so as to remove the scarcity within the next year ?

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही के लिए सुझाव है ।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार नेपा अखबारी कागज तैयार करने में इस्तेमाल किये जाने वाले सलाई लकड़ी के गूदे में पीली धारी को साफ करने के लिए कोई प्रक्रिया ढूंढने के लिए कोई कदम उठा रही है या उस बारे में विचार कर रही है ?

उद्योग तथा संभरण मन्त्रालय में भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : यह एक तकनीकी प्रश्न है जिसमें तकनीकी बातें हैं। सलाई लकड़ी के गूदे का पूरी तरह रंग उड़ाना कठिन है ।

श्री कपूर सिंह : क्या कोई वैज्ञानिक ढंग ढूंढ निकालने का प्रयत्न किया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत विस्तृत प्रश्न है ।

वस्त्र नियन्त्रण आदेश

\+

†401. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री न० प्र० यादव :
श्री यशपाल सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री कपूर सिंह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से राज्यों ने वस्त्र नियंत्रण आदेश कठोरता पूर्वक लागू नहीं किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन आदेशों का उचित रूप से पालन कराने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) से (ग) माननीय सदस्यों का संकेत संभवतः सूती कपड़े सम्बन्धी एच्छिक मूल्य नियंत्रण योजना की ओर है। चूंकि इस योजना

से पूरा सन्तोष नहीं हो रहा था अतः सामूहिक उपभोग की लोकप्रिय किस्मों के कपड़े पर कानूनी उत्पादन तथा मूल्य नियंत्रण लागू करने का प्रस्ताव है ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या मंत्री महोदय जानते हैं कि मोटे कपड़े में भी काफी मुनाफाखोरी हो रही है और कपड़े पर जो कीमत छपी रहती है उससे कहीं ज्यादा कीमत ली जाती है ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : मैं समझता हूं कि मोटे कपड़े में काफी मुनाफाखोरी नहीं हो रही है ।

श्रीमती सावित्री निगम : नयी व्यवस्था करने में कितना समय लगेगा और नियंत्रण लागू करने की नयी व्यवस्था का क्या ब्यौरा है ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : जितना जल्दी हो सकेगा, लेकिन इस समय ब्यौरा नहीं बताया जा सकता ।

श्रीमती सावित्री निगम : मैं उसकी मुख्य मुख्य बातें जानना चाहती हूं ।

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : मैं सोमवार को प्रचलित किस्मों पर नियंत्रण—उत्पादन तथा मूल्य नियंत्रण—सम्बन्धी आदेश के बारे में एक वक्तव्य दूंगा ।

Shri Yashpal Singh : Can government state which of the States have implemented it and which of the States have not implemented it so far ?

Have you got any figures to show the number of millowners against whom action has been taken ?

Shri Manubhai Shah : I had stated last time that ten millowners had violated voluntary price control which was not statutory. Immediate investigations were made and they again resorted to voluntary price control.

Shri Yashpal Singh : What is the number of millowners against whom action has been taken ?

Shri Manubhai Shah : That is what I have stated. Voluntary price control was not statutary. Therefore, the action that we could take was to advise them to adopt the old system and they resorted to it.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Is it not a fact that prices of lighter cloth have also shooted up on account of tax worth 118 crores of rupees imposed on cloth by Central Government ?

Shri Manubhai Shah : The excise duty has been passed by Parliliament That had to be imposed.

Mr. Speaker : It was essential.

श्री पें० वेंकटासुब्बया : एच्छिक मूल्य नियंत्रण के बहाने से, कपड़े की किस्मों को देखते हुए कहीं अधिक ऊंचा मूल्य छापकर अनेक कुप्रथायें जारी हैं । यदि एसा हो, तो क्या उस नये नियंत्रण आदेश में जो जारी किया जा रहा है, इन सभी बातों का ध्यान रखा जायगा ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : नया नियंत्रण आदेश केवल प्रचलित किस्मों के लिए ही लागू होगा और उन पर नियंत्रण इस प्रकार लागू किया जायगा कि कुप्रथाएं कम हो जायें और उन पर काबू पाया जाये ।

श्री कपूर सिंह : मूल्य नियंत्रण के अलावा क्या सरकार जनता का सस्ता और टिकाऊ कपड़ा तैयार करने की सुविधा देने के लिए कोई कदम उठा रही है ?

श्री मनुभाई शाह : वह सारी जनता का कपड़ा होगा ।

Shri Rameshwaranand : Have the prices of cloth shooted up on account of its export ? Will the Government endeavour to impose restrictions on the export of cloth in view of the internal requirements of the country ?

Shri Manubhai Shah : Hon. members are aware that there is no shortage in our country. Only the surplus cloth is exported. Our exports have increased, internal consumption has also increased and the production has also gone up.

RAILWAY BRIDGE OVER JAMUNA IN DELHI

*402. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Yashpal Singh :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the condition of the Railway Bridge in Delhi over Jamuna has sufficiently deteriorated ;

(b) whether it is also a fact that at the time of passing of heavy vehicles and other transport it begins to shake ; and

(c) if so, the action taken in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath): (a) No, Sir. No. deterioration has been noticed either in the substructure or girders.

(b) Small Vibrations in a girder bridge under moving loads are a normal feature.

(c) In view of the replies from (a) and (b) above, no action is required to be taken in the matter.

Shri Prakash Vir Shastri : whethe ıthe life of such bridges is fixed before they are constructed and if so, the period that had been fixed for this particular bridge?

Shri Sham Nath : This bridge was constructed in 1867. Later on some additions were made. It is not perfactly in working order and its foundations are quite strong. The vibrations that are noticed is a natural phenomena.

The life of each bridge is not specifically fixed.

Shri Prakash Vir Shahtri : So far as my information goes the life of the bridge was fixed. Secondly, I want to ascertain whether Government have made any alternative arrangement on which the residents of Delhi, the Capital

of the country, can bank upon in case the one and the only railway bridge cannot be used due to some reasons which we cannot visualize at present.

Shri Sham Nath : Another bridge about a mile farther from the present one is under construction. Moreover as I have already stated this bridge is being maintained and every endeavour is being made to keep it in perfect condition.

Shri Yashpal Singh : whether this factor is taken into account that the road traffic has immensely increased now.

Shri Sham Nath : Every thing is kept in view.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : whether government are aware of the fact that the bullock carts have to wait for 8 to 10 hours to cross the bridge which cause loss of time and money besides which the rural folk have to forego even their meals.

Shri Sham Nath : It has got nothing to do with Railways. The traffic is regulated by Police.

Shri Shiv Charan Gupta : May I know the time by which this bridge would be completed.

Shri Sham Nath : Most probably by the end of 1965.

रेलवे कर्मचारियों में भ्रष्टाचार

403. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय रेलवे प्रशासन ने संथानम समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को दृष्टि में रखते हुए रेलवे कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : भ्रष्टाचार रोक समिति (सन्थानम समिति) द्वारा रेलवे के बारे में की गई कुछ सिफारिशों पर सरकार ने विचार किया था। स्वीकृत की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

प्रक्रिया आदि को अधिक कार्यकुशल बनाने के अतिरिक्त रेलवे प्रशासन और केन्द्रीय जांच कार्यालय में सम्पर्क सुधार करने के उद्देश्य से एक कार्यवाही यह भी की गई है कि सतर्कता विभाग को और मजबूत बना दिया गया है ।

मुख्य सतर्कता पदाधिकारी का दर्जा ऊंचा करके उसे रेलवे बोर्ड का अतिरिक्त सदस्य बना दिया गया है। उनकी सहायता के लिये दो संयुक्त निदेशक दिये जा रहेहैं। रेलवे के प्रत्येक विभाग में भ्रष्टाचार की समस्या की ओर ध्यान देने के लिये निम्न स्तर पर भी संगठन को अधिक मज़बूत बनाया जा रहा है

क्षेत्रीय रेलवे विभागों में भी सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजरों को सतर्कता , शिकायतों और लोक सम्पर्क का ही प्रभार सौंपा गया है और उनके अधीन के शेष विभाग उनसे ले लिये गये हैं,

ताकि वे सतर्कता कार्य की ओर अपना अधिक ध्यान दे सकें। क्षेत्रीय रेलों की सतर्कता शाखाओं में संगठन को मज़बूत बनाने सम्बन्धी कार्यवाही पर विचार किया जा रहा है।

आशा है कि उपरोक्त कार्यवाही करने से सतर्कता संगठन अधिक कार्यकुशल हो जायेगा जिससे रेलवे में भ्रष्टाचार को दूर करने में सहायता मिलेगी।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या सरकार को विदित है कि रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग में ठेके की प्रणाली ही भ्रष्टाचार की जड़ है और यदि हां, तो क्या इसे समाप्त करने अथवा इसकी त्रुटियों को दूर करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

डा० राम सुभग सिंह : यह बात ठीक है इसीलिये इस प्रणाली में बहुत से सुधार करने की कोशिश की जा रही है।

श्री प्र० चं० बरुआ : जिन रेलवे कर्मचारियों का जनता के साथ सीधा ताल्लुक पड़ता है वे जनता से घूस लेते रहते हैं इसे रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

डा० राम सुभग सिंह : यह तो सम्भव नहीं है कि रेल कर्मचारियों और जनता के सम्पर्क को समाप्त कर दिया जाये। परन्तु जो भी सम्भव है इस मामले में किया जायेगा।

Shri Vishram Prasad : Railway employees pay Rs. 2 to the doctor and obtain medical certificate and report sick. What action is being taken by Government to eradicate such corruption.

Dr. Gam Subhag Singh: Hon. Member should report such cases to us.

श्रीमती विमला देवी : जब रेल द्वारा कोई खाद्य पदार्थ भेजा जाता है तो रेल कर्मचारी फल आदि पार्सल में से निकाल लेते हैं और उसमें ईंट पत्थर भर देते हैं। इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

डा० राम सुभग सिंह : इस प्रकार की बेकायदिगियां हमारे ध्यान में आई हैं और स्थिति को सुधारने की कोशिश की जा रही है। यदि माननीय सदस्या कोई विशेष मामला बतलायें तो उसकी जांच की जा सकती है।

श्रीमती विमला देवी : ऐसे लाखों मामले हैं।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या डायरेक्टरों और सतर्कता पदाधिकारियों के पद ऊंचे करने के अतिरिक्त कोई और भी कार्यवाही की गई है जिससे ठेकेदारों के ज़रिये जो काम कराया जाता है वह घटिया है या बढ़िया इसका पता लगाने के लिये स्वतन्त्र तकनीकी परामर्श प्राप्त किया जा सके।

डा० राम सुभग सिंह : वह अलग प्रश्न है।

श्री कृ० चं० पन्त : गत दो वर्ष में कितने रेल कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार करने के कारण कार्यवाही की गई ?

डा० राम सुभग सिंह : इसके लिये अलग सूचना चाहिये।

श्री रंगा : भ्रष्टाचार का अन्त करने के लिये आचार्य कृपलानी के सभापतित्व में एक विशेष समिति नियुक्त की गई । इसके इलावा सन्थानम समिति की सिफारिशें भी मौजूद थीं बावजूद इन सब बातों के क्या कारण है कि बहुत से सरकारी उपक्रमों , सहकारी संस्थाओं, शिक्षा संस्थाओं और अन्य सार्वजनिक संस्थाओं को वैगनों द्वारा अपना सामान एक से दूसरे स्थान पर भेजने में दिक्कत होती है क्योंकिप्वे रेलकर्मचारियों को 'बख्शीश' या 'मामूल' नहीं देते ? क्या सार्वजनिक संस्थाओं को भेजे जाने वाले सामान के सम्बन्ध में कोई विशेष कार्यवाही की जा रही है ?

डा० राम सुभग सिंह : वैगनों के बारे में तो अब कोई शिकायत नहीं होनी चाहिये क्योंकि मैं गत दो मास से देख रहा हूं कि जितने वैगन मांगे जाते हैं उतने दे दिये जाते हैं । कालेजों की ज़रूरतों को पूरा करने की ओर पूरा ध्या न दिया जायेगा ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : माननीय मंत्री ने कहा था कि अगर उनके ध्यान में बात लाई गई तो वह कार्यवाही करेंगे। मैं यह पत्र सभा पटल पर रखता हूं। इससे यह साबित होता है कि सतर्कता पदाधिकारी भी शिकायतों पर ध्यान नहीं देते । कपास की सैकड़ों गांठें दिल्ली रेलवे स्टेशन से अहमदाबाद भेजी गईं और वहां पहुंचने पर वे गायब हो गईं लेकिन इस बारे में कोई जांच नहीं की गई । क्या माननीय मंत्री इस मामले की जांच करना चाहेंगे ? पुलिस ने यह शिकायत दर्ज भी की लेकिन उसे दबा दिया गया । उसकी तफतीश भी नहीं की गई । मैं इसे सभा पटल पर रखता हूं ।*

डा० राम सुभग सिंह : मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि इन शिकायतों की पूरी जांच की जायेगी ।

डा० सरोजिनी महिषी : क्या यह रेलवे विभाग में भ्रष्टाचार का नतीजा है कि दक्षिण रेलवे के फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को अतिरिक्त समय कार्य करने का भत्ता नहीं दिया जाता हालांकि बम्बई उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि दूसरे ज़ोन में काम करने जाने पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को अतिरिक्त समय का भत्ता दिया जाना चाहिये, यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है ?

डा० राम सुभग सिंह : रेलवे में लगभग 13 लाख कर्मचारी हैं और कई जोन और सेक्शन हैं । जहां कहीं कोई सही शिकायत होती है हम उसे दूर करने की कोशिश करते हैं ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि सन्थानम समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने से पहले कृपलानी समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाये ?

डा० राम सुभग सिंह : सरकार ने कृपलानी समिति के सचिव को उस समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिये नियुक्त कर दिया है । वे सिफारिशें कार्यान्वित की जा चुकी हैं । मैं पुन: देखूंगा कि उनमें से कौन सी सिफारिशें कार्यान्वित नहीं की गई हैं ।

Shri Rameshwaranand : What is the procedure adopted for making investigations regarding complaints, whether any representative of the public is also associated. What is the reason for the variation in charges for loading the wagons.

*श्री उ० मू० त्रिवेदी द्वारा दिये गये पत्र श्री शाम नाथ, रेलवे उपमंत्री को सौंप दिये गये ।

Dr. Ram Subhag Singh : We often receive letters from Swamiji. He may bring specific cases in our notice and necessary action would be taken.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : I have written letters to General Manager and to the Railway Minister to the effect that corruption is at its peak at Delhi Railway Station. I have also submitted photographs.

Mr. Speaker : Now you may write to me as well.

\+ **रुई के मूल्य**

*404. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रूई के निम्नतम और उच्चतम मूल्यों में वृद्धि करने के प्रश्न विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख) जी हां। विचार करने के बाद सरकार ने यही तय किया कि 1964–65 में भारतीय कपास के निम्नतम तथा उच्चतम मूल्य वही रहें जो 1963–64 की फसल में थे। कुछ एक किस्मों में घटा बढ़ी की अनुमति दे दी गई ताकि बढ़िया किस्म की कपास पैदा हो।

श्री श्रीनारायण दास : क्या उत्पादकों की ओर से सरकार को कोई अभ्यावेदन दिया गया था और यदि हां, तो क्या सुझाव दिये गये ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : हमें आठ अभ्यावेदन मिले थे। इस विचार से कि बढ़िया कपास पैदा हो मूल्य 30 रुपये से बढ़ा कर 50 रुपये कर दिये गये थे।

श्री श्रीनारायण दास : क्या मूल्य की प्रवृत्ति घटने की ओर है या बढ़ने की ओर ?

श्री मनुभाई शाह : बढ़ने की ओर।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : प्रशुल्क आयोग की रिपोर्ट सरकार कब पटल पर रखेगी ?

श्री मनुभाई शाह : यह अलग प्रश्न है।

श्री पु० र० पटेल : मूल्यों का आधार क्या होता है और क्या कारण है कि कल्याण और दिगविजय 'ए' और दिगविजय 'बी' के निम्नतम और उच्चतम मूल्य बहुत कम हैं ?

श्री मनुभाई शाह : कल्याण और दिगविजय ए और दिगविजय बी चालू किस्में हैं और मूल्य निश्चित करते समय उसके सभी तत्वों और गुणों को ध्यान में रखा जाता है।

डा० पं० शा० देशमुख : वर्तमान खाद्य तथा कृषि मंत्री ने कृषि उत्पादों के मूल्यों के बारे में बहुत अच्छी और नई नीति बनाई है। क्या किसानों के प्रोत्साहन के लिये मूल्यों को बढ़ाने के बारे में खाद्य तथा कृषि मंत्री की भी सलाह ली गई थी ?

श्री मनुभाई शाह : यह मूल्य उनकी सलाह लेकर उनके इस सिद्धान्त के आधार पर निश्चित किये गये कि यह मूल्य उत्पादक के लिये लाभप्रद होंगे।

जापानी किस्म की सिगनल प्रणाली

*405. **श्री अ० सिं० सहगल**: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के कुछ सैक्शनों पर जापानी किस्म की सिगनल प्रणाली की व्यवस्था की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि वे सिगनल ठीक ठीक कार्य नहीं कर रहे हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि जब वे खराब हो जाते हैं तो उसके परिणामस्वरूप कभी कभी रेलगाड़ियों के जाने आने में मेरी हो जाती है ; और

(घ) यदि हां, तो उनके स्थान पर दूसरे प्रकार के सिगनल लगाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

+ **रूरकेला इस्पात सन्यन्त्र**

*407. { **श्री रामचन्द्र उलाका** :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री 24 अप्रैल, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 1163 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला इस्पात संयंत्र सम्बन्धी तकनीकी दल के प्रतिवेदन पर सरकार ने इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख). जी हां। तकनीकी टीम की मुख्य सिफारिशें संयंत्र के विभिन्न यूनिटों के संचालन और देख रेख के बारे में, पुर्जों का स्टाक जमा करने और जर्मन तकनीकी कर्मचारियों की संख्या में कमी करने के बारे में थीं। सिफारिशें कार्यान्वित की जा चुकी हैं।

रामचन्द्र उलाका : क्या टीम के दौरे के पश्चात इस्पात संयंत्र के संचालन और देखरेख के बारे में कोई शिकायत मिली और यदि हां, तो वह क्या थी और उसपर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री संजीव रेड्डी : तकनीकी टीम ने कई सुझाव दिये हैं। इसके आधार पर हिन्दुस्तान स्टील ने कुछ निर्णय भी कर लिये हैं।

श्री रामचन्द्र उलाका : क्या टीम ने संयंत्र का विस्तार करने के सुझाव दिये हैं और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ? क्या पश्चिम जर्मन सरकार इसमें कोई सहायता देगी ?

श्री संजीव रेड्डी : रिपोर्ट केवल संयंत्र के काम काज को ठीक करने के बारे में है। विस्तार के बारे में कोई सिफारिश नहीं है। हमने भी ऐसा कोई निश्चय नहीं किया है।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या यह सच है कि रूड़केला का उत्पादन अन्य दो इस्पात कारखानों के अनुकूल प्रगति नहीं कर रहा है जिसका कारण उसके निर्माण की त्रुटियां हैं। यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है?

श्री संजीव रेड्डी : उत्पादन में कमी का कारण निर्माण सम्बन्धी त्रुटियां नहीं हैं। इसके कोई अन्य कारण हैं जो सभा में कई बार बताये जा चुके हैं। उत्पादन में अब प्रगति हो रही है। जुलाई और अगस्त में प्रगति अच्छी रही है।

श्रीमती सावित्री निगम : तकनीकी टीम की सिफारिशों की क्रियान्विति का इस्पात के उत्पादन मूल्य पर क्या असर पड़ा ?

श्री संजीव रेड्डी : अगस्त में 83000 टन कच्चा लोहा प्रयोग में लाया गया जबकि जुलाई में 68000 टन हुआ था। तैयार इस्पात की मात्रा जो जुलाई में 43536 टन थी अगस्त में 63000 टन हो गई। इससे पता चलता है कि प्रगति हुई।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या तकनीकी टीम ने तकनीकी विधि में कुछ नये तरीके काम में लाने का सुझाव दिया है और यदि हां, तो उस पर कितना ख़र्च होगा ?

श्री संजीव रेड्डी : जी नहीं। उन्होंने केवल इस सम्बन्ध में सिफारिशें की थीं कि संयंत्र को किस प्रकार अच्छी हालत में रखा जा सकता है।

Shri Gulshan : May I know whether the party spirit among the high officials working in Rourkela Plant is also one of the reasons leading to fall in production in the plant ?

श्री संजीव रेड्डी : जी, नहीं।

\+ **कोयला उद्योग को वित्तीय सहायता**

*410. **श्री रामेवश्वर टांटिया :**
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक से प्राप्त 16.67 करोड़ रुपये के ऋण के बिना व्यय किए गए धन में से गैर-सरकारी क्षेत्र कोयला उद्योग को वित्तीय सहायता देने के लिये नये आवेदन पत्र सरकार ने मांगे हैं; और

(ख) क्या गत दो वर्षों में ऋण का उपयोग न किये जाने के कारणों का सरकार ने विश्लेषण किया है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) संभवतः निदशन विश्व-बैंक के कर्जे के उपयोग में न लाये गये भाग के बारे में हैं। यह तथ्य है कि सरकार ने कोयला

उद्योग के गैर सरकारी क्षेत्र को सलाह दी थी कि इस कर्ज के विरुद्ध लाइसेंस जारी करवाने के लिये वह नई अर्जियां देवें।

(ख) कर्ज को उपयोग में लाने की अन्तिम तिथि 30–9–65 है। तथापि कर्ज के उपयोग की प्रगति धीमी रही है। यह बताया जाता है कि प्रारंभिक अवस्थाओं में इसका कारण उद्योग द्वारा कर्ज के मुकाबले में आवश्यक वित्तीय रुपये (matching rupee finance) का प्रबंध न कर पाना है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक सुविधाएं जुटाई गई थीं। परन्तु कोयले की मांग में कुछ कमी (slackening) होने के कारण, पिछले कुछ समय से उद्योग, मशीनों के निर्यात पर काफी मात्रा में धन लगाने में, कुछ अनिच्छुक सा रहा है।

श्री रामेश्वर टांटिया : माननीय मंत्री ने कहा है कि कोयले की मांग उसके उत्पादन से कम है। क्या कोयले की खपत इस कारण कम है कि वह मुगल सराये स्टेशन पर रुका पड़ा है? और यदि हां, तो क्या सरकार उस गत्यावरोध को हटाने और अधिक सड़कें बनाने के बारे में विचार कर रही है?

श्री संजीव रेड्डी : इस समय परिवहन में कोई गत्यावरोध नहीं है।

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या भारतीय कोयला खनन उद्योग में उत्पादन व्यय की जांच करने के लिये विश्व बैंक ने हाल ही में एक समिति स्थापित की है और यदि हां, तो क्या उन्होंने कोई रिपोर्ट अथवा नया ऋण दिया है?

श्री संजीव रेड्डी : यह प्रश्न केवल ऋणों के प्रयोग के बारे में है। यह प्रश्न उत्पन नहीं होता।

Shri M.L. Dwivedi That loan has not been utilized and fresh applications have been invited. Whether Government hope to utilize the entire loan and if not, the manner in which it would be utilized by Government.

श्री संजीव रेड्डी : इस ऋण के जरिये हम गैर-सरकारी क्षेत्र की सहायता कर रहे हैं। हम उनकी सहायता के लिये हर सम्भव कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री पं० वैकटासुब्बया : इस बात को देखते हुए कि कोयला उद्योग का गैर-सरकारी क्षेत्र विश्व बैंक के ऋण का उपयोग नहीं कर पाया है क्या सरकार इस उद्योग को अपने हाथ में लेने का विचार कर रही है?

श्री संजीव रड्डी : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या गैर-सरकारी क्षेत्र इस ऋण का इसलिये उपभोग नहीं कर पाया कि वह छोटे छोटे हिस्सों में बंटा हुआ है और क्या सरकार उन्हें एकत्र करके बड़े एकक बनाने का विचार कर रही है जिससे वे इन ऋणों का उपभोग कर सकें?

श्री संजीव रेड्डी : जी नहीं।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I want to know the total amount of loan given to coal industry and the amount invested so far ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri P.C. Sethi) The applications for an amount of rupees twenty crores had been re-

ceived but orders of the value of Rs. 14 crores have been placed but orders worth 5 to 6 crores of rupees are yet to be placed.

श्री कृ० चं० पन्त : क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि ऋण के उस भाग को जो कि उपयोग में नहीं लाया गया है, कोयला खनन उद्योग की बजाय कोयले पर आधारित उद्योग में प्रयोग में लाया जाय ?

श्री संजीव रेड्डी । जी नहीं। सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या यह सही है कि कोयला उद्योग की ओर से यह कहा गया है कि कोयले की मांग कम होने के कारण ऋण की मांग कम है ?

श्री संजीव रेड्डी : यह भी एक कारण है।

रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों का सेवाकाल बढाना

*412. **श्री रा० गि० दुबे** : क्या **रेलव** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड के प्रधान तथा कुछ सदस्यों का सेवाकाल 58 वर्ष की आयु के बाद भी बढा दिया गया है ;

(ख) क्या सेवानिवृत्ति से पहले मिलने वाला अवकाश देने से उनको पहले इन्कार कर दिया गया था ; और

(ग) वरिष्ठ अधिकारियों के सेवा-काल बढ़ाने की यह नीति किस प्रकार कसौटी पर ठीक उतरती है जबकि सरकार ने हाल में ही यह निर्णय कर लिया था कि वरिष्ठ अधिकारियों का सेवाकाल सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद न बढ़ाया जाये ?

रेल मन्त्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) रेलव बोर्ड के अध्यक्ष 8-8-1964 को अधिवर्षता की आयु प्राप्त कर चुके थे। उनका सेवा-काल एक वर्ष के लिये और बढा दिया गया है ।

(ख) इस वर्ष के आरम्भ में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और दो सदस्यों को निवृत्ति-पूर्व छुट्टी मंजर नहीं की गई ।

(ग) अभी हाल में इस तरह का कोई निर्णय नहीं किया गया है।

श्री रा० गि० दुबे : क्या इस सेवा काल को बढ़ाने के लिये कोई आपवादिक परिस्थिति अथवा कारण था ?

श्री स० का० पाटिल : जी हां, बोर्ड के अधिकांश सदस्य लगभग एक ही समय में सेवा-निवृत्ति हो रहे थे और इस प्रकार निरन्तरता छट सकती थी। जिस समय मैंने इस मंत्रालय का कार्यभार सभाला उस समय मेरे लिये तुरन्त कोई निर्णय करना अपक्व था । यह पता लगाने के लिये कि इसका सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता था मुझे छ समय चाहिये था ।

श्री रा० गि० दुबे : क्या इस्पश्चात् सरकार अधिकारियों को समय पर प्रशिक्षण देने के लिये कार्यवाही करने का विचार रखती है जिससे कि सेवाकाल बढ़ाने का कोई अवसर ही न आये ?

श्री स० का० पाटिल : यह भी बहुत कठिन है, यद्यपि मैं कमी को महसूस करता हूं। रेलव बोर्ड में केवल वरिष्ठता के आधार पर किसी भी अध्यक्ष के लिये 6 मास अथवा एक वर्ष से अधिक के लिये पद पर रहना संभव नहीं है। इस थोड़े से समय में कोई ठोस कार्य करना संभव नहीं है। इसलिये इसके लिये हमें कोई तरीका ढूंढना है और मैं इसके लिये प्रयत्न कर रहा हूं।

Shri M.L. Dwivedi: May I know the maximum limit of this extension——58, 60 or 62 years?

Shri S. K. Patil : Maximum is 60 years. For the time being extension has been given for one year only and it will be reconsidered later on.

श्री श० ना० चतुर्वेदी : बोर्ड में कुल कितने सदस्य हैं और कितने सदस्य एक ही समय सेवानिवृत्त हो रहे थे ?

Shri S. K. Patil : The Board is substituted of five members out of which 3, 4 retire and after 6 months or one year all the five members will be retiring.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : What are the Salaries of the Five Members of the Board.

Mr. Speaker : Shri Ranga.

श्री रंगा : माननीय मंत्री ने अभी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया है जिसका रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति सम्बन्धी नीति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। पिछले अध्यक्ष जिन अवधियों में काम करते रहे हैं हम उनके बारे में जानना चाहते हैं और यह भी जानना चाहते हैं कि क्या इतने लम्बे समय में पिछले सभी रेलव मंत्री इस बात से बेखबर थे कि इन अध्यक्षों के सेवाकाँल की छोटी अवधि से रेलवे बोर्ड तथा अध्यक्ष के कार्य को भी क्षति पहुंची है ?

श्री स० का० पाटिल : ऐसा इस लिये हुआ है कि सेवा निवृत्त आयु को 55 से बढ़ा कर 58 कर दिया गया है। यह सक्रमणकालावधि है और इसलिये ऐसा हुआ है कि जब उनके अध्यक्ष बनने का अवसर आता है तो उनके सेवा निवृत्त होने में 6 मास अथवा 1 वर्ष से अधिक समय शेष नहीं रहता। इस कार्य के लिये छोटी आयु के व्यक्तियों को रखना बड़ा कठिन बन जाता है ....

श्री रंगा : वे व्यक्ति पहले कहां काम करते रहे हैं। वे कोई अजनवी नहीं हैं।

श्री स० का० पाटिल : ..... क्योंकि उनके पास अपेक्षित अनुभव नहीं होता। कोई नीति सम्बन्धी वक्तव्य नहीं दिया गया है। मैंने कहा था कि मैं इसके बारे में प्रयत्न कर रहा हूं। परन्तु, क्योंकि मेरे कार्यभार संभालने के बाद इस पर तुरन्त निर्णय करना आवश्यक था। इस लिये इस ख्याल से कि सर्वोत्तम तरीका ढूंडने के लिये मुझे पर्याप्त समय मिल जाये, मैंने इस अवधि को एक वर्ष के लिये बढ़ा दिया था।

हथकरघे के वस्त्रों का निर्यात

*415. **डा० महिषी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हथकरघा वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद् ने हथकरघे के वस्त्रों का निर्यात बढ़ाने के लिये क्या उपाय किये हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों में हथकरघे के वस्त्रों के निर्यात के द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):(क) इस समय हाथ करघे के माल के लिये कोई निर्यात संवर्द्धन परिषद नहीं है। फिर भी एक निर्यात संवर्द्धन सलाहकार समिति है जो हाथ करघे के माल के निर्यात संवर्द्धन का कार्य देखती है। इस समिति द्वारा किये गये उपायों का वर्णन सभापटल पर रखे गये विवरण में किया ग ! ह । **(पुस्तकालय म रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—3241/64)**

(ख)	1961–62	8,06,82,000	रुपय
	1962–63 .	10,21,01,000	रुपय
	1963–64 . . .	12,28,08,000	रुपय

डा० सरोजिनी महिषी : यह देखते हुए कि वर्ष 1962–63 के लेखा परीक्षण प्रतिवेदन में कहा गया था कि हथकरधा बोर्ड विदेशों से किये गये कुछ करारों को पूरा नहीं कर सका, सरकार देश में हथकरघा उत्पादन को बढ़ाने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : बहुत कुछ किया गया है । हम ने उन्हे प्रोत्साहन देने के लिये वित्तीय सहायता दी है । हम प्रदर्शनियों में उनसे माल को ले गये हैं। उत्पादन बढ़ाने के लिये अनेक अन्य कदम उठाये गये हैं। इसका पता इस बात से चलता है कि उत्पादन 8 करोड़ रूपये के मूल्य से बढ़ कर दो वर्षों में 12 करोड़ रू० के मूल्य का हो गया है।

डा० सरोजिनी महिषी : 1963–64 में हथकरघा बुनकरों को कितनी वित्तीय सहायता दी गई ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : सही राशि बताने के लिये मुझे सूचना चाहिये।

श्री रामनाथन् चेट्टियार : क्या पिछले कुछ वर्षों से हथकरघा वस्तुओं के निर्यात, विशेषत: दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों को, में कमी हुई है , और यदि हां, तो, निर्यात बढ़ाने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : कमी नहीं हुई है, अपितु इसके विपरीत वृद्धि हुई है ।

अध्यक्ष महोदय : अब अगला प्रश्न । प्रश्न सख्या 417।

एक माननीय सदस्य : प्रश्न 420 ।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक मुझे याद है, धारा 420 की याख्या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 417 में दी गई है ।

श्री उ० म० त्रिवेदी : धारा 415 में दी गई है ।

दिल्ली में सीमेंट की कमी

+

*417. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री दी० चं० शर्मा :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री रामेश्वरानन्द :

क्या **उद्योग तथा सम्भरण** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के बाजार में सीमेंट न होने के कारण भवन निर्माण कार्य एकदम बन्द हो गया है, और

(ख) यदि हां, तो मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

उद्योग तथा सम्भरण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, नहीं ; किन्तु सरकार को यह विदित है कि इस वस्तु की कमी है ।

(ख) सरकार ने वर्ष 1964 में अब तक 40,000 मी० टन० का अतिरिक्त कोटा निजी मकान निर्माताओं की आवश्यकता पूरी करने के लिये विशेष रूप से जारी किया है ।

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या यह सच है कि सीमेंट चोर बाजारी में 40 रु० कट्टे के हिसाब से मिल रही है और अनेक प्रार्थनाओं के बावजूद भी सरकार इसको नहीं रोक सकी, और यदि हां, तो निर्धारित दर पर सीमेंट उपलब्ध कराने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : सीमेंट की चोर बाजारी रोकने के लिये, दिल्ली प्रशासन ने भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत एक सीमेंट नियत्रण आदेश जारी किया है जिस के अन्तर्गत सीमेंट एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं भेजी जा सकती, और यदि यह एक व्यक्ति के नाम में है तो यह दूसरे व्यक्ति को नहीं दी जा सकती, और एक समय में एक स्थान पर 5 से अधिक कट्टे नहीं रखे जा सकते ?

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या सरकार को यह पता नहीं है कि सीमेंट 13–14 रु० प्रति कट्टे के हिसाब से मिल रही है और यदि सरकार को पता है तो इसको रोकने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री विभधेन्द्र मिश्र : जो कार्यवाही की गई है मैंने अभी उनका उल्लेख किया है । भारत प्रतिरक्षा नियमों के अधीन सीमेंट नियंत्रण आदेश जारी किया गया है, और यदि श्री रामेश्वर टांटिया जैसे मेरे माननीय मित्र चोर बाजारी रोकने में हमारी सहायता कर सकते हैं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, क्योंकि हो सकता है उन के पास इस विषय में अधिक जानकारी हो ।

Shri Rameshwaranand : Actually there is no shortage of Cement. The officers responsible for the distribution of cement are in alliance with the quota holders to whom they give more quantity of cement and then take their own share out of it. May I know the steps Government propose to take to eradicate this corruption ?

Mr. Speaker : We have already discussed Corrpution at some other time Here we are concerned only with the shortage of Cement.

Shri Rameshwaranand : There is black market in cement also.

श्री विभुघेन्द्र मिश्र : वास्तविक वितरण दिल्ली प्रशासन द्वारा किया जाता है । हम वितरण नहीं करते ।

Mr. Speaker : Let us ask the Delhi Administration. Shri Gupta will tell.

श्री शिवचरण गुप्त : 1963 में सार्वजनिक उपयोग के लिये कितनी सीमेंट दी गई, और 1964 में इसकी क्या मांग थी और इसे कहां तक पूरा करने का विचार है ?

श्री विभुघेन्द्र मिश्र : 1963 में लगभग 1,16,285 मिट्रिक टन सीमेंट दी गई थी, और फिर 18,000 मीट्रिक टन की अतिरिक्त मात्रा दी गई थी ।

श्री शिवचरण गुप्त : यह सार्वजनिक उपयोग या सरकारी आयोग के लिये थी अथवा सार्वजनिक तथा सरकारी तथा प्रत्येक अन्य व्यक्ति के उपयोग के लिये थी ?

श्री विभुघेन्द्र मिश्र : यह सार्वजनिक उपयोग के लिये भी थी । सीमेंट की वितरण संबंधी स्थिति के बारे में मैंने हाल ही में बताया था । हम इसे दिल्ली प्रशासन को दे देते हैं । और वह अपने सार्वजनिक इस्तेमाल के लिये भी उपयोग में लाते हैं, अर्थात्, यदि कोई सरकारी कार्य होता है तो उसके लिये भी इसे इस्तेमाल में लाया जाता है, और वह गैर सरकारी उपभोक्ताओं को कोटा भी देता है । वितरण की प्रणाली यह है ।

Shri Sheo Narain : My learned friend said that cement has been sold in Delhi at the rate of Rs. 14 per bag. May I know whether Government will take help of him in finding out the seller and the buyer?

Mr. Speaker : His help may be taken, this is a suggestion for action.

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार इस से अवगत है कि दिल्ली में और समस्त देश में सीमेंट की भारी कमी है । और यदि हां, तो क्या सरकार, जब तक स्थिति में सुधार न हो, तब तक के लिये इसके निर्यात को बन्द करना चाहती है ?

श्री म० ला० द्विवेदी : वर्तमान प्रश्न केवल दिल्ली के संबंध में ही है ।

श्री विभुघेन्द्र मिश्र : निर्यात केवल नाममात्र है । जिसे निर्यात कहना चाहिये, वास्तव में उस मात्रा में निर्यात नहीं किया गया है ।

श्री कपूर सिंह : उसे भी बन्द कीजिये ?

Shri K. N. Tiwary : What is the total production of Cement during 1963 and 1964 and the quantities allotted to Delhi and other States

अध्यक्षमहोदय : ये सब ब्योरे माननीय सदस्य को दे दिये जाये ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या सरकार ने पहले जैसी इमारतों को बनते नहीं देखा है और यदि देखा है, तो क्या सरकार ने कभी यह पता लगाने की चेष्टा की है कि इतना सीमेंट

कहां से आया उन्हें कहां से मिला और क्या सरकार इस बारे में किसी नतीजे पर पहुंची है, अर्थात्, क्या इसे चोर बाजार से खरीदा गया है, और यदि हां, तो उसकी रोकथाम के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ।

उद्योग तथा सम्भरण मन्त्री (श्री दासप्पा) : विभिन्न राज्यों को वितरण के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं । यह राज्यों का कार्य है कि उस सीमेंट का किस प्रकार सर्वोत्तम उपयोग किया जा सकता है ।

इस समय जो कमी है--कमी के बारे में कोई सन्देह नहीं है --- उसको देखते हुए मैं समझता हूं कि अच्छा होगा यदि वे सिनेमाघरों जैसी इमारतों के लिये सीमेंट न दें, और केवल उनको ही दें, जिनको इसकी बड़ी आवश्यकता है ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : मेरा प्रश्न यह नहीं था । मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

Shri Rameshwaranand : On a point of order.....

Mr. Speaker : I had already requested not to raise many point of orders during the Question Hour. Does he mean that Cinemas are more essential?

Shri Rameshwaranand : That is not the thing. The Minister said that there is shortage of cement and that State Governments only are concerned with the distribution of cement. I may tell him that he can buy as much cement as he pleases at the rate of Rs. 18 or 20 per bag. It is freely available. Hence the statement of the hon. Minister, that there is the shortage of cement, is not correct. There is no shortage, the only thing is this that it is available at the rate of Rs. 20·00 per bag.

Mr. Speaker : You have told something, but what is the point of order in it.

Shri Rameshwaranand : He told that there is the shortage of cement. But actually there is no shortage of cement. I want a ruling upon this.

Mr. Speaker : Thanks. अब श्रीमती सावित्री निगम ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : वह प्रश्न समाप्त हो गया है । अब मैंने श्रीमती सावित्री निगम को पुकारा है ।

श्रीमती सावित्री निगम : केन्द्रीय सरकार ने उन उत्पादकों के कान खेचने के लिये क्या कदम उठाये हैं जो राज्य सरकारों द्वारा लाइसेंस दिये जाने पर भी समय पर सीमेंट नहीं देते, जिसके परिणामस्वरूप गृह निर्माण कार्यों में बहुत रुकावट पड़ती है ? उन उत्पादकों और सभरणकर्ताओं के विरुद्ध सरकार ने क्या विशिष्ट कार्यवाही की है ?

श्री विभुवेन्द्र मिश्र : सीमेंट को समय पर सप्लाई करने की जो कठिनाई थी वह मुख्यत: माल डिब्बों और कोयले की कमी की थी, और अब इन कठिनाईयों को हल कर लिया गया है । नवीनतम जानकारी यह है कि लगभग 10 प्रतिशत अधिष्ठापित क्षमता काम में ली जा रही है ।

इस्पात उद्योगों द्वारा ऋणों का लौटाया जाना

*418. **श्री अ० सिं० सहगल** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भिलाई के अतिरिक्त किसी भी सरकारी क्षेत्र के इस्पात उद्योग ने, उनको दिए गए ऋण का पुनर्भुगतान करना आरम्भ नहीं किया है ;

(ख) भिलाई इस्पात परियोजना ने अब तक कितना ऋण वापस दे दिया है ;

(ग) अन्य इस्पात संयंत्र ऋण को कब वापस लौटाने लगेंगे तथा सभी इस्पात संयंत्र कितनी अवधि में ऋण का पूरा पूरा भुगतान कर देंगे ; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि विभिन्न इस्पात संयंत्र, आरम्भिक ऋणों का भुगतान शीघ्र कर दें ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) से (घ) सरकार ने हिन्दुस्तान स्टील को कुल 357.1 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। ऋण पर ब्याज की दर 5 प्रतिशत वार्षिक है और इसे 1 अप्रैल, 1962 से ले कर 20 वर्षों के अन्दर वापस किया जाना है। हिन्दुस्तान स्टील ब्याज का भुगतान कर रहा है लेकिन अभी तक ऋण की कोई किश्त नहीं चुकाई गई है।

श्री अ० सिं० सहगल : इन परियोजनाओं में कितना ऋण बाकी है।

श्री संजीव रेड्डी : मैंने अभी बताया कि या 357.1 करोड़, रु० है। ब्याज के अतिरिक्त अभी तक कोई अदायगी नहीं की गई है ?

श्री अ० सिं० सहगल: इन परियोजनाओं को अधिक ऋण देने के मार्ग में क्या कठिनाईयां आ रही हैं ?

श्री संजीव रेड्डी : हम एक विस्तार कार्यक्रम आरम्भ कर रहे हैं, और स्वभावतः इसके लिये हमें धन प्राप्त करना है।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : ऋण की किश्त न देने के क्या कारण हैं बावजूद इसके कि ये सभी कारखाने सरकारी क्षेत्र में हैं ?

श्री संजीव रेड्डी : वे हाल ही में निर्धारित क्षमता पर काम करने लगे हैं, अर्थात, उन में से दो, और जब उनके पास पैसा होगा वे भुगतान कर देंगे।

कच्चे लोहे के लिये धमन भट्टियां

+

*419. **श्री रामचन्द्र उलाका** :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री अ० सिं० सहगल :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री 10 अप्रैल, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 993 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई और दुर्गापुर में कच्चे लोहे के लिए धमन भट्टियां स्थापित करने के बारे में आयात किए जाने वाले संयंत्र तथा उपकरण के क्रयादेश देने के प्रश्न पर सरकार ने इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके निष्कर्ष क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) और (ख) भिलाई और दुर्गापुर में कच्चे लोहे के लिए धमन भट्टियां लगाने हेतु संयंत्र और उपकरणों के लिए आर्डर देने के प्रश्न पर अभी विचार किया जा रहा है। हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची, और देश के अन्य संभरणकर्ताओं तथा रूस से प्राप्त किए जाने वाले उपकरणों की सूचियां तैयार की जा रही हैं ताकि सम्बद्ध संघटनों को आर्डर दे दिए जाए। जहां तक दुर्गापुर का प्रश्न है, उपकरणों की पूर्ति के लिए ब्रिटेन तथा स्वदेशीय प्रभाव से पहले ही टेंडर मांगे जा चुके हैं।

श्री रामचन्द्र उलाका: देश में कच्चे लोहे के उत्पादन की वर्तमान कमी क्या है और इस कमी को इस धवन भट्टी द्वारा कहां तक पूरा किया जा सकेगा ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी): कच्चे लोहे की भारी कमी है।

संयुक्त अरब गणराज्य से व्यापार प्रतिनिधि मंडल

\+
*420. { **श्री रामेश्वर टांटिया** :
श्री राम हरख यादव :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त अरब गणराज्य से एक व्यापार शिष्टमंडल हाल ही में भारत आया था ;

(ख) यदि हां, तो उसके इस दौरे का क्या मुख्य प्रयोजन था ; और

(ग) क्या उनके साथ कोई करार किया गया है ।

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) दोनों देशों के मध्य व्यापार विनियम में विविधता लाने तथा विस्तार करने के प्रयोजन से दोनों देशों के बीच व्यापारिक व्यवस्थाओं का पुनरावलोकन किया गया और 21 सितम्बर 1964 को नई दिल्ली में संयुक्त अरब गणराज्य तथा भारतीय व्यापार शिष्ट मण्डलों में परस्पर पत्र-विनिमय हुआ। व्यापार का कुल परिमाण वर्तमान 25 करोड़ रु० के स्थान पर 1964-65 में बढ़ कर 45 करोड़ रु० हो जाने की आशा है। इसका अर्थ होगा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष दोनों ओर से दस करोड़ रु० के व्यापार की वृद्धि हो जायगी ।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

दिल्ली किशनगंज रेलवे स्टेशन पर खाद्यान्न के वैगनों से खाद्यान्न का उतारा जाना

अल्प सूचना प्रश्न संख्या 6. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली किशनगंज रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में खाद्यान्न के भरे वैगन खाद्यान्न उतारे जाने के लिये खड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो सितम्बर 1964 में अब तक उस स्टेशन पर अधिकतम खाद्यान्न के कितने वैगन रहे ; और

(ग) उनसे खाद्यान्न शीघ्र उतारने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली किशनगंज पर खाद्यान्न के वैगनों की अधिकतम सख्या 18 सितम्बर को रहीं जब कि 85 वैगन आये, 29 वैगनों से माल उतारा गया और 56 वैगन खड़े रहे । दिल्ली किशनगंज पर स्थानाभाव के कारण वहां पर आने वाले 161 वैगनों को शकूरबस्ती पर रोक लिया गया ।

(ग) प्रेषितियों से कहा गया है कि वे सामान को सीधे सड़क वाहनों में उतार लें । खाद्य तथा असैनिक संभरण के निदेशक से भी कहा गया है कि वह व्यापारियों से अधिकाधिक संख्या में वैगनों को खाली करने को कहें ।

श्री प्र० चं० बरुआ : जब कि राजधानी में खाद्यान्न की भारी कमी है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि व्यापारियों ने रेलवे की अपील के बावजूद माल उतारने से इन्कार कर दिया है और यदि हां, तो क्या सरकार उन व्यापारियों के विरुद्ध भारत रक्षा नियमों अथवा अन्य नियमों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ?

श्री शाम नाथ : अधिकाधिक संख्या में वैगन खाली कराने के लिये भरसक प्रयत्न किया जा रहा है और हमारी जानकारी के अनुसार व्यापारी लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं । सामान्यत: वैगनों से माल ढके हुए शेडों में उतारा जाता है लेकिन अब उनसे माल खुले स्थानों पर भी उतारा जा रहा है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या मैं जान सकता हूं कि दिल्ली में मालगोदामों में कितने वैगन खाद्यान्न पड़ा है और कितने वैगनों से खाद्यान्न उतारा जाना है ।

श्री शाम नाथ : आज शकूर वस्ती पर केवल तीन वैगन रोके गये जब कि दिल्ली किशनगंज पर 30 वैगनों से खाद्यान्न उतारा जाना है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

रेडयो तथा ध्वनि यन्त्र

*406. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या **उद्योग तथा सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के रेडियो और ध्वनि संयंत्रों के छोटे पैमाने के निर्माताओं के संघ ने सरकार के पास इस आशय का कोई अभ्यावेदन भेजा है कि आयात पर लगाये गये प्रतिबन्धों के कारण आवश्यक पुर्जों की कमी हो गई है और छोटी छोटी समवेत वस्तुओं को अधिमान दिये जाने की आवश्यकता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग तथा सम्भरण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विभुवेन्द्र मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) मामले पर ध्यान दिया जा रहा है ।

Hosiery Manufacturers in Punjab

*408. **Shri Bagri :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that the small hosiery manufacturers of Punjab held a demonstration in front of his residence on the 21st July, 1964 and placed their demands before him;

(*b*) if so, the demands of the demonstrators; and

(*c*) whether these demands have received the attention of Government?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri S.V. Ramaswamy) : (*a*) Representatives of the Ludhiana Hosiery Small Scale Union met the Minister of Commerce on the 21st July, 1964 and submitted to him a memorandum on the Hosiery Yarn Distribution Scheme.

(*b*) The deputationists in their memorandum made certain allegations about the distribution of yarn by the Hosiery Industry Federation. They also alleged that no quota had been allotted by the Federation to certain deserving units. They also requested that they should be given Defence orders.

(*c*) Government examined the allegations in question and found them wanting in substance. It was at the same time felt that since the Hosiery Yarn Distribution Scheme was brought into effect as early as January, 1960 a review of the working of the scheme would be desirable. A Committee consisting of Senior officers of the Central Government and Punjab Government was therefore constituted to review the Scheme and suggest suitable modifications to the existing Distribution Scheme. The Report of the Committee has just been received by Government and it is under consideraton.

कृषि उपकरणों का निर्माण

*409. श्री धर्म लिंगम :
श्री द० ब० राजू :

क्या **उद्योग तथा सम्भरण** मंत्री 20 दिसम्बर, 1963 के तारांकित प्रश्न संख्या 681 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापानी फर्म के सहयोग से कृषि उपकरणों का निर्माण करने के हेतु एक कारखाने की स्थापना करने के सम्बंध में बातचीत पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो कारखाना कब स्थापित किया जायेगा ;

(ग) क्या मद्रास राज्य में वैसा ही कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग तथा सम्भरण मन्त्रालय में भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ) जापानी फर्म के सहयोग से हैड पावर टिलर बनाने के लिए मद्रास राज्य में एक कारखाना स्थापित करने की योजना भी मिल गई है जिस पर विचार किया जा रहा है।

कांडला निर्बाध व्यापार ज़ोन

*413. **श्री द्वारका दास मन्त्री** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांडला में निर्बाध व्यापार ज़ोन बनाने के उपायों का परामर्श देने तथा उनके संबंध में सुझाव देने के लिये सरकार ने एक सलाहकार समिति स्थापित की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने कोई सिफारिशें की हैं।

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) कांडला निर्बाध व्यापार ज़ोन सम्बधी सलाहकार समिति एक स्थायी समिति है जिसमें मुख्यत: केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के सम्बद्ध विभागों के प्रतिनिधि हैं। इसकी स्थापना इस ज़ोन के प्रशासन के सम्बंध में सुविधापूर्वक समन्वित कार्रवाई कर सकने के मुख्य उद्देश्य से की गई थी। सरकार को कोई रिपोर्ट देने की इससे आशा नहीं की जाती है किन्तु इसकी बैठकों में दिये गये सुझावों की यथोचित जांच की जाती है और ज़ोन में गतिविधियों का विनियमन करने के लिये नीतियां बनाते समय इनको ध्यान में रखा जाता है।

विद्युत् सिगनल उपकरण

*414. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह 25 फरवरी, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 288 के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिकन्दराबाद में बनने वाले विद्युत सिगनल उपकरण कारखाने के निर्माण के लिए एक विदेशी सार्थ से सहयोग करने की शर्तों पर इस बीच अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कारखाने का निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा तथा इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ; और

(ग) परियोजना की अनुमानत: क्या लागत है ?

रेलवे मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) आशा है कि कारखाना बनाने का काम 1965–66 में शुरू हो जायेगा।

(ग) 130 लाख रुपये।

सूती कपड़े के मूल्य

*416. **श्री हिर विष्णु कामत** : क्या **वाणिज्य** मंत्री 11 सितम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 140 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई तथा अन्य स्थानों की उन अपचारी मिलों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिन्होंने सूती कपड़े के मूल्य 10 प्रतिशत बढ़ा दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) से (ग) इन मिलों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई करना सम्भव नहीं था क्योंकि मूल्य नियंत्रण योजना एक एच्छिक योजना है। किन्तु कपड़ा आयुक्त ने भारतीय कपड़ा मिल संघ के साथ हस्तक्षेप करके मिलों को पुराने मूल्यों को ही अपना लेने के लिये कहा था। इसके परिणाम स्वरूप इन मिलों के कपड़े के मूल्य फिर पुराने स्तर पर कर दिये गए थे।

छोटे पैमाने के उद्योगों के लिय परीक्षण समिति

*421. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री थनगोंडर :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या आयात की गई कच्ची सामग्री पर आश्रित छोटे पैमाने के उद्योगों की स्थापना के लाइसेंसों के आवेदन पत्रों की जांच तथा परीक्षण के लिये केन्द्र तथा राज्य स्तर पर परीक्षण समितियां स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थापित की जाने वाली समिति का गठन तथा कृत्य क्या होंगे ?

उद्योग तथा संभरण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र): (क) और (ख) आयातीत या कम मात्रा में उपलब्ध स्वदेशी कच्चे माल पर निर्भर रहने वाले लघु उद्योगों की स्थापना के लिये आए प्रार्थना-पत्रों की जांच करने के लिये जांच समितियां नियुक्त करने का सुझाव है। इस संबंध में अपनाए जाने वाले तरीके की विस्तृत बातों पर अभी सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

इलायची बोर्ड

*422. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री ओंकार लाल बैरवा :
श्री यशपालसिंह :
श्री म० प० स्वामी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री 10 अप्रैल, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 997 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलायची बोर्ड बनाने के प्रस्ताव पर सरकार ने इस बीच विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय लिया गया है ; और

(ग) इसके कब तक बन जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) एक इलायची विपणन बोर्ड का गठन करने के लिये एक अस्थायी निर्णय कर लिया गया है और ब्यौरों को अन्तिम रूप देने के पश्चात् यथाशीघ्र आवश्यक विधेयक संसद में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

रेलवे इंजन

1238. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1963–64 और 1964–65 में अब तक प्रत्येक ज़ोनल रेलवे को कितने नए इंजन दिये गये हैं ; और

(ख) यह आवंटन किस आधार पर किया गया है ?

रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3242/64]**

(ख) जोनल रेलवे को नए इंजनों का आवंटन निम्न आधार पर किया गया है ;

(1) अतिरिक्त यातायात मांग को पूरा करने के लिये ; और

(2) यथा संभव पुराने इंजनों के स्थान पर नए इंजन लगाने के लिये ।

रेलवे लाइन के पास की भूमि

1239. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या रेलवे लाइनों के आसपास पड़ी बड़ी और खुली भूमि को कृषि कार्य के लिये देने की किसी योजना को कोई अन्तिम रूप दिया गया है ताकि अधिक अन्न उगाओ योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि की जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह: (क) और (ख) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा बनायी गयी अधिक अन्न उगाओ योजना के अनुसरण में, खती के योग्य सभी रेलवे भूमि व्यक्तिगत किसानों को देने के लिय राज्य सरकारों को दे दी जाती है । भूमि के आवंटन की जिम्मेवारी राज्य सरकारों पर है ।

पुराने डिब्बों का बदला जाना

1240. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रथम श्रेणी के कुछ बहुत पुराने डिब्बे, जिनके दरवाजे ठीक नहीं हैं और शौचालयों में पानी की टंकियां टूटी हुई हैं, रिवाड़ी और बीकानेर के बीच (मध्य रेलवे) चलने वाली बी० बी० आर० में लगाये गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो यात्रियों को जोखिम और असुविधा से बचाने के लिये इन डिब्बों को बदलने के लिये सरकार क्या कदम उठायेगी ?

रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) सम्भवत: निर्देश उत्तर रेलवे के मीटर गेज सेक्शन पर चलने वाले चार पहियों वाले प्रथम श्रेणी के डिब्बों की ओर किया जा रहा है । जैसे ही नए डिब्बे उपलब्ध होते हैं, इन चार पहियों वाले डिब्बों को बदल दिया जाता है । रिवाड़ी और बीकानेर के बीच चलने वाली । बी० बी० आर० गाड़ी में इनको बदलने के लिये कार्रवाई की गयी है ।

रायगडा में सड़क का ऊपरी पुल

1241. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **रेलवे** मंत्री 14 अप्रैल, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2103 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रायागडा (उड़ीसा) में सड़क ऊपरी पुल की प्राक्कलित लागत क्या है ;

(ख) क्या कथित ऊपरी पुल पर निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है ;

(ग) यदि हां, तो इसमें कितनी प्रगति हुई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाम नाथ) : (क) से (घ) पुल के स्थान और इससे सम्बन्ध बातों पर अभी राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। राज्य सरकार को नक्शे के साथ योजना का पूरा ब्योरा देना होगा ताकि रेलवे पुल के बारे में योजना और प्राक्कलनों को अन्तिम रूप दे सके ।

कांच के सामान का निर्माण

1242. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री 17 अप्रैल, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2245 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच उड़ीसा में कांच का सामान बनाने के बारे में प्रस्ताव पर विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

उद्योग तथा सम्भरण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) इस पक्ष को स्वीकृति पत्र भेज दिया गया है ।

रूस को जूतों का निर्यात

1243. **श्री राम हरख यादव :**
श्री मुरली मनोहर :
श्री बसवन्त :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य बीमा निगम ने लगभग 50 लाख रुपये मूल्य के लगभग दो लाख जोड़े जूतों का रूस को विक्रय करने के लिये एक समझौता किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह): (क) जी, हां। राज्य व्यापार निगम ने वर्ष 1964 में 53 लाख रुपये मूल्य के लगभग 2 लाख जोड़े जूतों का संभरण करने के लिय रूस के साथ दूसरा समझौता किया है।

(ख) इस समझौते की मुख्य बातें बताना निगम के व्यापारिक हित में नहीं है।

नई रेलगाड़ियां

1244. **श्री राम हरख यादव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलव अक्तूबर, 1964 से 62 नयी रेलगाड़ियां चलायगी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) और (ख). अक्तूबर, 1964 से 31 जोड़े अथवा 62 सवारी यात्री गाड़ियां चलाने/बढ़ाने का प्रस्ताव है जिसका ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-3243/64]

पूछताछ रिजर्वेशन क्लर्क

1245. **श्री उ० मू० त्रिवेदी :**
श्री ओंकारलाल बैरवा :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न रेलों पर पहली अप्रैल, 1964 से जांच एवं रिजर्वेशन क्लर्कों के पदों को उच्च श्रेणी का बना दिया गया है ;

(ख) क्या विभिन्न रेलवे प्रशासनों द्वारा इस संबंध में रेलवे बोर्ड के आदेश क्रियान्वित कर दिये गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). कुछ प्रशासनिक कारणों से अधिकांश रेलों पर इन आदेशों को पूर्णतया क्रियान्वित कर दिया गया है परन्तु शीघ्र क्रियान्वित करने के लिये सभी संभव प्रयत्न किये गए हैं।

RAILWAY LINE FROM GAYA TO RANCHI

1246. **Shri Veerappa** : Will the Minister of **Railway**s be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Railway Board has given its approval to the construction of a new railway line between Gaya and Ranchi *via* Chatra and Hazaribagh; and

(b) if so, when this project would be taken in hand and completed?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath):

(a) No.

(b) Does not arise.

Halt Station at Lalitpur

1247. Shri Mate : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there is a proposal to have a halt station at Lalitpur for the Southern Express trains running between Delhi and Madras ; and

(b) whether Itarsi-Jhansi/Bhusawal-Jhansi passenger trains can be extended upto Delhi or Mathura ?

The Miniter of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) There is no proposal to provide a halt of the Southern Expresses at Lalitpur station.

(b) There is also no proposal to extend either the Itarsi-Jhansi passenger trains to and from Delhi or Mathura. There is no spare line capacity available to extend these trains to these points.

तिरुचिरापल्ली के निकट हाई प्रेशर बायलर प्लांट

1248. श्री थेनगोंडर : क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री 21 फरवरी, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 232 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) तिरुचिरापल्लि के निकट तिरुवारम्बूर में हाई बायलर प्लांट स्थापित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक कितना वित्तीय विनियोजन हुआ है; और

(ग) इसमें कब से उत्पादन आरंभ हो जाने की आशा है

उद्योग तथा सम्भरण मन्त्रालय में भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) से (ग) कारखाने तथा अन्य सहायक सेवाओं के भवनों का निर्माण संतोषजनक रूप से हो रहा है। कारखाने क्षेत्र के अन्दर रेलवे साइडिंग से सम्बन्धित कार्य लगभग 75 प्रतिशत पूरा हो चुका है। चैकोस्लोवाकिया से मंगाया गया 36 प्रतिशत उपकरण तथा देश में से उपलब्ध किया गया 55 प्रतिशत उपकरण मिल गया है। विभिन्न श्रेणियों के 159 प्रशिक्षार्थी चैकोस्लोवाकिया में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। तुरन्त निर्माण के लिये स्वीकृत 1310 क्वार्टरों में से 508 बन कर तैयार हो गये हैं, शेष बनाये जा रहे हैं इस परियोजना पर 964·53 लाख रुपया अगस्त 1964 तक व्यय कर दिया गया है। आशा है कि उत्पादन जनवरी 1965 से आरंभ हो जायेगा।

दिल्ली किशनगंज से शकूरबस्ती तक दोहरी लाइन

1249. श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि दिल्ली किशनगंज से शकूरबस्ती तक दोहरी लाइन बिछाने की आवश्यकता है क्योंकि इस सैक्शन पर यातायात बहुत बढ़ गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है तथा लाइन के कब तक दोहरा कर दिये जाने की आशा है ?

रेलवें मन्त्रालय मे उपमन्त्री (श्री शामनाथ) : (क) और (ख) दिल्ली किशनगंज तथा शकूरबस्ती के बीच 7 किलोमीटर लाइन को दोहरा बनाने की आवश्यकता नहीं समझी गई क्योंकि तीसरी योजना के अन्त तक अथवा चौथी योजना के शुरू में इस लाइन पर उतना यातायात नहीं होगा। यातायात बढ़ जाने पर लाइन को दोहरा करने की आवश्यकता पर विचार किया जायेगा ।

हावड़ा-फिरोजपुर एक्सप्रेस ट्रेन

1250. **श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हावड़ा-फिरोजपुर एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब से तथा दिल्ली से फिरोजपुर को यह किस समय चलेगी तथा फिरोज़-पुर से दिल्ली को किस समय चलेगी ?

रेलव मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दियासलाइयों का उत्पादन

1251. **श्री म० प० स्वामी :** क्या **उद्योग तथा सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रति वर्ष "हैंड मेड" दियासलाइयों का कुल उत्पादन कितना है; और

(ख) प्रति वर्ष मशीन से बनी हुई दियासलाइयों का कितना उत्पादन है ।

उद्योग तथा सम्भरण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) :

(000 ग्रास बक्सों में आंकड़े)

	1960–61	1961–62	1962–63	1963–64
(क) प्रति वर्ष "हैंड मेड" दियासलाइयों का उत्पादन (बी, सी, तथा डी वर्ग के कारखाने) .	16491	18783	21996	18909
(ख) प्रति वर्ष मशीन से बनी हुई दियासलाइयों का उत्पादन .	28591	26675	28143	28546

सीमेंट के मूल्य

1252. **श्री राम हरख यादव :** क्या **उद्योग तथा सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अतिरिक्त मात्रा में सीमेंट का उत्पादन करने वाले कारखानों के सीमेंट के मूल्य बढ़ा दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रोत्साहन का ब्योरा क्या है ; और

(ग) उपभोक्ता मूल्य पर इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

उद्योग तथा सम्भरण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) 1964 के लिये बनाई गई प्रोत्साहन योजना में निश्चित किया गया है कि 1960, 1961 तथा 1962 के वार्षिक उत्पादन से अधिक 1964 में हुए उत्पादन के लिये कुछ उत्पादकों को अधिक मूल्य लेने की अनुमति दे दी जायेगी । वृद्धि प्रतिटन 2 रुपये 50 पैसे से 5 रुपये 50 पैसे है ।

(ग) इस वृद्धि का उपभोक्ता मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि उसको नहीं बढ़ाया गया है ।

पूरे वैगन माल के लिये तीव्रगति वाली ट्रांजिट सेवा

1253. **श्री राम हरख यादव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फरीदाबाद से कार्नाक पुल तक ही पूरे वैगन माल के लिये साप्ताहिक ली ट्रांजिट सेवा लागू की है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे सेवा का ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या तीव्रगति वाली सेवा के लिये कोई अतिरिक्त किराया लगाया गया है ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शामनाथ) : (क) जी हां ।

(ख) बुकिंग के दिन को निकाल कर 5 दिन के ट्रांजिट टाइम का लक्ष्य निश्चित करके 1-3-1964 से साप्ताहिक तीव्रगति वाली ट्रांजिट से एक पूरे वैगन के लिये लागू की गई है । यह सेवा केवल गुरुवार को चला करेगी ।

(ग) जी हां, कुल माल पर रुपये में 3 पैसे अधिक किराया लगगा जो कम से कम 30 पैसे होगा ।

साप्ताहिक चाय विशेष ट्रेन

1254. **श्री राम हरख यादव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर सीमा रेलवे ने एक साप्ताहिक चाय विशेष ट्रेन चालू की है जो नई जलपाई गुड़ी हो कर तिन्सुखिया चाय भांडागार तक चलेगी; और

(ख) यदि हां, तो विशेष ट्रेन चलने की समय सारणी क्या होगी तथा सेवा कब तक चलेगी ।

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शामनाथ) : (क) जी हां । यातायात मिलने पर ।

(ख) प्रत्येक सोमवार, को तीन विशेष गाड़ियां तिन्सुखिया से चलती ह तथा सात दिन में चाय भाण्डागार पहुंच जाती हैं ।

रेल कर्मचारियों का राष्ट्रीय संघ

1255. **श्री न० प्र० यादव :**
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल कर्मचारियों के राष्ट्रीय संघ ने सरकार से मांग की है कि उचित मूल्य की दूकानों के द्वारा स्थिर मूल्यों पर खाद्यान्नों की व्यवस्था करें; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) उचित मूल्य की दूकानों की स्थापना राज्य सरकारों से सम्बन्धित है । परन्तु रेलवे प्रशासन को परामर्श दिया गया है कि रेल कर्मचारियों की उपभोक्ता सहकारी समितियों अथवा राज्य के प्रमाणीकृत व्यापारियों के द्वारा रेल बस्तियों के निकट उचित मूल्य की दूकानें खोली जायें ।

सूडान को ऋण

1256. **श्री रा० गि० दुबे :**
श्री जसवन्त मेहता :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने सूडान को 5 करोड़ रुपये का ऋण दिया है जिससे वह बड़ी संख्या में भारतीय औद्योगिक मशीनें खरीद ले; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में एक करार किया गया है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां । सूडान को 5 करोड़ रुपये का ऋण उस समय दिया गया था जब सूडान के प्रजीडेंट मई, 1964 में भारत आये थे ।

(ख) अभी तक इस सम्बन्ध में कोई करार नहीं किया गया है परन्तु मामला विचाराधीन है ।

मद्रास तथा हैदराबाद के बीच एक्सप्रेस ट्रेन

1257. **श्री पें० वेंकटासुब्बया :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से मद्रास तथा हैदराबाद के बीच एक्सप्रेस गाड़ी चलाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० रामसुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) मद्रास तथा हैदराबाद के बीच सीधी ट्रेन चलाने में मुख्य कठिनाई लाइन क्षमता है। जब लाइन क्षमता उपलब्ध हो जायेगी तब इस सेवा को लागू करने के बारे में विचार किया जायेगा ।

पेटेंट कानून

1258. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **उद्योग तथा सम्भरण** मंत्री 17 अप्रैल, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2277 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पेटेंट्स के बारे में कानून में परिवर्तन करने में क्या प्रगति हुई है ?

उद्योग तथा सम्भरण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : पेटन्ट्स के बारे में एक विस्तृत विधेयक शीघ्र ही सभा में पेश किया जायेगा। यह वर्तमान अधिनियम के स्थान पर लागू होगा ।

दक्षिण अमरीका को व्यापार शिष्टमण्डल

1259. **श्री ओंकार लाल बैरवा** :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री राममेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में ही एक उच्चाधिकारयुक्त व्यापार शिष्टमंडल दक्षिण अमरीका का दौरा करने गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). एक व्यापार शिष्टमंडल जून-जुलाई, 1964 में ब्राजिल, अर्जन्टाइना, चिली, पेरू, बोलिविया, कोलम्बिया का दौरा करने गया है। प्रतिवेदन हाल में ही मिला है तथा वह विचाराधीन है ।

बार्सीलोना में अन्तर्राष्ट्रीय मेला

1260. **श्री रामेश्वर टांटिया** :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने जून 1964 में बार्सीलोना में हुए बार्सीलोना अन्तर्राष्ट्रीय मेले में भाग लिया था ;

(ख) इसमें कितना धन व्यय हुआ था ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि भारतीय मंडप के लिये अन्य भाग लेने वाले देशों की तुलना में कम स्थान दिया गया था ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां ।

(ख) इस काम के लिये 1,00,500 रुपये के व्यय की स्वीकृति दी गई थी ।

(ग) भारत का मेले में बड़ा मंडप था तथा हमको दी गई जगह पर्याप्त थी और हमारी मांग के अनुसार थी ।

Electrification on Railway Lines

1261. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(*a*) the names of the Railway lines on which the work of electrification is going on and the time by which the same will be completed ; and

(*b*) the reasons why steam engines are used on the lines which have been electrified ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath): (*a*) and (*b*) A statement is attached. [*Placed in Library See. No. LT-3244/64.*]

Manufacture of Typewriters

1262. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shri S. C. Samanta :
Shrimati Savitri Nigam :

Will the Minister of **Industry and Supply** be pleased to state the progress made towards the manufacture of typewriters and the steps taken to attain self-sufficiency in this connection ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry and Supply (Shri Bibudhendra Misra) : Five units in the large-scale sector have been licensed for the manufacture of Standard and Portable size typewriters with a total capacity of 91,400 Nos. per annum. Letters of intent have been issued to two of these units for a total additional capacity of 24,000 Nos. per annum. A letter of intent is also being issued for setting up a new unit. Out of the five units licensed, four are already in regular production. In the small-scale sector, there are two units for portable typewriters with a total installed capacity of 3,200 Nos. per annum.

The estimated demand for typewriters at the end of the Third Plan period is 1 lakh Nos. and steps are being taken to create additional capacity

for meeting this demand and the larger demand expected to develop in the Forth Plan period. The production of typewriters has been increasing progressively as follows:—

1961	31,101 Nos.
1962	36,320 Nos.
1963	42,397 Nos.

Production in 1965 is estimated at 60,000 Nos. Since a large number of intricate parts are involved in this industry the indigenous development of which can be done only in a progressive manner, it takes some time for manufacturers to achieve their full licensed capacity and to dispense with the import of components.

Import standard and portable typewriters (manually operated) is totally banned and the entire requirement of the country is being met from indigenous production.

लंका से व्यापार

1263. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिजय** मंत्री 20 मार्च, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1347 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लका के शिष्टमंडल द्वारा दी गई ऋण सुविधा के अधीन लंका भारत से जिन वस्तुओं को लेंना चाहता है उनकी सूची की इस बीच जांच हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय लिया गया है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्रीमनुभाई शाह): (क) और (ख). जी हां। लंका सरकार को उन वस्तुओं की सूचना दे दी गई है जिनको लंका भारत से ऋण सुविधाओं के अधीन लें सकते हैं।

बीकानेर में बर्सटेड यार्न मिल

1264. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में राजस्थान में बीकानेर में एक वर्सटड यार्न मिल स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्योरा क्या है; और

(ग) मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

हरी तथा काली चाय

1265. **श्री हेमराज** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या भारतीय मानक संस्था का विचार हरी तथा काली चाय के मानकों का विश्लेसूषण करने का तथा निश्चित करने का है ;

(ख) क्या एक सामान्य मानक निश्चित करने का है अथवा चाय उगाने वाले क्षेत्रों का विकसित, अविकसित तथा उपेक्षित क्षेत्रों के आधार पर निश्चित करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) से (ग) विभिन्न क्षेत्रों, मौसमों तथा श्रेणियों के आधार पर काली चाय के लिये एक न्यूनतम मानक तथा हरी चाय के लिये दूसरा न्यूनतम मानक निश्चित करने का भारतीय मानक संस्था का विचार है । प्रस्तावित मानकीकरण का मुख्य उद्देश्य मिलावट रोकने के लिये पर्याप्त रक्षोपाय रखने का है । स्वास्थ्य की दृष्टि से यह न्यूनतम मानक है तथा व्यापारिक दृष्टि से किस्म मानक नहीं है ।

कांगड़ा में अखबारी कागज का कारखाना

1266. **श्री हेमराज** : क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कांगड़ा में एक अखबारी कागज का कारखाना स्थापित करने के लिये जिस पक्ष को लाइसेंस दिया गया है, क्या उस के विदेशी सहयोगियों ने हिमालय व्यास बेसिन की बन-सम्पति का सर्वे क्षण कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला ?

उद्योग तथा सम्भरण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र): (क) और (ख) यह बताया गया है कि विदेशी विशेषज्ञ ने व्यास बेसिन की वन-सम्पति का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है और अपना प्रतिवेदन भारतीय कम्पनी के साथ सहयोग करने वाली कनाडा की कम्पनी को दे दिया है । भारतीय कम्पनी का ए क प्रतिनिधि शीघ्र ही इस प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देने सम्बन्धी बार्ता में भाग लेने के लिये कनाडा जा रहा है ।

जवानबाला से गुलेर तक रेलवे लाइन

1267. **श्री हेमराज** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवानवाला शहर से कांगड़ा घाटी के गुलेर तक पुनर्स्थापित रेलवे लाइन (छोटी लाइन) के परियोजना प्रतिवेदन और प्राक्कलनों को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह परियोजना कब से आरम्भ की जायेगी और पुनर्स्थापित रेलवे लाइन किन किन क्षेत्रों से हो कर गुजरेगी ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाम नाथ): (क) रेलव द्वारा तैयार किये गये प्रयोजना प्रतिवेदन और प्राक्कलन पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) क्योंकि प्रस्तावित मोड़ व्यास बांध के निर्माण के कारण आवश्यक हो गया है, इसकी लागत ब्यास परियोजना प्रशासन को देनी होगी । उन्होंने सर्वेक्षण की लागत स्वीकार कर ली है । अभी यातायात सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार नहीं है । निर्माण-कार्य सभी प्रकार से इंजीनियरी और यातायात प्राक्कलनों की जांच करने के बाद और उसके बाद परियोजना के लिये और इसके वित्तीय पहलुओं के बारे में पंजाब सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही आरम्भ किया जा सकेगा ।

अब जिस मार्ग का सर्वेक्षण किया गया है वह हरसार, अमलेला, नागरोता, सूरियां और नन्दपुर होकर जाता है ।

कांगड़ा में ऊन कताई मिलें

1268. श्री हेमराज : क्या **वाणिज्य** मंत्री 10 अप्रैल, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2062 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांगड़ा जिले में एक ऊन कताई मिल स्थापित करने के पंजाब सरकार के प्रस्ताव का परीक्षण कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) जी, हां ।

(ख) सरकार ने कांगड़ा जिले में सहकारी क्षेत्र में वर्सटेड धागे से भिन्न ऊनी धागा तैयार करने के लिये 600 तकुओं वाली एक ऊन कताई मिल स्थापित करने के पंजाब सरकार के एक प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है । यह मिल ऊनी धागा केवल भारतीय धागे से बनायेगी । कपड़ा आयुक्त से इस प्रयोजन के लिये पंजाब सरकार को आवश्यक पर्मिट देने को कहा गया है ?

नेपाल के साथ व्यापार करार

1269. श्री श्रीनारायणदास : क्या **वाणिज्य** मंत्री 14 फरवरी, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 97 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब नेपाल सरकार के साथ कोई दीर्घ-कालीन व्यापार करार करना सम्भव है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह): (क) और (ख) भारत और नेपाल के बीच पहले ही एक व्यापार और परिवहन संधि है जो 31–10–65 तक लागू रहेगी । किसी भी पक्ष द्वारा इसको पहले ही समाप्त न किये जाने पर इस में सहमत संशोधनों सहित इसको पांच वर्षों तक और बढ़ाया जा सकता है । इस संधि को बढ़ाने के प्रश्न पर एच० एम० जी० नेपाल के साथ आगामी व्यापारिक वार्ता के दौरान विचार किया जा सकता है ।

किराये और रायल्टी की बट्टे खाते की रकम

1270. श्री काशीराम गुप्त : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात संयंत्रों के लिये लोहे और अन्य अयस्कों के खनन पट्टों पर सरकार के कुछ उच्च निर्णय लागू होते हैं जिन में खनन पट्टों के अन्तर्गत किराये और रायल्टी की बट्टे खाते की रकम को "पूंजी व्यय" माना गया है और क्या इसका संयंत्रों के लागत ढांचे और अर्थ-व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा ;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या उपाय अपनायेगी ; और

(ग) क्या इन उपायों को सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में और बड़े तथा छोटे दोनों प्रकार के खनिजों पर लागू किया जायेगा ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) भारत सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं किया है । संभवतः निर्देश मेसर्ज गोटन लाइम सिन्डीकेट के हाल के मामले की ओर है, जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि पट्टेधारी द्वारा पूंजी आस्ती लेने के बदले देय किराये की बट्टेखाते की रकम पूंजी व्यय के प्रकार की है । किसी व्यय को पूंजी व्यय अथवा राजस्व व्यय मानने या इसको आय-कर के अन्तर्गत छूट देने का सिद्धान्त सभी वर्गों के पट्टेधारियों पर लागू होता है चाहे वे सरकारी क्षेत्र में हों या गैर-सरकारी क्षेत्र में हों और सभी प्रकार के खनिजों पर लागू होता है । तथापि, क्योंकि खनिजों पर, किराये और रायल्टी की बट्टेखाते की रकम को पूंजी व्यय मानने का प्रश्न अभी सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष है, इस्पात संयंत्रों के लागत ढांचे और अर्थ-व्यवस्था पर उच्च न्यायालय के निर्णय के प्रभावों का विस्तृत रूप से अध्ययन नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग). उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए ये प्रश्न ही नहीं उठते ।

शाहदरा-सहारनपुर रेलवे

1271. **श्री सोलंकी :**
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी भी शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे का प्रबन्ध और संचालन एक गैर-सरकारी फर्म के हाथ में है; और

(ख) यदि हां, तो इसको सरकार द्वारा न लिये जाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाम नाथ): (क) जी, हां । कुछ अन्य लाइट रेलवे पर भी इसी प्रकार गैर-सरकारी स्वामित्व और गैर-सरकारी प्रबन्ध है ।

(ख) शाहदरा–सहारनगपुर लाइट रेलवे कम्पनी के साथ हुए करार के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार हर सात वर्षों के बाद इस लाइन को खरीद सकती है । इस रेलवे को खरीदने के प्रश्न पर वर्ष 1962 में विचार किया गया था जब कि पिछला खरीदने का विचार होना था ; इसके वित्तीय पहलुओं समेत सभी बातों पर विचार करने के बाद पता लगा कि इसको खरीदना सार्वजनिक हित में नहीं है । अब इस प्रश्न पर वर्ष 1969 में विचार किया जायेगा ।

अफ्रीका के साथ व्यापार

1272. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछली बार हिसाब लगाये जाने पर पता लगा है कि संयुक्त अरब गणराज्य और उत्तरी और पूर्वी अफ्रीका के नये स्वतंत्र हुए देशों द्वारा आयात में भारत का अंश दो प्रतिशत से कम था ;

(ख) क्या सरकार ने इन देशों के साथ पारम्परिक वस्तुओं के व्यापार का संरक्षण देते समय भारत के व्यापार को बढ़ाने की संभावना पर विचार किया है ; और

(ग) क्या दीर्घ-कालीन द्विपक्षीय समझौता लागू करने के लिये कोई कदम उठाये गये हैं जिस से ये देश भारतीय वस्तुओं की वस्तु-विनिमय के आधार पर खरीद की गारंटी दे सकें ।

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह): (क) वर्ष 1962 में सूडान और संयुक्त अरब गणराज्य के कुल आयात में हमारा अंश क्रमश 8.5 प्रतिशत और 3.6 प्रतिशत रहा । तीन पूर्वी अफ्रीकी देशों [केन्या, युगाण्डा और तांगानीका (तांगानीका और जंजीवार का संयुक्त संघ)] के मामले में हमारा अंश 4.7 प्रतिशत था । केवल ट्यूनीशिया, मोरक्को, अल्जीरिया और लीबिया के मामले में ही यह एक प्रतिशत से कम रहा ।

(ख) जी, हां ।

(ग) हमने संयुक्त अरब गणराज्य, ट्यूनीशिया और मोरक्को के साथ व्यापार करार कर लिये हैं । इन करारों में इन देशों से इनकी प्रमुख निर्यात वस्तुओं जैसे रूई और राक फोस्फेट आयात करने और भारत द्वारा अपनी निर्मित और गैर-निर्मित वस्तुओं का निर्यात करने की व्यवस्था है । इन क्षेत्रों में कुछ अन्य देशों के साथ व्यापार सम्बन्धी वार्ता करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं ।

पाकिस्तान से मछली का आयात

1273. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुक्त सामान्य लाइसेन्स (ओपन जनरल लाइसेंस) के अन्तर्गत नदी मार्ग से पाकिस्तानी मछली के आयात को नियमित करने के लिये क्या व्यवस्था की गयी है; और

(ख) क्या यह सच है कि संकार-जलालपुर मार्ग से पूर्वी पाकिस्तान से आयातित कछ मछली की मात्रा वर्ष 1959 में 95,८00 मन से घट कर वर्ष 1962 में 59864 मन रह गयी है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह): (क) पूर्वी पाकिस्तान से मुक्त सामान्य लाइसेन्स के अन्तर्गत "मछली-नमकीन, गीली और मछली जो अन्यथा निर्धारित न हो" के भारत में किसी भी मार्ग से आयात की अनुमति है । जब तक मुक्त सामान्य लाइसेन्स वैध रहता है और उस दौरान आयात किया जाता है, तब तक इसके अन्तर्गत नदी मार्ग से मछली का आयात नियमित करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ख) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, संकारा–जलालपुर मार्ग से पूर्वी पाकिस्तान से मछली का आयात वर्ष 1959 में 95,223 मन से घट कर वर्ष 1962 में 69,767 मन रहा ।

दुर्ग राजहेरा रेलवे लाइन

1274. श्री राम सहाय पाण्डेय : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुग- राजहेरा रेलवे लाइन को बेलाडिल्ला तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण-कार्य कब आरम्भ होगा ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गुना और ग्वालियर के बीच रेलवे सम्पर्क

1275. **श्री राम सहाय पाण्डेय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुना-मक्षी लाइन से मिला कर एक बड़ी लाइन द्वारा गुना को ग्वालियर से मिलाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है ?

रेलवे मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री शाम नाथ): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Iron ore Mining

1276. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Bagri :
Shri Bade :
Shri Rama Chandra Mallick:

Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the iron ore mining is making rapid progress in the country ;

(b) if so, the production target fixed for this year;

(c) the quantity of iron ore mined this year, so far; and

(d) the names of such mines?

The Minister of Steel and Mines (Shri Sanjiva Reddy): (a) and (b). There has been significant progress in mining of iron ore in the country. Although no year-wise target for the production of iron ore is fixed, it is proposed to develop by the year 1965-66 a capacity target of 32 million tons per annum to meet the requirements of domestic industries and export.

(c) The quantity of iron ore produced during the current year upto July, 1964 was 8,509,723 tonnes excluding the output from Goa. The production of iron ore in Goa upto June, 1964 was 2,816,196 tonnes.

(d) A statement containing the names of principal iron ore mines producing a lakh tonnes or more per annum is placed on the Table of the House. [*Placed in Library. See No. L. T.* 3245/64.]

पहाड़ी क्षेत्रों का भूतत्वीय सर्वेक्षण

1277. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पंजाब के पिछड़े हुए पहाड़ी क्षेत्रों का भूतत्वीय सर्वेक्षण करेगी ताकि उन्हें विकसित क्षेत्रों के समान बनाया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) और (ख). इन क्षेत्रों का भूतत्वीय सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। आशा की जाती है कि पांचवीं योजना के अन्त तक पंजाब के समूचे पहाड़ी क्षत्रों का एक इंच-एक मील के स्तर से माप लिया जायेगा।

उत्तर-सीमान्त रेलवे में भीड़भाड़

1278. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
श्री ह० प० चटर्जी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर-सीमान्त रेलवे में सिंहबाद और माल्दा के बीच चलने वाले डिब्बों की संख्या को पांच से घटा कर दो कर दिया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस गाड़ी पर भीड़भाड़ बहुत अधिक रहती है जिस से जनता को बड़ी असुविधा होती है ; और

(ग) इस गाड़ी में अधिक डिब्बे क्यों नहीं लगाये जाते हैं ?

रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग). सिंहबाद-माल्दा टाउन सेक्शन पर चलने वाली गाड़ियों में 18–6–1964 से इन का कम इस्तेमाल होने के कारण डिब्बों की संख्या पांच से घटा कर चार कर दी गयी है ?

Shortage of Steel

1279. **Shri Balmiki :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there was a shortage of steel in the country upto the third week of September, 1964 ;

(b) whether it is also a fact that even implements of daily use are not available to the farmer ; and

(c) the steps being taken to meet this shortage ?

The Minister of Steel and Mines (Shri Sanjiva Reddy): (a) It is true that there is shortage of steel in the country at present, particularly of mild steel flat products and categories of tool, alloy and special steels.

(b) Due to the overall shortage of some categories of steel, agricultural implements fabricated from these categories are also in short supply.

(c) Steps are being taken to increase indigenous production of the categories of steel which are in short supply at present by way of expansion of capacity of the existing steel plants and also by the creation of fresh capacity. Imports are also being arranged to the extent possible within the limited foreign exchange available and also by barter. Steps are also being taken to design agricultural implements as far as possible on readily available materials.

निर्यात में कमी

1280. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री गोकुलानन्द महन्ती :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, 1964 में भारतीय निर्यात के मूल्य में कमी का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो किन वस्तुओं का निर्यात कम हुआ; और

(ग) इस कमी के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह): (क) से (ग). वर्ष 1963 की अपेक्षा मई, 1964 में निर्यात में थोड़ी सी कमी हुई। मई, 1964 में 63·90 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ जब कि मई, 1963 में 64.16 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ था। कमी मुख्यतः चाय, चीनी, पटसन, और बनस्पति तेलों में हुई। यह कमी मुख्यतः बनस्पति तेलों के उच्च आंतरिक मूल्य, निर्यात के लिये चीनी की कम उपलब्धि और पत्तनों पर कठिनाई की स्थिति जैसे अस्थायी कारणों से हुई। तथापि, जून में इस कमी से भी अधिक निर्यात किया गया और यह 72 करोड़ रुपये रहा जो कि जून, 1963 में निर्यात की अपेक्षा 16 करोड़ रुपये अधिक है।

China Clay Deposits in Udiapur

1281. Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a big reserve of china clay has been located at Noomra in Udaipur district of Rajasthan;

(b) if so, whether Government propose to exploit the same ; and

(c) when this work is likely to commence ?

The Minister of Steel and Mines (Shri Sanjiva Reddy): (a) During the course of geological investigations done by the Geological Survey of India in the year 1962-63 a China Clay deposit was located near Umra in the Udaipur district. The inferred reserve of China Clay in this deposit is stated to be of the order of about 4 million tonnes.

(b) and (c). The question of exploitation will arise only after detailed exploration of the deposit is done. Such detailed exploration is likely to be taken up by the Geological Survey of India during the field season 1964-65.

कथारा कोयला खान

1282. **श्री प्र० के० देव** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हजारी बाग जिले में कथारा कोयला खान के श्रमिकों ने हाल में हड़ताल कर दी थी;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उन्होंने अपना काम आरम्भ कर दिया है; और

(घ) इस हड़ताल से कितने जन-घंटों की क्षति हुई ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां ।

(ख) यद्यपि कोई कारण नहीं बताया गया फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि हड़ताल आकस्मिक श्रमिकों की सेवायें समाप्त करने के कारण की गयी, जिस के लिये कोई पूर्व सूचना नहीं दी गयी थी ।

(ग) जी, हां ।

(घ) हड़ताल 22-6-64 को प्रातः 6 बजे आरम्भ हुई क और काम 25-6-64 को प्रातः 6 बजे आरम्भ हुआ । कुल मिला कर 289 जन-दिनों की क्षति हुई ।

देवगढ़ मदारिया स्टेशन के समीप रेल-मोटरगाड़ी टक्कर

1283. **श्री प्र० के० देव :**
श्री रामचन्द्र मलिक :
श्री द्वा० ना० तिवारी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 15 जून, 1964 को मध्य रेलवे के देवगढ़ मदारिया और कौंथाल स्टेशनों के बीच एक बिना चौकीदार वाले लेबल क्रासिंग पर एक रेलगाड़ी राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड की एक पिक-अप गाड़ी से टकरा गई;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस दुर्घटना के फलस्वरूप कितने जन-धन की हानि हुई ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी, हां ।

(ख) जांच के लिये नियुक्त की गयी जांच समिति की उपपत्तियों के अनुसार, दुर्घटना मोटर गाड़ी के चालक की असावधानी के कारण हुई ।

(ग) इस दुर्घटना के फलस्वरूप चार व्यक्तियों की मृत्यु हुई । रेलवे सम्पत्ति को कोई क्षति नहीं हुई ।

सम्बलपुर टिटलागढ़ रेलवे लाइन

1284. **श्री प्र० के० देव :**
श्री सोलंकी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे पर टिटलागढ़ और सम्बलपुर के बीच रेलगाड़ियां कब चलने लगेंगी;

(ख) झरसुगुड़ा-संबलपुर सवारी गाड़ी को टिटलागढ़ तक चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) क्या इस लाइन पर कोई एक्सप्रैस गाड़ी चलाने का प्रस्ताव है ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख) प्रथम और तृतीय श्रेणी के स्थानों वाली एक गाड़ी टिटलागढ़ और बोलांगीर के बीच 1 अप्रैल, 1964 से चला दी गई है। बोलांगीर सम्बलपुर भाग सवारी गाड़ियां चलाने के लिये उपयुक्त नहीं है । आशा है कि 1965 के आरम्भ तक यह भाग सवारी गाड़ियों के चलाये जाने के लिये उपयुक्त हो जायेगा । तब झरसागुडा और सम्बलपुर

और टिटलागढ़ के बीच गाड़ियों का एक जोड़ा चलाने का विचार है। फिर, बोलांगीर और टिटलागढ़ के बीच इस समय जो मिश्रित डिब्बों की गाड़ियां चल रही हैं उन्हें बन्द कर दिया जायेगा।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

साइकिलों और ट्रैक्टरों का निर्माण

1285. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **उद्योग तथा सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में साइकिलों और ट्रैक्टरों के पुर्जों के निर्माण के कितने सहायक एकक हैं;

(ख) इन एककों का वार्षिक उत्पादन क्या है; और

(ग) 1963–64 में केन्द्रीय सरकार ने इन एककों को कितनी सहयाता दी ?

उद्योग तथा सम्भरण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र): (क) से (ग). जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

उत्तर रेलवे के चुराये गये डैन्मो

1286. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, 1964 में उत्तर रेलवे सुरक्षा पुलिस ने बड़ी मात्रा में चोरी की गई डैन्मो लाइट बरामद की;

(ख) यदि हां, तो कितनी डैन्मो लाइट बरामद की गई है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) अप्रैल, 1964 में ऐसी किसी घटना की जानकारी नहीं मिली है । शायद माननीय सदस्य का तात्पर्य जून, जुलाई और अगस्त, 1964 में डैन्मो पेटियों की बरामदगी के मामले से है ।

(ख) ऊपर दी गई अवधि में 1227 फुट डैन्मो पेटियां, जिन का मूल्य 2,500 रु० था, बरामद की गई थीं ।

(ग) एक गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा बताये गये सुराग पर उत्तर रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रोहतक जिला पुलिस के सी० आई० ए० के कर्मचारियों के सहयोग से मारे गये छापे के फलस्वरूप पंजाब के विभिन्न कस्बों में कई छोटे छोटे मिल मालिकों के कब्जे से डाइनमों की पेटियां मिली हैं और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 411 और रेलवे सामान अवैध कब्जा अधिनियम, 1957 की धारा 3 के अन्तर्गत 30 मिल मालिकों को गिरफ्तार किया गया है। रेलवे मंत्रालय का यह मत है कि गुप्त सूचना प्राप्त करने में जोनल रेलवे के अपराध गुप्त वार्ता विभागों को सुदृढ़ बनाना लाभ प्रद होगा ।

Train-Bullock-cart collision on N. E. Railway

1287. Shri Vishwa Nath Pandey: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a bullock-cart was crushed by a train between Khada-Siswabazar stations on Chhitaunighat-Gorakhpur

branch line section of the North Eastern Railway on the 15 th April, 1964 as a result of which both the bullocks were killed and the cartman seriously injured; and

(b) if so, the cause the reof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) Yes. The cartman sustained only minor injuries.

(b) The accident was due to the negligence of the cartman who attempted to pass the level crossing in the face of the approaching train.

सरकारी उपक्रम

1288. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री बुलश्वर मीना :

क्या **उद्योग तथा सम्भरण** मंत्री 10 अप्रैल, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 1004 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच सरकारी उपक्रमों में उजरत के संबंध में भारतीय लोक प्रशासन संस्था की सिफारिशों पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

उद्योग तथा सम्भरण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख). जब कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों की मजूरी के प्रश्न पर भारतीय लोक प्रशासन संस्था द्वारा किये गये अध्ययन में उठाई गई विभिन्न बातों की जांच की जा रही थी, प्राक्कलन समिति ने भी, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों संबंधी नीतियों पर अपने 52 वें प्रतिवेदन में, सरकारी उपक्रमों में मजूरी के संबंध में कुछ टिप्पणियां और सिफारिशें की हैं। सरकार अब, इस प्रश्न पर और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों संबंधी नीति के सम्बद्ध प्रश्नों पर, प्राक्कलन समिति की इन सिफारिशों पर विचार कर रही है। संस्था द्वारा किये गये अध्ययन में उठाये गये प्रश्नों पर जब भी उचित समझा जायेगा, इस जांच के दौरान विचार किया जायेगा जो कि अभी पूरी नहीं हुई है।

ओठा गांव में पुराने अस्थि पंजर का पता लगना

1289. **श्री अ० ना० विद्यालंकार :**
श्री प्र० के० देव :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से लगभग 72 मील दूर, जिला गुड़गांव के ओठा नामक गांव में, हाल ही में, एक 14 फुट के मानव अस्थि पंजर का पता लगा है;

(ख) क्या उसे सुरक्षित रख लिया गया है और क्या विशेषज्ञों ने अस्थि पंजर की जांच कर ली है; और

(ग) यदि हां, तो उन्हों ने अपने प्रतिवेदन में क्या कहा है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग). जी, नहीं। 29 जुलाई, 1964 के "स्टेट्समैन" में प्रकाशित एक समाचार के अनुचार भारतीय भू-तत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने

स्थान का निरीक्षण किया और पता लगा कि अस्थि-पंजर के अवशेष का एक 'चर्वणक इलीफासा' जीनस से संबंध रखता था। पुरातत्वीय अधीक्षक ने कलैक्टर, गुड़गांव से अस्थि-पंजर की उचित देखभाल के लिये प्रबन्ध करने को कहा ।

पार्सल क्लर्क

1290. **श्री गुलशन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत १५ वर्षों से दिल्ली क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे कुल कितने पार्सल क्लर्क और परमानेन्ट वे इंस्पैक्टर्स हैं जिन्हों ने अपने मकान बना लिये हैं और अन्य सम्पत्ति प्राप्त की है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में उन्हों ने रेलवे प्रशासन को सूचना दे दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन सम्पत्तियों और मकानों के निर्माण के लिये उन की आय के स्रोतों का पता लगाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग). जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली स्टेशन से पार्सलों का भेजा जाना

1291. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२ और १९६३ में दिल्ली मेन रेलवे स्टेशन के डिपुटी स्टेशन सुपरिन्टेन्डेन्ट, स्टेशन मास्टरों और चीफ पार्सल क्लर्क ने कितनी बार दलालों और व्यापारियों को प्रतिबंधित गाड़ियों से पार्सल भेजने की आज्ञा दी ;

(ख) क्या इन सभी मामलों में इन पार्सलों के भेजने की आवश्यकता के बारे में, आज्ञा देने से पूर्व, अधिकारियों द्वारा स्पष्टीकरण संबंधी आवेदन पत्र प्राप्त किये गये थे; और

(ग) क्या किसी सक्षम प्राधिकारी ने इन अधिकारियों को ऐसा करने की आज्ञा दी थी ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाम नाथ) : (क) से (ग) स्टेशन सुप्रिन्टेण्डेट, दिल्ली मेन, एक राज पत्रित अधिकारी है जो प्रतिबन्धित गाड़ियों से पार्सल भेजने की आज्ञा देने के लिये सक्षम है और उसने ये शक्तियां डिप्टी स्टेशन सुप्रिन्टेन्डेंट, स्टेशन मास्टर और चीफ पार्सल क्लर्क दिल्ली को दे रखी है जो उसकी ओर से आज्ञा देते हैं। यह प्रक्रिया दिल्ली मेन पर वर्षों से चालू है । अधिकांश मामलों में यह आज्ञा स्वयं फारवर्डिंग नोट पर ही उस समय दी जाती है जिस समय कि बिल्टी भेजने वाले व्यक्ति बिल्टी सौंपते हैं और स्टेशन पर अधिकारियों से प्रतिबन्धित गाड़ियों से माल भेजने के लिये आज्ञा देने के लिये कहते हैं । आम तौर पर यह आज्ञा प्राप्त करने के लिये कोई पृथक आवेदन पत्र नहीं दिया जाता । तथापि, कुछ मामलों में यह आज्ञा देने के लिये पृथक आवेदन पत्र भी प्राप्त किये गये हैं । सम्बन्धित अधिकारियों को हिदायतें दी गई हैं कि आज्ञा देने से पूर्व वे सभी बातों को ध्यान में रख कर प्रार्थना की यथार्थता के बारे में अपने आप को संतुष्ट कर लें ।

1962 और 1963 में कितनी बार आज्ञा दी गई इस सम्बन्ध में जानकारी नहीं रखी गई है।

कलकत्ता के गिर्द गोल रेलवे

1292. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के गिर्द प्रस्तावित गोल रेलवे के निर्माण के लिये पूर्वी रेलवे के चितपुर यार्ड को काम में लेने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शामनाथ) : (क) और (ख) कलकत्ता मेट्रोपोलिटन प्लानिंग आर्गेनाइजेशन गोल रेलवे की संभाव्यता के प्रश्न की जांच कर रही है। अब तक कई विकल्पों पर विचार किया गया है। परन्तु योजना पर अभी अन्तिम रूप से निर्णय नहीं किया गया है ।

रबड़ के कारखाने

1293. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में रबड़ के कुल कितने कारखाने हैं; और

(ख) उन में से कितने कारखाने विदेशी सहयोग से चल रहे हैं ?

उद्योग तथा सम्भरण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) बड़े पैमाने के क्षेत्रों में 75 और छोटे पैमाने के क्षेत्र में 348।

(ख) 14 (बड़े पैमाने के क्षेत्र में) ।

पटसन के क्रय केन्द्र

1294. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राथमिक उत्पादकों के फायदे के लिये पटसन उगाने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में क्रय केन्द्र स्थापित करने के लिये राज्य व्यापार निगम द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ख) उड़ीसा राज्य में इस प्रकार के कितने केन्द्र खोलने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख) राज्य व्यापार निगम राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और पटसन पैदा करने वाले विभिन्न राज्यों में इसके सदस्यों के द्वारा पटसन की खरीद करता है। उड़ीसा में, खरीद मुख्यत: पटसन सहकारी विपणन समिति लिमिटेड, दानपुर अथवा इसकी सम्बद्ध क्रय समितियों, जिसमें 1 गौण मण्डी और 20 माल भेजने वाले केन्द्र शामिल हैं, के द्वारा की जाती है। चालू मौसम में खरीद करना आवश्यक नहीं समझा गया है क्योंकि मूल्य समर्थक मूल्यों से कहीं ऊंचे हैं जिसका कारण यह है कि पाकिस्तान और भारत में हल्की फसल हुई है।

सवारी गाड़ी के डिब्बे

1295. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना की समाप्ति पर सवारी गाड़ी के डिब्बों का क्या लक्ष्य रखा गया था और अब तक कितने डिब्बे बनाये गये हैं; और

(ख) चौथी योजना की समाप्ति पर कितने डिब्बे बन जायेंगे ?

रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) **लक्ष्य (तृतीय योजना का अन्त)**

700 डिब्बे प्रति वर्ष (बड़ी लाइन के तीसरी श्रेणी के डिब्बे) इन्टिगरल कोच फैक्टरी, पीराम्बुर से ।

300 डिब्बे प्रति वर्ष हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड, बंगलौरर से और

380 डिब्बे प्रतिवर्ष मैसर्स जैसोप एंड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता से ।

कुल 1380

उत्पादन (तीसरी योजना क अन्त पर)

आशा है कि ऊपर दिये गये लक्ष्य पूरे कर लिये जायेंगे ।

(ख) चौथी योजना के लिये डिब्बों के उत्पादन से लक्ष्य पर विचार किया जा रहा है और राष्ट्रीय योजना के तैयार किये जाने के पश्चात् इस पर अन्तिम निर्णय किया जायेगा ।

दक्षिण पूर्व रेलवे स्टेशनों पर ढांचा बदलना

1296. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे पर अन्दुल और अन्य स्टेशनों के ढांचे बदलने का काम कब पूरा हो जायेगा; और

(ख) इस कार्य पर कुल क्या व्यय होगा ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख) दक्षण पूर्व रेलवे के होड़ाखड़गपुर भाग पर अब्दुल समेत 14 स्टेशन के लूपों के विस्तार का कार्य चालू है और इस कार्य पर 305.66 लाख रु० खर्च होने का अनुमान है । आर्य प्रगति पर है और 1964 के अन्त तक इसके पूरा हो जाने की आशा है ।

पठानकोट में पारगमन माल शेड

1297. **श्री हेम राज** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पठानकोट में बड़ी और छोटी लाइन के बीच बना हुआ पार-गमन माल शेड चूता है और उसमें बहुत थोड़ी जगह है और इसके परिणामस्वरूप व्यापारियों द्वारा बुक कराया गया कीमती माल बिगड़ जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इन कमियों को दूर करने और बुक कराये गये माल को अच्छी हालत में देने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पठानकोट में यात्रियों के लिये शेड संख्या 5 को अधिक चौड़ा करने के लिये अभ्यावेदन किये गये थे; और

(घ) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) यह सच है कि 29-7-64 और 14-7-64 से 18-8-64 तक भारी वर्षा के कारण शेड चूने लग गया था। कोई कीमती माल खराब नहीं हुआ था क्योंकि माल को तिरपालों द्वारा रक्षित रखा था। माल शेड पर सामान्य यातायात के लिये रोड का वर्तमान क्षेत्रफल पर्याप्त है।

(ख) शेड की छत के सुराखों को भर दिया गया है और उसके बाद पानी नहीं निकला है।

(ग) जी हां।

(घ) शेड को चौड़ा करने का प्रश्न रेलवे के विचाराधीन है।

समुद्री तार का निर्माण

1298. **श्री मि० सू० मूर्ति :**
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या उद्योग तथा सम्भरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री तार के निर्माण के लिये दूसरा एकक स्थापित करने के लिये कोई निर्णय किया गया है, और

(ख) यदि हां, तो वह किस स्थान पर स्थापित किया जायेगा ?

उद्योग तथा सम्भरण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र): (क) जी, हां।

(ख) मामला विचाराधीन है

त्रिपुरा में चाय बागान

1299. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में अनेक चाय बागान आर्थिक आधार पर नहीं चलाये जाते हैं ;

(ख) क्या उन में से कुछ को बन्द कर दिया गया है, और यदि हां, तो उन बागों के क्या नाम हैं ?

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने मजदूर और कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं ; और

(घ) इन बागों को आर्थिक आधार पर पुनर्गठित करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री स० वें० रामस्वामी): (क) यदि आर्कि आधार से अर्थ 'लाभप्रद' से है, तो त्रिपुरा के बहुत कम बागों को अलाभप्रद कहा जा सकता है । यदि इसका अर्थ यह है कि क्या बागान द्वारा उन के विकास और संधारण के लिये पर्याप्त मुनाफा नहीं हो रहा है, तो अधिकांश बागान को अलाभप्रद कहा जा सकता है ।

(ख) और (ग) हाल ही में किसी चाय के बाग को बन्द नहीं किया गया है । तथापि, 1962–63 से पूर्व पांच चाय बागान, अर्थात्, प्रतापगढ़, राजलक्ष्मी, जादवनगर, सुरमा, और जामथम, जिन में लगभग 125 मजदूर काम करते थे, बन्द कर दिये गये थे ।

(घ) त्रिपुरा में चाय बागान की समस्यों की, चाय बोर्ड ने प्रशासन तथा उत्पादकों की संस्था के परामर्श से जांच कर ली है । उत्पादकों की संस्था ठोस प्रस्ताव बना रही है जिन पर चाय बोर्ड तुरन्त ध्यान देगा ।

Damage to Railways by Floods

1300. Shri P. L. Barupal: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(*a*) whether the Railway Board has formulated any scheme to prevent damage in future to the Railway track resulting in dislocation of traffic by flood in Ghaggar river every year ;

(*b*) the total loss sustained in freight earnings by the Railways as a result of the closing down of the railway lines due to the flood in Ghaggar river form the date of the closing down of the railway lines till 1st September, 1964 ;

(*c*) the loss sustained in earnings form passenger traffic on that very count ; and

(*d*) the estimated expenditure incurred on the repair of track damaged due to these floods ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (*a*) The Railway Board has not formulated any separate scheme because the problem involves flooding not only the Railway track but also the vast areas of land including Suratgarh Farms in the Rajasthan State. However, the Committee of the Chief Engineers of Central Water & Power Commission, Rajasthan and Punjab prepared a scheme costing Rs. 321 lakhs in 1962 for controlling floods in the lcwer reaches of the Ghaggar. This scheme envisages the canalization of Ghaggar river form Punjab-Rajasthan border to Rajasthan Feeder Crossing and construction of a flood diversion channel from below Rajasthan Feeder Crossing to the sand dunes south and west of Suratgarh.

(*b*) Approximately Rupees 0·90 lakhs.

(*c*) Approximately Rupees 1·09 lakhs.

(*d*) About Rupees 1·45 lakhs.

लघु उद्योग

1301. श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री उइके :

क्या **उद्योग तथा सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल-सितम्बर, 1963 में अक्तूबर, 1962—मार्च, 1963 की अपेक्षा लघु उद्योगों को 28 प्रतिशत कम टीन दी गई ;

(ख) क्या सभी राज्यों को टीन की मात्रा समान रूप से कम दी गई थी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसका क्या आधार था ?

उद्योग तथा सम्भरण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विभुवेन्द्र मिश्र): (क) जी हां ।

(ख) जी हां , कुछ सीमान्त समंजन को छोड़ कर ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दो डिब्बों वाली डीजल रेल कार

1302. श्री मुरली मनोहर :
श्री राम हरख यादव :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इंटिगरल कोच फैक्टरी. पिराम्बुर में दो डिब्बे वाली डीजल रेल कार यूनिटों के निर्माण की योजना बना रही है ।

(ख) यदि हां, तो योजना के ब्यौरे क्या हैं ; और

(ग) क्या इन डिब्बों को विद्युतीकृत रेलवे जोनों में बड़ी मात्रा में उपयोग में लाया जायेगा ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाम नाथ): (क) जी हां ।

(ख) इस यूनिट में छोटी लाइन की तीसरी श्रेणी की दो कारें होंगी, जिस में 166 बत्तियों के लिये स्थान होंगे और इन में बिजली, पंखे शौचालय, वाश बेसिन और आइने जैसी सुख सुविधाओं की व्यवस्था होगी ।

(ग) जी नहीं ।

बर्मा और पाकिस्तान को कोयले का निर्यात

1303. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा और पाकिस्तान को खाद्यान्न के बदले अधिक कोयला निर्यात करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) श्रेणी 1 की फालतू मात्रा को देखते हुए सरकार इस के निर्यात को बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाना चाहती है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) पाकिस्तान को कोयले का निर्यात भारत-पाक व्यापार करार के अन्तर्गत किया जाता है जिस में प्रति मास 130,000 मीट्रिक टन कोयले के निर्यात का उपबन्ध है । हाल ही में भारत और पाकिस्तान की सरकारें 17 जुलाई 1964 से एक विशेष प्रबन्ध के लिये राजी हो गई हैं जिस के अन्तर्गत 200 लाख रु० तक के कोयले के निर्यात को विशेष चावल खाते में लिखा जायेगा ।

जहां तक बर्मा को कोयले के निर्यात का संबंध है, दी मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन ने, बर्मा को प्रति वर्ष 2,66,000 मीट्रिक टन कोयला और 10,000 मीट्रिक टन हार्ड कोक देने के लिये, एक तीन-साला करार किया है । कोयले का यह निर्यात खाद्यान्न के बदले में नहीं है ।

(छ) कोयले के निर्यात को बढ़ाने के लिये, पड़ौसी देशों में स्थित हमारे दूतावासों के वाणिज्यिक सहचारियों से, उन देशों में कोयले की खपत की संभावनाओं का पता लगाने के लिये कहा गया था उनका जवाब कुछ संतोषजनक नहीं है । इसका एक मुख्य कारण कोयले की किस्म है ।

झरिया और रानीगंज में हवाई रज्जुपथ

1304. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि झरिया और रानी गंज कोयला क्षेत्रों में 6 हवाई रज्जुपथ स्थापित किये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे कब स्थापित हो जायेंगे और उन पर क्या लागत आयेगी ; और

(ग) उनकी रेत ले जाने की क्षमता क्या होगी और उन से कितने क्षेत्र को लाभ पहुंचेगा ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०--3246/64]**

कोयले का वार्षिक उत्पादन

1305. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत 10 वर्षों में कोयले का उत्पादन प्रति वर्ष किस दर से बढा है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : 1954 में कोयले का उत्पादन 374.7 लाख मीट्रिक टन था जो 1963 में बढ़ कर 669.2 लाख मीट्रिक टन हो गया, और उत्पादन में वृद्धि की वार्षिक दर 10.1 से लगभग 54.5 लाख मीट्रिक टन तक रही जो इस प्रकार है :—

वर्ष	उत्पादन (लाख मीट्रिक टनों में)	गत वर्ष के उत्पादन की अपेक्षा उत्पादन में वृद्धि (लाख मीट्रिक टनों में)
1954	374.7	10.1
1955	388.4	13.7
1956	400.6	12.2
1957	442.0	41.4
1958	460.4	18.4
1959	478.1	17.7
1960	526.1	48.0
1961	561.0	34.9
1962	615.5	54.5
1963	669.2	53.7

रेलवे पास

1306. श्री रामनरायण चेट्टियार : क्या रेलवे मंत्री 2 जून, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 301 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे अधिकारियों को धातु, चांदी के और अन्य पास जो दिये जाते हैं वे ड्यूटी पर यात्रा करते समय केवल संबंधित रेलवे पर ही प्रयोग में लाये जा सकते हैं अथवा सभी भारतीय रेलवे पर ;

(ख) यदि हां, तो अधिकारियों को इन पासों पर किन परिस्थितियों में अपने परिवारों के सदस्यों को ले जाने की आज्ञा होती है जब कि इस के अतिरिक्त उन को विशेषाधिकार पास और पी० टी० ओ० बड़ी संख्या में मिलते हैं ;

(ग) किन श्रेणी के अधिकारियों को ड्यूटी पर सफर करते समय सैलून, चार पहियों और 6 पहियों की गाड़ियों के उपयोग करने का अधिकार है; और

(घ) क्या इन यात्राओं पर उन्हें अपने परिवार के सदस्यों को भी ले जाने का अधिकार है ?

रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) सोने और चांदी के पास केवल रेलव बोर्ड द्वारा ही दिये जाते हैं और कांसे के पास रेलवे बोर्ड और रेलवे प्रशासन, दोनों द्वारा जारी किये जाते हैं। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किये गये सोने, चांदी और कांसे के पास सभी भारतीय रेलों पर प्रयोग में लाये जा सकते हैं और रेलवे प्रशासनों द्वारा जारी किये गये कांसे के पास केवल संबंधित जोनल रेलवे पर ही काम में लाये जा सकते हैं।

(ख) रेलवे अधिकारियों को अपने क्षेत्राधिकार के क्षेत्रों में बहुत अधिक दौरे लगाने पड़ते हैं और परिवार (पत्नी और बच्चे) को साथ ले जाने का विशेषाधिकार उस समय से लागू है जब से देश में रेलें चलना आरम्भ हुई हैं।

(ग) प्रशासनिक श्रेणी के वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों को 6 / 8 पहिये वाली निरीक्षण गाड़ियों में जाने का अधिकार है जब कि जिला / डिवीजन और निचली श्रेणी के कनिष्ठ रेलवे अधिकारियों को 4 पहिये वाली निरीक्षण गाड़ियों में जाने का अधिकार है।

(घ) जी हां।

रेलवे द्वारा कोकिंग कोयले का उपयोग

1307. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री म० ला० द्विवेदी

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन का ध्यान इस्पात और खान मंत्री द्वारा 27 अगस्त, 1964 को कलकत्ता में दिये गये उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जो 28 अगस्त की 'फाइनेन्शयल एक्सप्रैस' में छपा है और जिस में रेलवे द्वारा गिरदिह कोयला खानों के ऊंची श्रेणी के कोकिंग कोयले के इस्तेमाल के बारे में कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो घटिया किस्म के कोयले को इस्तेमाल करने के लिये रेलवे बोर्ड ने क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) 1963–64 में भारतीय रेलवे द्वारा कोयले का श्रेणीवार उपभोग क्या था ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां। कुछ समय पहले रेलवे गिरदिह कोयला खानों को ऊंची श्रेणी के कोकिंग कोयले को इस्तेमाल करती रही है; परन्तु अब चूंकि यह कोयल धातुकर्म-प्रयोजनों में प्रयोग किया जाने लगा है इसलिये रेलवे अब इन कोयला खानों से कोयला प्राप्त नहीं कर रही है।

(ख) प्रश्न ही नही उठता।

(ग) 1963-64 में भारतीय रेलवे द्वारा कोयले का श्रेणीवार उपभोग (अस्थायी) संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(संख्या लाख मीट्रिक टनों में)

कोयले की श्रेणी	उपभोग (अस्थायी)
चुनी हुई 'क'	6.83
चुनी हुई 'ख'	17.45
श्रेणी 1	94.96
श्रेणी 2	28.44
श्रेणी 3	6.89
अश्रेणीकृत	18.37
छोटा कोयला	1.77
कुल	174.71

रेलवे कर्मचारियों में वर्णान्धता

1308. **श्री ह० च० सोय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कर्मचारियों में उन के काम के दौरान वर्णान्धता बढ़ती जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसे व्यवसायिक रोग माना जाता है ?

रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं। वर्णान्धता एक सहज अस्वाभाविकता है और उस का रेलवे के काम काज से कोई संबंध नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

खनन कार्य से खेती की जमीन को नुकसान

1309. **श्री ह० च० सोय** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खनन की चाल प्रथा के अनुसार, कीमती जंगलों और खेती की जमीन के बड़े बड़े भूखंड, खास कर बिहार और उड़ीसा में, हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार होने वाले नुकसान को कम करने या समाप्त करने के लिए क्या कोई छान-बीन की जा रही है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी नहीं

जब खानों की खुदाई लोक-हित में लाभदायक समझी जाती है तब वन विभाग की पूर्व सहमति से पट्टे दिये जाते हैं जिन की वजह से जंगल और खेती की जमीनों का कुछ नुक्सान हो सकता है। फिर भी इस बात की पूरी सावधानी बरती जाती है कि वन-क्षेत्रों और खेती की जमीनों को कम से कम नुकसान हो और ऐसे नुक्सान के लिए पट्टाधारियों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाये। बिहार और उड़ीसा के राज्यों में भी यही प्रथा अपनायी जाती है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

गोटीटोरिया, नरसिंगपुर में कोयला खानें

1310. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोटीटोरिया, जिला नरसिंगपुर, मध्य प्रदेश, में कोयला खानों से कोयला निकालने के लिए आवेदनपत्रों पर विचार किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो क्या नतीजा निकला ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख). मध्य प्रदेश सरकार ने हमें सूचना दी है कि इस क्षेत्र के खनन पट्टे के लिये श्री मोती लाल सोनी से प्राप्त एक आवेदन-पत्र 15-8-1964 को अस्वीकार कर दिया गया था। दो और आवेदन पत्रों पर अभी विचार किया जा रहा है। ये श्रीमती सरला देवी शुक्ल से प्राप्त हुए हैं और इन में एक आवेदन-पत्र खनन पट्टे के लिये और दूसरा खोजबीन के लाइसेंस के लिये है।

इटारसी स्टेशन पर ऊपरी पुल

1311. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटारसी (मध्य रेलवे) में लेवल क्रासिंग पर सड़क यातायात के लिये एक ऊपरी पुल बनाने के संबंध में कोई प्रगति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या ब्यौरा है ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शामनाथ) : (क) और (ख). ऊपरी पुल का सामान्य नक्शा अंतिम रूप से तैयार किया जा रहा है और वह शीघ्र ही स्वीकृति के लिये राज्य सरकार को भेज दिया जायेगा। राज्य सरकार की इच्छा के अनुसार यह काम रेलवे के 1965–66 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल कर दिया जायेगा।

भोजन वितरण विभागों के कर्मचारी

1312. **श्री उ० मू० त्रिवेदी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी रेलों के (क्षेत्रवार) भोजन वितरण विभागों में विभिन्न श्रेणियों के कितने कर्मचारी हैं,

(ख) उन में से कितने प्रतिशत अस्थायी हैं और कितने प्रतिशत आकस्मिक श्रमिक हैं; और

(ग) उनको स्थायी रूप से रोजगार देने का प्रश्न निबटाने में सरकार को कितना समय लगेगा

रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). विवरण संलग्न है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एस० टी० 3247/64]

(ग) इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

कांडला अबाध व्यापार क्षेत्र

1313. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांडला अबाध व्यापार क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए भूखंड काटे गये हैं और दिये जा चुके हैं; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न उद्योगों के लिए निर्धारित किए गए भूखंडों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). कांडला अबाध व्यापार क्षेत्र में भूखंड काटे गये हैं और उन को अंकित कर दिया गया है। उन का ब्यौरा इस प्रकार है :—

	वर्ग मीटर भूखंड
संख्या 67	1650
संख्या 36	2475
संख्या 82	4070

इस के अलावा 2,68,650 वर्ग मीटर का क्षेत्र खासतौर से उन उद्योगों के लिये रक्षित रखा गया है जिन्हें अधिक बड़े भूखंडों की जरूरत है। छोटे शैड बनाने के लिए भी व्यवस्था की गई है। चूंकि विभिन्न प्रकार के उद्योगों की काफी अधिक संख्या है इस लिए उद्योगवार उन्हें नहीं दिया गया है। उस क्षेत्र में जिन औद्योगिक एककों को भूखंड दिये जाने हैं उनके चुनाव पर अभी विचार किया जा रहा है ।

Train service between Hyderabad and Delhi

1314. **Shri Veerappa :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government propose to run a direct train service between Hyderabad and Delhi ; and

(b) if so, when this is likely to be introduced ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) and (b) : There is no proposal at present to run a direct train between Hyderabad and Delhi.

नेवेली लिग्नाइट निगम

1315. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेवेली लिग्नाइट निगम ने 1963-64 में कितना लिग्नाइट निकाला;

(ख) 1964–65 के लिए लक्ष्य कितना है;

(ग) निगम ने 1963–64 में कुल कितनी रकम खर्च की; और

(घ) क्या निगम की अधिकृत पूंजी बढ़ाने की कोई योजना है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) 12 लाख मीट्रिक टन ।

(ख) 20 लाख मीट्रिक टन ।

(ग) 2668.85 लाख रुपया ।

(घ) जी नहीं ।

सिंगरेनी कोयला खानें

1316. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री 14 अगस्त, 1963 के अतारांकित प्रश्न संख्या 162 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले में ऊलुग तालुक में कोरसाली और पुनगोन्डा गांवों के पास पट्टे पर सिंगरेनी कोयला खानों के अन्तर्गत पड़ने वाले कुछ क्षेत्र में अब तक छिद्रण कार्य शुरू न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) छिद्रण कार्य संभवत: कब आरम्भ किये जायेंगे ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) उस क्षेत्र में छिद्रण कार्य सिंगरेनी कोलियरीज इस लिये आरम्भ नहीं कर सकी कि छिद्रण संबंधी तथा दूसरा साज सामान जिस के लिए आर्डर दिया जा चुका है, अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) यह कंपनी अपने पट्टे के अन्तर्गत पड़ने वाले कुछ क्षेत्र में 1965–66 में, जब कि छिद्रण संबंधी साज सामान प्राप्त होने की संभावना है, छिद्रण कार्य आरम्भ करने वाली है ।

लौह अयस्क सूक्ष्मक का उपयोग

1317. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लौह अयस्क सूक्ष्मक के उपयोग की समस्या का अध्ययन करने के लिए नियुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

टोकियो में अन्तर्राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन

1318. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिस प्रतिनिधि मंडल ने अक्तूबर, 1963 में टोकियो, जापान, में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन में भाग लिया था, क्या उस ने इस बीच रिपोर्ट पेश कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) और (ख) सम्मेलन की कार्यवाही वार्ताओं तथा लेखों के पढ़ने तक ही सीमित थी ताकि कोयला पैदा करने वाले विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के बीच निम्नलिखित जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचारों का परस्पर आदान प्रदान हो सके।

(1) विभिन्न देशों की शक्ति विषयक नीति और शक्ति के अन्य प्रतिस्पर्धी स्रोतों के बीच कोयले का भविष्य,

(2) कोयला उत्पादन को आधुनिक तथा युक्तिसंगत बनाना; और

(3) उद्योग में उत्पादकता की प्रवृत्तियां।

इस सम्मेलन का उद्देश्य कोयला संबंधी किन्हीं विशिष्ट समस्याओं का निष्कर्ष निकालना नहीं था और इस कारण कोई संकल्प या सिफारिशें नहीं की गयी थीं। इसलिये प्रतिनिधि मंडल ने कोई औपचारिक रिपोर्ट पेश नहीं की।

टसर अनुसन्धान और बीज केन्द्र]

1319. डा० सरोजिनी महिषी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टसर अनुसन्धान और बीज केन्द्र स्थापित करने के लिए कोई प्रयत्न किये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है; और

(ग) टसर रेशम उत्पादकों को अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए अब क्या प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—3248/64**]

रेलवे लाइनों का संरक्षण

1320. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पुराना बागमती पुल और बैरागनिया के बीच बागमती नदी की बाढ़ से रेलवे लाइन को बचाने के लिये सरकार क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शामनाथ) : बागमती नदी की बाढ़ से रेलवे लाइन को बचाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। रेलवे लाइन को बचाने के लिये ज्यादा पानी के बहाव की नाली के सिरे पर एक बांध बनाया गया है। इस बांध का मुख्य प्रयोजन यह है कि नदी के बहाव को उस के पुराने रास्ते पर मोड़ दिया जाय।

सिंचाई और विद्युत मंत्री डा० कु० ल० राव के सुझाव के अनुसार रेलवे वाहन और बैरागनिया नगर के संरक्षण के लिये एक समन्वित योजना पर विचार किया जा रहा है। बिहार सरकार ने ने भी बैरागनिया के चारों ओर एक गोल बांध बनाने की योजना तैयार की है। चालू बाढ़ मौसम में

उस बारे में निरीक्षण करने के बाद आवश्यक होने पर उसे उस समन्वित योजना में शामिल करने के प्रश्न पर विचार किया जायगा ।

तिरुनेलवेली-कन्या कुमारी-त्रिवेन्द्रम रेलवे लाइन

1322. **श्री मुथिया :**
श्री म० प० स्वामी :
श्री परमशिवन् :
डा० श्रीनिवासन :
श्री रेड्डियार :
श्री मलाहछामी :
श्री काशीनाथ दुरै :

क्या रेलवे मंत्री 2 जून, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 195 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि तिरुनेलवेली-कन्याकुमारी-विवेन्द्रम को जोड़ने वाली रेलवे लाइन बनाने के मामले में आगे क्या प्रगति हुई है ?

रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शामनाथ) : अरामबोली घाटों के रास्ते से 10 मील तक वैकल्पिक रेखांकन को छोड़ कर जो कि अभी चालू है, सर्वेक्षण संबंधी क्षेत्रीय कार्य पूरा हो चुका है। अनुमान, कार्यकारी योजनायें आदि दक्षिण रेलवे-प्रशासन तैयार कर रहा है। यह लाइन तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में किये जाने वाले निर्माण कार्य में शामिल नहीं है।

आयात प्राथमिकता

1323. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक विदेशी मुद्रा कमाने वाले उद्योगों को आयात प्राथमिकता देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना का क्या ब्यौरा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) अधिक विदेशी मुद्रा कमाने वाले उद्योगों को उनके श्रेणियों के गुण दोषों के आधार पर पहले से ही आयात प्राथमिकता दी जा रही है और इस नीति को निर्यात संवर्धन योजनाओं के अधीन और आगे बढ़ाने का विचार है।

Railway Line between Tankara and Morvi

1324. **Shri Jagdev Singh Siddhanti :**
Shri Prakash Vir Shastri :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to dismantle the railway line between Tankara and Morvi (Western Railway) ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) the loss likely to be caused to Government by dismantling this line ; and

(d) whether suggestions have been received by Government to the effect that instead of dismantling the railway line it should be made more useful so as to eliminate any loss ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath): (a) A decision to close Morvi-Tankara and Morvi-Amran Road narrow gauge lines form 1-4-1965 was taken in September, 1963, in consultation with the State Government.

(b) The traffic offering was not enough to justify their retention.

(c) No loss will be incurred by the closure of these lines. On the contrary, the Railway will be avoiding the recurring loss which is now being sustained in working them.

(d) Yes. The entire issue is being re-examined.

उत्तर रेलवे के कर्मचारियों को छुट्टी

1325. **श्री म० प० स्वामी :**
श्री काशीनाथ दुरे :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे लेखा विभाग में छुट्टी के लिये रक्षित कर्मचारियों को नियमित काम पर लगाया जाता है और उस के परिणामस्वरूप नियमित कर्मचारियों द्वारा मांगी गई छुट्टी इन्कार कर दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो नियमित कर्मचारियों को छुट्टी की सुविधा देने के लिये सरकार किन उपायों को कार्यान्वित करने का विचार करती है ?

रेलवे मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) यदि किसी समय छुट्टी पर गये कर्मचारियों की संख्या छुट्टी के लिये रखे गये कर्मचारियों की संख्या से कम हो, तो शेष कर्मचारियों को अवश्य ही नियमित काम पर लगाना होता है। किसी भी कर्मचारी की छुट्टी इस आधार पर नामंजूर नहीं की गयी है कि छुट्टी के लिए रक्षित कर्मचारी (लीव रिज़र्व) उपलब्ध नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

गोंडा संसदीय निर्वाचन के बारे में श्री सी० बी० गुप्त और स्वर्गीय प्रधान मन्त्री के बीच पत्र व्यवहार

विधि तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री (श्री अ० कु० सेन) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री सी० बी० गुप्ता का स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू को दिनांक 18 मार्च, 1962 का पत्र ।

(दो) स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू का श्री सी० बी० गुप्ता को, उनके उपरोक्त पत्र के उत्तर में दिनांक 19 मार्च, 1962 का पत्र ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 3235/64) ।]

श्री हरि विष्णु कामत : क्या इस विषय में निर्वाचन आयोग द्वारा जांच इस पत्र व्यवहार से पहले या इसके बाद या उसी काल में हुई थी और क्या उस जांच के संक्षिप्त प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखा जायगा ?

श्री अ० कु० सेन : मुख्य निर्वाचन आयुक्त गौंडा गये तो थे परन्तु मुझे ठीक तिथि याद नहीं है।

इस बीच में अलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक अभ्यावेदन दर्ज किया गया था और अग्रेतर कार्यवाही करने के बारे में निर्वाचन आयुक्त पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। इस बीच में श्री दाण्डेकर द्वारा निर्वाचन याचिका दर्ज कराई गई थी.... **(अन्तर्बाधा)**

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : समाचारपत्रों में छपा था कि प्रधान मंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को लिखा गया पत्र मिल नहीं रहा था। अब यह कैसे मिल गया ?

अध्यक्ष महोदय : अब आप उस पत्र को देख लें।

चाय बोर्ड का दसवां प्रशासन प्रतिवेदन केन्द्रीय रेशम बोर्ड (दूसरा संशोधन) नियम तथा काफी (तीसरा संशोधन) नियम

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) 1 अप्रैल, 1963 से 31 मार्च, 1964 तक की अवधि के लिए चाय बोर्ड की दसवें प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 3236/64]

(2) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत दिनांक 12 सितम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1293 में प्रकाशित केन्द्रीय रेशम बोर्ड (दूसरा संशोधन) नियम, 1964 की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 3237/64]

(3) काफी अधिनियम, 1942 की धारा 48 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत दिनांक 12 सितम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1294 में प्रकाशित काफी (तीसरा संशोधन) नियम, 1964 की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3238/64]

नमक उप-कर नियम

उद्योग तथा सम्भरण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : मैं नमक उप-कर अधिनियम, 1953 की धारा 6 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत दिनांक 20 जून, 1964 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2167 में प्रकाशित नमक उप-कर नियम, 1964 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3239/64]

———

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (केरल), 1964-65

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (KERALA), 1964-65

वित्त मन्त्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं वर्ष 1964–65 के लिये केरल राज्य संबंधी अनुदानों की अनुपूरक मांगें बताने वाला एक विवरण उपस्थापित करता हूं ।

आनन्द भवन के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 149 के अनुपूरक उत्तर में शुद्धि

CORRECTION OF ANSWER TO SUPPLEMENTARY TO STARRED QUESTION NO. 149 RE: ANAND BHAVAN

प्रधान मन्त्री तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): 14 सितम्बर, 1964 को तारांकित प्रश्न संख्या 149 के सम्बंध में पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा था कि स्वर्गीय प्रधान मंत्री आनन्द भवन राष्ट्रीय कार्यों में प्रयोग में लाने के लिये राष्ट्र के नाम कर गये हैं परन्तु वस्तु-स्थिति यह है कि वह अपनी वसीयत में आनन्द भवन श्रीमती इन्दिरा गांधी और उनके बच्चों के नाम कर गये हैं । परन्तु उन्होंने साथ ही यह इच्छा व्यक्त की है कि यदि उस भवन का प्रयोग श्रीमती इंदिरा गांधी या उनके बच्चों द्वारा न किया जाना हो तो उसका प्रयोग सार्वजनिक कार्यों के लिये ही किया जाय ।

श्री हरि विष्णु कामत : श्री जवाहरलाल नेहरू की पूरी वसीयत बम्बई के साप्ताहिक में कैसे प्रकाशित हुई ? इस की जानकारी उन्हें कैसे मिली ? वह वसीयत किस के पास थी ?

अध्यक्ष महोदय : जहां तक मैं समझता हूं वह वसीयत किसी बैंक के पास थी ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मुझे इस बारे में मालूम नहीं है ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या वह अगले सप्ताह में जानकारी प्राप्त करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : सरकार इसके लिये उत्तरदायी नहीं है । वह वसीयत सरकार के पास नहीं थी ।

Shri Prakash Vir Shastri : Certain wrong impressions are found among the people of the country that adequate medical treatment was not given to the late Prime Minister. I would request the hon. Prime Minister to give a statement with a view to clear such misunderstanding

Mr. Speaker : This is altogether a different matter.

श्री हेम बरुआ : जो वसीयत हमें दी गयी थी वह स्वर्गीय प्रधान मंत्री की सामान्य वसीयत में से थी या वह एक अलग वसीयत थी ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैं इस समय इस बारे में निश्चित उत्तर नहीं दे सकता ?

सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 376 के अनुपूरक उत्तर में शुद्धि

CORRECTION OF ANSWER TO SUPPLEMENTARIES TO STARRED QUESTION NO. 376 RE : PUBLIC SECTOR PROJECTS

वित्त मन्त्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : श्री कामत ने कल प्रश्न उठाया था कि मैंने कहा था कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम गलत सन्तुलन-पत्र तैयार करते हैं जिसके उत्तर में मैंने कहा कि मैंने

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की चर्चा नहीं की थी । उसके उपरान्त श्री कामत ने यह आरोप लगाया कि मैंने उनके प्रश्न का उत्तर 10 सितम्बर को देते हुए ऐसा कहा था । वास्तव में 10 सितम्बर वाले प्रश्न का उत्तर न मैंने तैयार किया था और न ही मैंने वह उत्तर देने के लिये दिल्ली में उपस्थित ही था । जिस सम्मेलन में मेरे द्वारा दिये गये भाषण का उल्लेख किया गया है मुझे अच्छी तरह याद है मैंने वहां पर सरकारी अथवा गैर सरकारी उपक्रमों की चर्चा नहीं की थी । जो कुछ वास्तव में मैंने वहां पर कहा था वह 'कम्पनी न्यूज़ नोट्स' में प्रकाशित हुआ है जिसे मैं सभा पटल पर रख रहा हूं ।

यह गलत धारणा इसलिये बनी कि मुझे 10 सितम्बर को दिये गये प्रश्न के उत्तर की जानकारी नहीं थी । जो कुछ वास्तव में मैंने कहा था उसे सही तौर पर पेश नहीं किया गया । सभा में गलत बात कहने का मेरा इरादा कदापि नहीं था । जो कुछ मैंने कहा था उससे सरकार की किसी नीति पर असर नहीं पड़ता । मुझे खेद है कि मुझे 10 सितम्बर को दिये गये अतारांकित प्रश्न के उत्तर के बारे में जानकारी नहीं थी । इसलिये मैं सभा से क्षमा याचना करता हूं ।

श्री हरि विष्णु कामत : इससे एक प्रक्रिया संबंधी प्रश्न उत्पन्न होता है । माननीय मंत्री ने कहा कि 10 सितम्बर के अतारांकित प्रश्न का उत्तर उन्होंने तैयार नहीं किया था और वह दिल्ली में उपस्थित नहीं थे । तो क्या इस का यह मतलब है कि उनकी अनुपस्थिति में बिना देखे भाले ही प्रश्नों के उत्तर दे दिये जाते है ?

अध्यक्ष महोदय : जहां तक 10 सितम्बर के अतारांकित प्रश्न के उत्तर की जानकारी न होने का संबंध है उसके लिये मंत्री महोदय ने खेद प्रकट कर दिया है। यह भी ठीक है कि जब मंत्री स्वयं उपस्थित न हों तो उस स्थिति में उपमंत्री आदि को पूरी जिम्मेदारी से प्रश्नों के उत्तर देने चाहिएं ।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संचार तथा संसद् कार्य मन्त्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : 28 सितम्बर, 1964 से आरम्भ होने वाले आगामी सप्ताह के लिये सरकारी कार्य का ब्योरा इस प्रकार होगा :—

(1) अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति तथा तत्संबंधी भारत सरकार की नीति पर आगे चर्चा ।

(2) प्रत्यक्ष कर (संशोधन) विधेयक, 1964 (आगे विचार और पारित करना)

(3) औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 1964, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में (विचार और पारित करना) ।

(4) प्रेस परिषद विधेयक, 1963 (बिल को दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को निर्दिष्ट करने की राज्य सभा की सिफारिश पर सहमति प्रस्ताव) ।

(5) खाद्य अपमिश्रण रोक (संशोधन) विधेयक, 1963, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में (विचार और पारित करना) ।

(6) शनिवार, 3 अक्तूबर, 1964 को प्रश्नों के निबटाये जाने के पश्चात श्री यशपाल सिंह द्वारा पेश किये जाने वाले प्रस्ताव पर पिछड़े वर्ग आयोग का प्रतिवेदन और उस पर की गई कार्यवाही की व्याख्या करने वाले ज्ञापन पर चर्चा ।

(7) बुधवार, 30 सितम्बर, 1964 को 2–30 म० प० बजे बाढ़ की स्थिति पर चर्चा ।

(8) छोटी कार परियोजना पर चर्चा । (यदि इस चर्चा के लिये आवण्टित समय बाढ़ की स्थिति पर चर्चा के लिये आवण्टित न कर दिया जाये) :

यह सुझाव दिया गया है कि बाढ़ की स्थिति संबंधी चर्चा के लिये अधिक समय आवश्यक होगा । यदि सभा की अनुमति हो तो बाढ़ की स्थिति पर चर्चा 30 सितम्बर, 1964 को 2-30 बजे हो जाये और छोटी कारों सम्बंधी चर्चा अगले सत्र तक स्थगित कर दी जाय ।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad): The item of University Grants has not been included for discussion during the next week. This is an item regarding which the hon. Minister stands committed to the House. He should not now deviate from his word.

Another item towards which I would like to draw the attention of the Government is relating to food consumption in the country. I have said that 30 crore people of our country survive by four chattacks of food per day whereas our Food Minister claimed that they get quarter to six chattacks per day. Therefore the correct figures should be established. I had given another suggestion that Government should provide two kinds of figures. One relating to the 48 crores of people and another relating to 60 per cent. of the people or the lowest 30 crores. Therefore a discussion on this item is essential.

You had given us an assurance that Finance Ministry would provide figures in connection with essential articles other than foodgrains showing their cost, tax levied on them, the profits earned on them and their wastage. Unless all this imformation is given the answers being given here are baseless. Therefore a discussion should be held on this also.

Mr. Speaker: I want to make it clear that the hon. Minister while giving details of the business to be conducted during the coming week can only say which of the items are more important than others. He should not go into the reasons and other details. On the other hand hon. Members should suggest that such and such item may be kept for discussion without going into further details.

Shri Prakash Vir Shastri : Situation in the State of Jammu and Kashmir is fast deteriorating and certain new developments have taken place. Therefore it is imperative that a discussion be held on that during the forthcoming week.

श्री हरि विष्णु कामत : माननीय मंत्री ने कहा कि छोटी कारों संबंधी चर्चा अगले सत्र में हो । क्या वह निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आगामी सत्र की अवधि में सभी राष्ट्रीय महत्व की मदों पर चर्चा हो सकेगी और क्या वह बता सकते हैं कि आगामी सत्र कब आरम्भ होगा ।

श्री दाजी (इन्दौर) : एक मेरा सुझाव यह है कि आगामी सप्ताह में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते संबंधी आयोग के बारे में चर्चा है । दूसरा सुझाव यह है कि छोटी कारों संबंधी चर्चा के लिये एक घण्टे का समय अपर्याप्त है । इसे और बढ़ाया जाय ।

श्री स० मो० बनर्जी : आगामी सप्ताह में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के मंगाई भत्ते के बारे में चर्चा अवश्य होनी चाहिए । इसके लिये कम से कम एक घंटे का समय नियत कर दिया जाय । इसके अतिरिक्त बोनस आयोग के बारे में भी चर्चा के लिये समय अवश्य नियत किया जाय ।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : The problem of floods is affecting the lives of millions of this country therefore it should be given priority over the item of small cars. Four hours time should also be allotted for discussion on Backward Classes Commission Report.

श्री जोकीम आल्वा (कनारा) : इसमें संदेह नहीं कि कारों की समस्या भी गंभीर है । अत: इस पर चर्चा होनी चाहिये । किन्तु जब इस समय जब हम बाढ़ों से उत्पन्न बहुत अधिक गंभीर समस्या पर विचार कर रहे हैं कारों की समस्या को बीच में लाना उचित नहीं है ।

Shri Raghunath Singh (Varanasi) : Both the problems that is the problem of floods and the problem of cars are equally important. Therefore both the problems should be discussed in this session. We are ready to sit late for one hour more for this purpose.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : कुछ माननीय सदस्यों ने इन्हे बाढ़ों पर चर्चा बनाम कारों पर चर्चा बनाने का प्रयत्न किया है । ऐसा करना न्यायसंगत नहीं है । दोनों ही महत्वपूर्ण विषय है और दोनों समस्याओं पर इस सत्र में चर्चा की जानी चाहिये ।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख (परभणी) : मैं संसद कार्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि पिछड़े वर्ग के आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा के लिये समय बढ़ाया जाये क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण विषय है ।

संचार तथा संसद्-कार्य मन्त्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : बहुत से प्रश्न एक साथ उठाये गये हैं । मेरे लिये प्रत्येक का उत्तर देना संभव नहीं है क्योंकि मैं उन सब को याद नहीं रख सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : कारों, बाढ़ों, बोनस आयोग, पिछड़े वर्ग के आयोग, आगामी सत्र की तिथि तथा अन्य मामलों सम्बन्धी प्रश्न सभा के सामने हैं ।

श्री सत्य नारायण सिंह : मैं सभा को सूचित करता हूं कि आगामी सत्र की अवधि वर्तमान सत्र की अवधि से अधिक होगी । हो सकता है यह पिछले शीतकालीन सत्र से भी अधिक लम्बा होगा ।

अब मैं डा० लोहिया द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में उठाये गये प्रश्न के बारे में बताता हूं ।

Dr. Ram Manohar Lohia : Please tell something about Mithila Hindu University.

Shri Satya Narayan Sinha : A Bill regarding Banaras Hindu University is being brought forward. Perhaps it will be introduced in the next session. At that time the hon. Member may express his views.

जहां तक अन्य मामलों का सम्बन्ध है, यह सत्र 3 अक्तूबर से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता हैं । गैर-सरकारी कार्यों के लिये कार्य मंत्रणा समिति ने 5 घंटे निर्धारित किये हैं । इस पांच घंटे के समय में समिति जिन कार्यों के लिये सिफारिश करेगी उन्हे लिया जायेगा । इन पांच घंटों

में से डेढ़ घंटा दूषित जल के बारे में चर्चा पर लग गया है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार दो घंटे बाढ़ों की समस्या पर तथा एक घंटा कारों के बारे में चर्चा के लिये चाहिये। इस समय में आप जिन विषयों पर चाहें चर्चा कर सकते हैं। जब तक सभा अधिक समय तक बैठने का निर्णय नहीं करती तब तक हमारे पास 3 घंटे से अधिक समय नहीं हो सकता।

श्री रघुनाथ सिंह : हम एक घंटा अधिक बैठेंगे।

श्री सत्य नारायण सिंह : यह निर्णय करना सभा का काम है कि इन तीन घंटों में क्या क्या विषय चर्चा के लिये लिये जायें। अतः मैं इन सब विषयों को निर्णय के लिये सभा के सामने रखता हूं।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : The question of Kashmir is very important. It should be taken first.

Mr. Speaker : It cannot be decided in such a way. The representative may discuss it with the Minister of Parliamentary Affairs.

श्री स० मो० बनर्जी : महोदय हम इन विषयों पर चर्चा करने के लिये देर तक बैठने के लिये तैयार हैं। सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के बारे में चर्चा के लिये भी कम से कम एक घंटा चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मेरा सुझाव है कि दलों के नेता तथा अन्य इच्छुक व्यक्ति चर्चा के लिये विषयों का निर्णय करने के लिये संसद् कार्य मंत्री से बातचीत कर लें।

श्री जी० भ० कृपलानी (अमरोहा) : हम अगले शुक्रवार को गांधी जयन्ती के दिन इन विषयों पर चर्चा करने के लिये बैठ सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर भी संसद् कार्य मंत्री के साथ विचार विमर्श किया जा सकता है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव

MOTION *RE*: INTERNATIONAL SITUATION

वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति तथा तत्सम्बन्धी भारत सरकार की नीति पर विचार किया जाये।"

आज मुझे पहली बार अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत करने का सौभाग्य मिला है। इस प्रस्ताव पर बोलते हुए मैं अपने भाषण के आरम्भ में यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अन्य देशों के साथ साथ हमारे सम्बन्धों तथा राष्ट्र संघ में और सामान्यतः अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में हमारा मार्ग दर्शन तथा नियंत्रण करने वाली भारत की विदेश नीति की मुख्य बातें प्रधान मंत्री के, 11 जून, 1964 को राष्ट्र के नाम संदेश में दिये गये वक्तव्य में इस प्रकार है—

(1) हम सभी देशों के साथ, उनकी विचार धारायें अथवा राजनीतिक पद्धति चाहे जो भी हों,

मित्रता बनाये रखेंगे और सम्बन्ध बढ़ायेंगे ; (2) विश्व की समस्याओं तथा अन्य देशों के साथ हमारे सम्बन्धों के बारे में अपने दृष्टिकोण का मूल आधार तटस्थता और शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व रहेगा; (3) हम पड़ोसी देशों के साथ अपने सम्बन्ध मजबूत बनाने के लिये विशेष प्रयत्न करेंगे ; (4) हम उपनिवेशवादी शासन से एशिया और अफ्रीका के देशों की स्वतन्त्रता के लिये कार्य करते रहेंगे और विश्व शान्ति के लिये तथा देशों की स्वतन्त्रता के समान हित के लिये अफ्रीका और एशिया के मित्र राष्ट्रों के साथ सहयोग करते रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य के नाते हम मानवता के लिये शान्ति और स्वतन्त्रता स्थापित करने के लिये उस संघ का निस्संकोच समर्थन करेंगे ।

श्री हेम बरुआ (गौहाटी) : महोदय, मैं सूचनार्थ जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय वही भाषण दे रहे हैं जो उन्होंने राज्य सभा में दिया था ?

अध्यक्ष महोदय : यह मैं कैसे बता सकता हूं ?

श्री हेम बरुआ : आप क्या वही भाषण दे रहे हैं क्योंकि भाषण की भाषा वही है ?

श्री स्वर्ण सिंह : हम इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहते हैं कि उस सभा में क्या हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय अपना भाषण जारी रखें ।

श्री स्वर्ण सिंह : स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील का प्रतिपादन किया था और इन्हीं पांच सिद्धान्तों पर हमारी विदेश नीति आधारित है। श्री नेहरू सदैव पंचशील के सिद्धान्तों पर चलते रहे और बार बार लोगों से इन सिद्धान्तों पर चलने के लिये अनुरोध करते रहे। आज सरकार उसी नीति पर चल रही है। मैं जोरदार शब्दों में यह फिर दोहराता हूं कि सरकार अपनी विदेश नीति के आधारभूत तत्वों अर्थात् शान्ति, तटस्थता और शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीतियों पर चलती रहेगी। हम इन सिद्धान्तों का पालन इसलिये करते हैं कि ये सिद्धान्त न्याय तथा व्यावहारिता पर आधारित हैं और विश्व में सभी के हित में है।

श्रीमती विमला देवी (एल्लुरू) : महोदय, स्वामी जी इतना शोर कर रहे हैं कि मुझे सभा की कार्यवाही नहीं सुनाई पड़ती है.....

Shri Rameshwara Nand (Karnal) : Who are you to say like that ?

Mr. Speaker : Swamiji I have respect for you but Swamiji should also have respect for the ladies.

Shri Rameshwara Nand : She is unnecessarily making false allegation.

Mr. Speaker : These two hon. Members should not sit together. (*Laughter*).

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : महोदय, यह हंसी की बात नहीं है। माननीय सदस्य कई बार यहां बैठ कर बातें करते रहते हैं जिससे सभा की कार्यवाही सुनाई नहीं पड़ती। अतः हम आपका संरक्षण चाहते हैं। सभा में अनुचित बात नहीं होनी चाहिये।

Shri Rameshwaranand : I have not been disrespectful to any member. I only intended to say something to the Minister. If I have used any unpleasant expression I am prepared to withdraw that.

Mr. Speaker : The other day I told that if the hon. Members would not respect each other, they will command no respect at all in the world. We should have a respect for each other in our dealings.

श्री स्वर्ण सिंह : तटस्थता की नीति का अर्थ यद्यपि गलती से नकारात्मक लगाया जाता है, किन्तु वास्तविकता यह है कि यह एक सजीव और क्रियाशील नीति है, जिससे सभी देशों के साथ उनकी विचार धारायें और सामाजिक प्रणालियां चाहे जो भी हो, मित्रता के सम्बन्ध बनाये रखने के लिये प्रेरणा मिलती है और विश्व के राष्ट्र एक दूसरे के निकट आते हैं। इस नीति का अनुसरण करने से हम कई बार विश्वशान्ति बनाये रखने के लिये राष्ट्र संघ में अपना सहयोग दे पाये हैं।

सभी देशों के साथ, चाहे उनकी सामाजिक तथा राजनीतिक प्रणालियां कुछ भी हों, मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बढ़ाने की अपनी नीति का पालन करते हुए मैंने अभी हाल में अपने चार पड़ोसी देशों, नेपाल, अफगानिस्तान, बर्मा और लंका का दौरा किया है। इन सभी देशों में मैंने भारत के लिये प्रगाढ़ मित्रता पाई है। मेरे इन दौरों से हमारी मित्रता और अधिक घनिष्ट हो जायेगी।

पड़ौसी देशों के बीच कुछ समस्यायें तथा किसी हद तक कुछ बातों में आपसी मतभेद पैदा हो जाना स्वाभाविक है। हम इन समस्याओं को शान्तिपूर्वक सुलझाने का पूर्ण प्रयत्न कर रहे हैं। मैंने जिन देशों का अभी हाल में दौरा किया है उन देशों की सरकारों के साथ व्यक्तिगत बातचीत एक दूसरे के दृष्टिकोण समझने में और मनमुटाव की बातों को समाप्त करने में कुछ सीमा तक सहायता मिलेगी।

यह स्पष्ट है कि हमारे सामने इस समय कुछ समस्याये हैं जिन पर सभी माननीय सदस्यो का ध्यान केंद्रित हुआ है। सरकार ने इन समस्याओं को हल करने की दिशा में सक्रिय कदम उठाये हैं। बर्मा से आने वाले भारतीयों की तथा लंका में रहने वाले भारत मूलक लोगों की समस्याओं को हल करने के लिये सम्बन्धित सरकारों से गंभीरतापूर्वक बातचीत आरम्भ हो गई है। आशा है शीघ्र ही कोई सम्मान पूर्ण हल निकल आयेगा जो दोनों देशों को मान्य होगा।

सभा को भली भांति ज्ञात है कि नेपाल और भारत में परस्पर निकट का आर्थिक सहयोग है। मैंने अपनी नेपाल यात्रा के दौरान नेपाल सरकार को आश्वासन दिया है कि भारत नेपाल को जो कुछ तकनीकी सहायता दे रहा है वह अगली योजना में भी दी जाती रहेगी। इस दौरे में नेपाल में $9^{1}/_{2}$ करोड़ रुपये की लागत से एक नई सड़क के निर्माण के बारे में एक करार किया गया है। भारत दो छोटी सड़कों और बिजली के लिये ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण करने के लिये भी सहमत हो गया है। एक-दो परियोजनाये अभी सरकार के विचाराधीन हैं। मैं समझता हूं कि नेपाल के साथ सहयोग हमारे लिए लाभकारी सिद्ध होगा। मैं सभा को यह भी बताना चाहता हूं कि हम नेपाल को सहायता देने के साथ साथ उससे वह सहायता प्राप्त भी कर रहे हैं जो वह दे सकता है।

मुझे बर्मा की यात्रा के दौरान बर्मा सरकार के क्रांतिकारी परिषद् के अध्यक्ष श्री ने विन से बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बर्मा छोड़ कर भारत आने वाले भारतीयों की आस्तियों के सम्बन्ध में मेरी बर्मा सरकार से शासकीय स्तर पर बातचीत हुई है। मुझे आशा

है कि इस सम्बन्ध में उचित व्यवस्था हो जायेगी। बर्मा सरकार ने मुझे आश्वासन दिलाया है कि उन्होंने जो समाजवादी कदम उठाये हैं वे बिल्कुल भेदभाव रहित हैं। अन्य देशवासियों के साथ भी वैसा ही बर्ताव किया गया है जैसा कि भारत के लोगों के साथ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशगाबाद) : कितने चीनी बर्मा छोड़ कर गये हैं ?

श्री हेम बरुआ (गौहाटी) : और कितने पाकिस्तानी ?

श्री स्वर्ण सिंह : चीनियों के साथ भी वैसा ही बर्ताव किया गया है जैसा कि भारतीयों के साथ बर्मा छोड कर जाने वाले अधिकांश चीनी फारमोसा जाना चाहते थे। बर्मा सरकार के फारमोसा के साथ राजनयिक सम्बन्ध नहीं हैं।

बर्मा में नेताओं के साथ बातचीत से मुझे आशा है कि इस समस्या का कोई सम्मानपूर्ण हल निकल सकेगा। इस पर बातचीत के लिये फिर बैठक होगी। बर्मा के विदेश मंत्री ने निकट भविष्य में भारत आने का मेरा नियंत्रण स्वीकार कर लिया है।

अफगानिस्तान में भारत के प्रति घनिष्ट मित्रता की भावना पाई जाती है। भारत ने अफगानिस्तान को आश्वासन दिया है कि वह उसके राष्ट्र निर्माण तथा आर्थिक विकास के कार्यों में उसकी सहायता करेगा।

मुझे लंका में वहां की प्रधान मंत्री श्रीमती भण्डारनायक के साथ तटस्थ तथा पारस्परिक अन्य राष्ट्रीय समस्याओं के सम्बन्ध में विचार विमर्श करने का अवसर मिला। हमारी बातचीत के दौरान यह स्वीकार किया गया कि लंका स्थित भारतमूलक व्यक्तियों की समस्या को न्यायोचित तथा सम्मानपूर्ण ढंग से हल करने का भरसक प्रयत्न किया जायेगा। हमारी बातचीत के बाद शासकीय स्तर पर लंका के स्थायी सचिव तथा भारत के राष्ट्र मंडल सचिव के बीच समस्या पर विचार किया गया। किन्तु यह एक जटिल समस्या है। इसी लिये यह दुर्भाग्य की बात है अब तक, दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों की अनेक मुलाकातों के बाद भी समस्या हल नहीं हो सकी है। यह खुशी की बात है कि लंका की प्रधान मंत्री ने अक्तूबर के अन्तिम सप्ताह में भारत आने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। आशा है दोनों प्रधान मंत्रियों की इस मुलाकात में होने वाली बातचीत सफल रहेगी और समस्या का कोई न कोई हल निकल आयेगा।

जहां तक चीन के साथ हमारे सम्बन्धों का प्रश्न है, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि कोलम्बो प्रस्तावों के प्रति चीन के नकारात्मक और कटुतापूर्ण रवैये में भारत के प्रति उसकी वैर-भावना और मिथ्याप्रचार के रुख में किसी प्रकार की कमी नहीं हुई है। चीन, विशेष रूप से एशियाई और अफ्रीकी देशों में, हमारे विरुद्ध गलत और निराधार प्रचार कर रहा है। सभा को ज्ञात ही है कि चीन द्वारा लद्दाख में विसैन्यीकृत क्षेत्र से चीनी चौकियों को हटाये जाने के प्रश्न पर भारत और लंका के प्रधान मंत्रियों के बीच पत्र-व्यवहार चल रहा है। दोनों देशों के बीच समझौते की बातचीत को संभव बनाने के लिये भारत ने कोलम्बो प्रस्तावों के अन्तर्गत यथासभव नर्मी का रुख अपनाया है।

श्री हरि विष्णु कामत : कोलम्बो प्रस्तावों में और अन्तिम रूप से आपके झुक जाने में क्या अन्तर है।

श्री स्वर्ण सिंह : इसमें झुकने का प्रश्न नहीं है। हम चाहते हैं कि विसैन्यीकृत क्षेत्र में किसी भी देश की कोई चौकी नहीं होनी चाहिये। अब इस बात का निश्चय चीन को करना है कि क्या चीन लद्दाख के विसैन्यीकृत क्षेत्र से अपनी चौकियों को हटाने के लिये सहमत है। चीन अब तक इस पर अड़ा हुआ है कि उस क्षेत्र में असैनिक चौकी बनाये रखना उसका अपना आन्तरिक मामला है। किन्तु यह बात सभी लोग भली भांति जानते है कि चीन जिसे अपना क्षेत्र कहता है वह 20 किलोमीटर विसैन्यीकृत क्षेत्र है, जिस पर उसने वर्ष 1962 में बड़े पैमाने पर आक्रमण करके जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। यह भारतीय क्षेत्र का 14,500 वर्ग मील भूमि खण्ड है। यह वही भूमि है जहा से सेनायें हटाने की बात कोलम्बो सम्मेलन मे कही गई थी।

भारत अपनी गुटों से अलग रहने वाली तथा सह-अस्तित्व की नीति का अनुसरण करके सारे मतभेदों को शान्तिपूर्ण ढग से बातचीत द्वारा हल करना चाहता है। यही कारण है कि भारत ने कोलम्बो प्रस्तावों को पूर्ण रूप से स्वीकार किया है। यद्यपि वे भारत को पूर्णरूप से पसंद नहीं हैं क्योंकि वे पूर्णत: भारत के पक्ष में नहीं हैं। हमने इसीलिये श्रीमती भंडारनायक के इस प्रस्ताव को भी मान लिया कि विसैन्यीकृत क्षेत्र में दोनों देशों की बराबर चौकियां हों। किन्तु हम चीन की शर्तों पर उससे बातचीत करने के लिये तैयार नहीं हैं और अपने उस क्षेत्र पर से अपने अधिकार को कभी नहीं छोड़ेंगे जिस पर चीन ने बल प्रयोग करके कब्जा कर रखा है। यह अब चीन का काम है कि वह इस बात का प्रत्रमाण दे कि वह वास्तव में झगड़े को तय करना चाहता है जिसे वह अब तक करने में असफल रहा है।

जहां तक पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्धों का प्रश्न है, सभा को भली भांति ज्ञात है कि पिछले कुछ महीनों में कई महत्वपूर्ण बातें हुई हैं। स्वर्गीय प्रधान मंत्री की मृत्यु के बाद राष्ट्रपति अयूब द्वारा जनता के समक्ष दिये गये भाषणों से ऐसा लगता है कि श्री अयूब भारत के साथ शांति-पूर्ण ढंग से समस्यायें हल करने के उत्सुक हैं। हम सच्चे हृदय से चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे मतभेद परस्पर बातचीत और अच्छे पड़ोसीपन की भावना से तय हो जायें। यद्यपि पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा दिये गये वक्तव्य बड़े उत्साहजनक हैं किन्तु पाकिस्तान सरकार के कुछ नेताओं, सरकार द्वारा नियंत्रित समाचार-पत्रों तथा रेडियो ने भारत के विरुद्ध अपना मिथ्या प्रचार फिर आरंभ कर दिया है। यह दोनों देश के लिये दुर्भाग्य की बात है क्योंकि यह एक ऐसा वातावरण पैदा करने में बाधक हो सकता है जिसमें दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच विभिन्न विषयों पर होने वाली बातचीत के सफल होने की संभावना हो।

आज भी पूर्वी पाकिस्तान से प्रतिदिन औसतन 3000 शरणार्थी भारत आ रहे हैं। पाकिस्तानी नेताओं द्वारा दिये गये आश्वासनों के बावजूद भी पूर्वी पाकिस्तान में अल्प संख्यक में असुरक्षा की भावना बनी हुई है। इस सब के बावजूद भी हम शान्तिपूर्ण ढंग से समस्याओं को हल करने का भरसक प्रयत्न करेंगे।

अगले महीने के उतरार्ध में दोनों देशों के गृह मंत्रियों की बैठक फिर होने वाली है। यद्यपि अप्रैल में गृह मंत्रियों के बीच हुई बातचीत का कोई परिणाम नहीं निकला फिर भी हमारी दृष्टि में वह लाभदायक सिद्ध हुई है क्योंकि इससे एक दूसरे के विचारों को समझने में सहायता मिली है। आशा है अगली मुलाकात में बहुत से मामलों पर होने वाली बातचीत लाभदायक सिद्ध होगी। मैंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री का निमंत्रण भी स्वीकार कर लिया है।

भूगोल, मिला जुला इतिहास तथा सांस्कृतिक एकता की मांग है कि भारत और पाकिस्तान को अच्छे पड़ोसियों की भांति रहना चाहिये इसके लिये पाकिस्तान को ईमानदारी से प्रयत्न करने होंगे ।

हमारे लिये यह दुःख की बात है कि एशिया में विशेषतः दक्षिण पूर्व एशिया में विवाद तथा वैमनस्य व्याप्त है । लाओस और वियतनाम में कई वर्षों से आन्तरिक झगड़े चल रहे हैं । इन दोनों देश के बारे में विभिन्न प्रकार से तथा कई ओर से हस्तक्षेप किया जा रहा है । जिसका परिणाम यह निकला है कि उनको शान्तिपूर्वक अपनी स्वतन्त्रता का उपयोग नहीं करने दिया जाता है । वियतनाम के बारे में वर्ष 1954 में और लाओस के बारे में वर्ष 1962 में हुए जेनेवा समझौते बाहरी हस्तक्षेप के बिना बियतनाम और लाओस में आन्तरिक शान्ति बनाये रखने के लिये किये गये थे । किन्तु उद्देश्य सिद्ध नहीं हो सके । दोनों देशों में अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग ने, जिसका भारत अध्यक्ष है, यह देखा है कि इन समझौतों का कई बार उल्लंघन किया गया है । लाओस और वियतनाम में अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष होने के नाते भारत पर विशेष उत्तरदायित्व है । हमने निष्पक्ष रूप से तथा बिना भय के अपना उत्तरदायित्व पूर्णरूप से निभाया है ।

जहां तक लाओस का सम्बन्ध है, यह नितांत आवश्यक है कि वहां पर तीनों प्रमुख राजनीतिक दल परस्पर समझौता करलें । भारत को इस बात की प्रसन्नता है कि लाओस के दलों के प्रतिनिधियों को पेरिस में बैठक हो रही है और उनकी बातचीत कुछ सीमा तक आगे बढ़ी है । हम समझते हैं कि लाओस की स्थिति को सुधारने का सर्वोत्तम उपाय चौदह राष्ट्रों का एक सम्मेलन बुलाना है । रूस द्वारा औपचारिक रूप से प्रस्तावित सम्मेलन बुलाये जाने का भारत पूर्णरूप से समर्थन करता है । आशा है इस प्रकार के सम्मेलन बुलाये जाने में जो बाधायें जा रही हैं वे पेरिस में होने वाली बातचीत से दूर हो जायेंगी ।

विश्व शान्ति के दृष्टिकोण से वियतनाम में स्थिति कुछ अधिक पेचीदा और खतरनाक है । आज वियतनाम में आपसी फूट के कारण लोग विभाजित हो गये हैं । उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी बियतनाम की सरकारें दस वर्षों से केवल अलग अलग शासन ही नहीं कर रही हैं अपितु इनके बीच आपसी विवाद चल रहा है । भारत सरकार चाहती है कि वियतनाम की समस्या सुलझाने के लिये सैनिक कार्यवाही करने के बजाय राजनीतिक स्तर पर बातचीत से समस्या को सुलझाया जाये ।

लगभग छः सप्ताह पूर्व तेनकिन की खाड़ी में जो घटनायें घटी हैं उनसे हमें गहरी चिन्ता हुई है । यह सौभाग्य की बात है कि इस घटनाओं ने भीषण रूप धारण नहीं किया ।

इन्दोनेशिया और मलयेशिया के आपसी विवाद से भारत को बहुत दुख हुआ है । हम इस विवाद के गुण व दोषों में नहीं जाना चाहते हैं । हमारी हार्दिक इच्छा है कि एक सम्मेलन बुलाकर बातचीत द्वारा इस विवाद को समाप्त करके समझौता किया जाना चाहिये ।

अफ्रीकी देश के साथ भारत के सम्बन्ध ऐतिहासिक सम्बन्धों तथा उपनिवेशवाद सम्बन्धी हमारे समान, अनुभवों पर आधारित है । 28 स्वतन्त्र अफ्रीकी राज्यों में तटस्थता, अन्तर्राष्ट्रीय शांति संवर्धन औपनिवेश विरोधी तथा जाति-भेद विरोधी विचारों के समर्थक होने के कारण आपस में बहुत प्रेम है । एकता के लिये अफ्रीकी जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में बनाये गये अफ्रीकी एकता संघ का भारत स्वागत करता है । एक समस्या, जिसके बारे में

केवल अफ्रीकी जनता ही चिन्तित नहीं है अपितु विश्व में ठीक ढंग से सोचने वाले सभी लोग चिन्तित हैं, वह है दक्षिण अफ्रीका सरकार की जाति भेद सम्बन्धी नीति । जिस उदंड्डतापूर्ण तरीके से दक्षिण अफ्रीका ने संयुक्त राष्ट्र संघ के संकल्प का उल्लंघन किया है, वह रंग भेद की नीति के विरुद्ध विश्वमत की अवहेलना करना है। अफ्रीका में पुर्तगाली बस्तियां भी एक समस्या हैं। हम अफ्रीकी एकता संघ द्वारा किये जा रहे सभी कार्यों का स्वागत और समर्थन करते हैं ।

दक्षिणी रोडेशिया के प्रश्न पर अभी हाल में हुए राष्ट्रमण्डलीय प्रधान मंत्री सम्मेलन में विचार किया गया था और यह तय हुआ था कि एक ऐसा स्वतन्त्र सम्मेलन बुलाया जाये जिसमें दक्षिणी रोडेशिया के सभी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया जाये । हमने स्पष्टरूप से यह कह दिया है कि भारत दक्षिणी रोडेशिया की अल्पमत वाली वर्तमान सरकार द्वारा की गई स्वतन्त्रता की एक पक्षीय घोषणा को मान्यता नहीं देगा। स्वतंत्र अफ्रीकी देशों के साथ आर्थिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्ध बढ़ाने के लिये हमारी सरकार हर सम्भव प्रयत्न करती आ रही है। हमारी यह भी कोशिश है कि राष्ट्रीय विकास कार्य में हमारे अनुभणव से वे देश लाभान्वित हो सकें। इस उद्देश्य से विभिन्न स्तरों पर अनेकों शिष्टमण्डलों का आदान-प्रदान हुआ है ।

अरब देशों के साथ भी भारत के सम्बन्ध बहुत अच्छे हैं । साम्राज्यवाद और वर्णभेद को दूर करने के मामलों में हम उन से एकमत हैं। अरब देशों में एकता के लिये जो प्रयत्न किये जा रहे हैं हम उन का भी समर्थन करते हैं। पैलेस्टाइन के मामले में हम उन से सहमत हैं । जार्डन जल संबंधी विवाद में भी हम ने अरब जनता की उचित मांग का समर्थन किया है ।

पश्चिम एशियाई देशों के साथ मित्रता बढ़ाने की भी पूरी कोशिश की जा रही है । हमारे उपराष्ट्रपति ने हाल ही में जो पश्चिमी देशों का दौरा किया उस से मित्रता का वातावरण स्थापित हुआ है ।

थोड़े दिनों बाद काहिरा में तटस्थ राष्ट्रों का सम्मेलन होने जा रहा है जिसमें लगभग 50 देश भाग ले कर पुनः तटस्थ नीति में अपना विश्वास व्यक्त करेंगे और संसार में शान्ति स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे । इस में हमारे प्रधान मंत्री भी भाग लेने जा रहे हैं जिस से मिस्र देश के साथ हमारी मित्रता और भी बढ़ जायेगी ।

अमरीका और भारत दोनों ही लोकतंत्रवादी देश हैं । चीन के आक्रमण के समय अमरीका ने हमारी जो सहायता की उसे हम भूल नहीं सकते । अब भी भारत को जो सहायता मिल रही है उस में सब से अधिक अंश अमरीका का ही है ।

रूस भी भारत को हथियारों आदि द्वारा सहायता देने के लिये तैयार है जिस से कि हम अपने सीमान्त की रक्षा कर सकें । इस से यह जाहिर होता है कि रूस भी भारत से मित्रता रखने के लिये बड़ा उत्सुक है । काश्मीर के मामले में उसने हमारा समर्थन किया है । भारत-चीन विवाद में भी उसने हमारा ही पक्ष लिया है । चीन का आक्रमण हमारी विदेशी नीति की परीक्षा का समय था और उसमें हमें जो समर्थन मिला वह हमारी नीति की सफलता का द्योतक है । बल्गारिया, हंगरी और चेकोस्लोवाकिया जैसे समाजवादी देशों ने भी चीन की निन्दा करते हुए प्रस्ताव पास किये ।

इन देशों की भारत से मित्रता का मूल आधार यह है कि भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया है और अपने अथक प्रयत्नों से विश्व में महायुद्ध को रोकने की भावना पैदा

की है । भारत ने निशस्त्रीकरण वार्ता में भी महत्वपूर्ण कार्य किया है । अमरीका, रूस और ब्रिटेन के बाद भारत सब से पहला देश था जिस ने पार्शल टेस्ट बैन ट्रीटी 'प्रयोगात्मक आण्विक परीक्षण पर आंशिक प्रतिबन्ध करार' पर हस्ताक्षर कर किये ।

पाश्चात्य देशों में फ्रांस का महत्व बहुत बढ़ गया है । अतः यह बहुत अच्छी बात है कि उसके साथ हमारे सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण हैं ।

कनाडा के साथ भी हमारे तालुकात बहुत अच्छे हैं । विकास योजनाओं और अणुशक्ति के शान्तिपूर्ण उपयोग में कनाडा ने भारत की बड़ी सहायता की है । चीन के आक्रमण के समय भी उन्हों ने हमें मालवाहक विमान भेजे ।

इसी प्रकार लेटिन अमरीका में भी मैक्सीको, बोलीविया, चिल्ली, ब्राज़ील, अर्जेन्टाइना और क्यूबा के साथ हमारे सम्बन्ध बहुत अच्छे हैं और इन क्षेत्रों में व्यापार का विस्तार करने की बड़ी सम्भावनायें हैं । हमारी विदेशी नीति इस नजरिये से बड़ी सफल सिद्ध हुई है कि हम ने किसी क्षेत्र अथवा ब्लाक विशेष से ही अपने सम्बन्ध अच्छ नहीं बनाये बल्कि सभी से मित्रता स्थापित की है ।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्कों में काफी महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं और विश्व में दोनो ब्लाकों के मतभेद दूर हो रहे हैं । अमरीका और रूस भी एक दूसरे के निकट आ रहे हैं । स्वर्गीय पंडित नेहरू द्वारा निर्मित तटस्थ नीति को अब असंख्य देश अपना रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय नीति स्थिति तथा तत्सम्बन्धी भारत सरकार की नीति पर विचार किया जाये ।"

कुछ स्थानापन्न प्रस्ताव भी हैं ।

श्री व० बा० गांधी (बम्बई सैंट्रल साउथ) : कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये ; अर्थात्

"कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और तत्सम्बन्धी भारत सरकार की नीति पर विचार करने के पश्चात् यह सभा भारत सरकार की नीति का अनुमोदन करती है ।"

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं अपना स्थानपन्न प्रस्ताव संख्या 2 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री रंगा (चित्तूर) : नये विदेश मंत्री के भाषण को सुनकर ऐसा आभास होता है कि संसार में पूर्ण शान्ति है और किसी किस्म का कोई झगड़ा बखेड़ा नहीं है लेकिन वास्तव में स्थिति इस प्रकार नहीं है ।

(**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

इस अवसर पर हमें स्वर्गीय श्री नेहरू का अभाव खटकता है । मैं आशा करता हूं कि हमारी विदेश नीति को संसार के अन्य देश उसी प्रकार महत्व देते रहेंगे जिस प्रकार नेहरू जी के समय देते थे ।

अफ्रीका के देशों को साम्राज्यवाद से मुक्त हो कर स्वतंत्रता प्राप्त करने में सहायता देने की भारत सरकार की नीति की मैं सराहना करता हूं । इस बात का हमें ज़रूर रंज है कि योरूप के दस

देशों के लोगों की हम यह सहायता नहीं कर सके कि वहां स्वतंत्र रूप से निर्वाचन हों और उन के सही प्रतिनिधि चुने जायें ।

उन्होंने यह जो आश्वासन दिया है कि बर्मा और लंका में हमारे लोगों को कोई कठिनाई नहीं होगी और वहां की सरकारों का रवैय्या हमारे लोगों के प्रति बहुत अच्छा है । मेरी समझ में नहीं आता कि जो भारतीय पीढ़ियों से वहां रह रहे हैं उन्हें लंका के नागरिक क्यों नहीं बनाया जाता । यह ठीक है कि हम देशों से मित्रता स्थापित करें लेकिन उन से अगर कोई मतभेद होता है तो उसे दूर किया जाये ।

जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की स्थिति का सवाल है मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि वह बहुत अच्छी है । वैदेशिक कार्य मंत्री ने इस बात पर तनिक भी ज़ोर नहीं दिया कि चीन का रवैय्या आपत्तिजनक है । अमरीका और रूस में जो शीत युद्ध था वह तो धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है और वे एक दूसरे के निकट आ रहे हैं लेकिन चीन एक तीसरा देश विश्व शान्ति के लिये खतरा बन गया है । इस परिवर्तित स्थिति में तटस्थ नीति की ज़रूरत नहीं है । ऐसी स्थिति में जबकि चीन अपने क्षेत्र विस्तार में लगा हुआ है हमें उन क्षत्रों में जहां चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, कुछ देशों की मित्रता प्राप्त करनी चाहिये । हमारे प्रधान मंत्री ने मलायेशिया को सहायता देने का वचन दिया यह वास्तव में प्रशंसनीय है ।

हमें अफ्रीका और एशिया में अपना प्रचार करना चाहिये और उन देशों का समर्थन प्राप्त करना चाहिये । हमें पाकिस्तान के साथ शान्तिपूर्ण समझौता करने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिये क्योंकि पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध अच्छे हो जाने से हमारी बहुत सी समस्यायें हल हो सकती हैं। काश्मीर के सम्बन्ध में हमें विश्व को यह बतलाना चाहिये कि हम उस राज्य में प्रजातंत्र को चलाने के लिये भरसक प्रयत्न कर रहे हैं । यदि हम ऐसा करेंगे तो सम्भव है कि हमारे प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के प्रेजीडेंट में जो बातचीत होने वाली है वह अधिक सफल रहे ।

इन सब बातों के साथ मैं यह भी चाहता हूं कि हम अपने देश के आर्थिक विकास की दिशा में अधिक तेज़ी से बढ़ें । इस सम्बन्ध में कोई एक दल एकाधिकार का दावा नहीं कर सकता । हम सभी इस के लिये उत्सुक हैं । इसके लिये हमें सब से पहले किसानों के करभार को कम करना चाहिये । परन्तु इस समय आर्थिक विकास से भी अधिक हम को चीन के विरुद्ध मोर्चे की तैयारी की ओर ध्यान देना चाहिये । इस के लिये हमें पाकिस्तान के साथ मित्रता करनी चाहिये । हमारे वैदेशिक कार्य मंत्री ने उन बातों का संकेत किया है जिन पर वह ज़ोर देना चाहते हैं और उन में अपने पड़ौसियों के साथ अच्छे सम्बन्ध रखने को तीसरा स्थान दिया है । मैं इसको पहला स्थान देना चाहूंगा ।

भारत को चीन के साथ अकेले युद्ध करने की बात नहीं सोचनी चाहिये क्योंकि हमारी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है । इस के लिये हमें न केवल पाकिस्तान का वरन् दक्षिण पूर्व एशिया तथा अफ्रीका के देशों का समर्थन प्राप्त करना चाहिये । इस सम्बन्ध में यह बड़े दुख की बात है कि अफ्रीका के जो देश हाल ही में स्वतंत्र हुए हैं उन में से अधिकांश हमारे दृष्टिकोण को न्यायोचित नहीं मानते हैं । उनकी यह धारणा है कि साम्यवादी चीन शान्तिप्रिय है जो सर्वथा गलत है । इस धारणा को हमें ठीक करने का तुरन्त प्रयत्न करना चाहिये क्योंकि यह हमारे लिये बहुत खतरनाक है । इस के लिये हमें अपने विदेश नीति तथा विदेश प्रचार व्यवस्था को अधिकाधिक सुदृढ़ बनाने का प्रयत्न करना चाहिये ।

Shri K. D. Malviya : The speech of the hon. Minister was very reassuring. It had been decided long before the attainment of independence that an independent foreign policy would be pursued and we are bound to stick to this decision of our masses. Our policy is based on peace, planning, socialism and democratic principles. All of them are interlinked and no threat is potent enough to make us relinquish them. Some adjustments would however be made according to the situations that develop later on but we will not go out of this frame work. We have heard much about the dynamic concept of non-alignment. I say it, with all the emphasis at my command that the policy of non-alignment is the need of our times and the question of giving it up does not arise at all.

From our experience on several occassions, it is not advisable for us to continue to remain in the Commonwealth. We should try to stand on our own legs and should leave the policy of going about with a begging bowl. It would help us elevate our status in the intenational world.

We should not commit the folly of making any departure from our stand in regard to Kashmir. We have always been on the look out for an opportunity to improve our relations with Pakistan. But all our hopes have been belied by the unfriendly attitude of the government of Pakistan. Some powers do not want that these two countries should come closure to each other and have been putting pressure on India indirectly to change her stand on Kashmir. But we should not give way. Emotional integration cannot be brought about in the name of religion only. The essence of the matter is that the people should not be denied social justice and they should be assured of a bright future. The people of Kashmir are being misled in the name of religion. But geographically and historically Kashmir is an integral part of India. It would be a basic mistake for the government to raise the question of plebiscite or division in regard to Kashmir. Our case has not been appreciated by the world forum which is amply clear from the proceedings of the Security Council held so far on the question of Pakistani Aggression in Kashmir. Dr. Graham, the U. N. mediator on the Kashmir Dispute, also legalised the aggression committed by Pakistan in Kashmir in his report.

We have been kept in the dark by the Government in regard to the recent happenings in Kashmir. The release of Shaikh Abdullah was not a wise step. The Shaikh should not now try to make matters worse but instead try to co-operate with the government of India in promoting the secular character of the country with still greater vigour. The concept of social justice needs to be pursued at home with undivided attention. There should be complete conformity in our foreign and domestic policies, to avoid confusion in world quarters in regard to our policies. It is, therefore, imperative to pursue the programme of radical socialism with dynamic speed.

To bring about dynamism in our Embassies, they should be reorganised completely without delay and should not be made rest houses for pensioners. Instead dynamic personalities with political background should be asked to man the Embassies abroad, after giving them the necessary training in that behalf.

My dream has been belied that the people of Russia, Pakistan, India and China should continue to live in peace with each other and make concerted efforts to drive out poverty from the continent of Asia. But China has given us a big jolt. She cannot be termed a communist country anymore. Because communist philosophy has undergone redical changes after 1956. Khruschev

has made it amply clear that in this thermo-nuclear age communism can survive only on the basis of co-existence with other countries. He has also ruled out the policy of world war to promote international communism. Shri Khrushchev has also accepted it as a basic tenet of communist philosophy that socialism can also be brought about through peaceful means. The differences between China and Russia over these three basic issues have very considerably deepened. The greater the differences between China and Russia the greater should be the friendship between India and Russia. This friendship is essential for world peace and prosperity at home. In my opinion Soviet friendship towards India is not motivated by any ill designs but honesty and will help bring socialism in this country quickly. That does not at all mean that we are heading towards communism. But we have to make rapid advances towards establishing socialism in the country by remaining aloof from the power blocs. There should be no departure from that policy now.

श्री हेडा (निजामाबाद) : शुरू-शुरू में जबकि गुटों से अलग रहने की नीति अपनाई गई थी, विशेषकर पाश्चात्य देशों में इस बारे में काफी भ्रम फैल गया था परन्तु धीरे-धीरे उसके महत्व को महसूस किया जाता रहा है और गुटों से अलग रहने की नीति का आज बहुत ऊंचा स्थान है। जिस समय इस नीति की घोषणा की गई थी उस समय रूसी तथा अमरीकी गुटों में बड़ी शत्रुता थी और हर समय तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बना हुआ था। ऐसे समय में हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री तथा उनकी गुटों से अलग रहने की नीति ने विश्व शान्ति बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान दिया। परिणामतः रूस और अमरीका अब एक दूसरे के बहुत निकट आ गये हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने रूस तथा चीन के बीच उत्पन्न हुए मतभेद का उल्लेख किया है और कहा है कि अब हमें अपनी नीति में परिवर्तन करना चाहिये परन्तु अभी वह मतभेद चरम सीमा तक नहीं पहुंचा है। फिर भी हमें अपनी गुटों से अलग रहने की नीति में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। इसके विपरीत, बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप ही हमें इस नीति का अर्थ लगाना है। यह कहना सर्वथा गलत है कि यह नीति लाभप्रद सिद्ध नहीं हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य सोमवार को अपना भाषण जारी रखें। अब हम गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लेंगे।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

अड़तालीसवां प्रतिवेदन

श्री हेमराज (कांगड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के अड़तालीसवें प्रतिवेदन से, जो 23 सितम्बर, 1964 को सभा में पेश किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : श्री रघुनाथ सिंह के विधेयक को और अधिक समय दिया जाना चाहिये। क्योंकि राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधन बहुत महत्वपूर्ण हैं।

श्री रघुनाथ सिंह : श्री प्रकाशवीर शास्त्री का विधेयक पहले से ही है और उसके लिये एक घंटा और 35 मिनट नियत किये गये हैं । यही कारण है कि मेरे विधेयक के लिये 45 मिनट निर्धारित किये जा सके हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के अड़तालीसवें प्रतिवेदन में संसद्-सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक के लिये निर्धारित समय को पैंतालीस मिनट से बढ़ा कर डेढ़ घंटा कर दिया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य इस संशोधन पर लोक-सभा में मत-विभाजन करवाना चाहते हैं ?

श्री स० मो० बनर्जी : जी, हां ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के अड़तालीसवें प्रतिवेदन में संसद्-सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक के लिये निर्धारित समय को 45 मिनट से बढ़ा कर डेढ़ घंटा कर दिया जाये ।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 6; विपक्ष में 127

Ayes 6; Noes 127.

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

The amendment was negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के अड़तालीसवें प्रतिवेदन से, जो 23 सितम्बर, 1964 को सभा में पेश किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

फिल्म उद्योग कर्मचारी विधेयक

FILM INDUSTRY WORKERS BILL

श्रीमती मैमूना सुलतान (भोपाल) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि फिल्म उद्योग में काम करने वालों के पारिश्रमिक निर्धारित करने तथा उनके कार्य करने की स्थिति में सुधार करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि फिल्म उद्योग में काम करने वालों के पारिश्रमिक निर्धारित करने तथा उनके कार्य करने की स्थिति में सुधार करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्रीमती मैमूना सुल्तान : मैं विधेयक पुर:स्थापित करती हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(नए अनुच्छेद 368-क का रखा जाना)

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री हरि विष्णु कामत : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

(धारा 144 का संशोधन)

REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL

(Amendment of section 144)

श्री हरि विष्णु कामत : मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री हरि विष्णु कामत : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 370 का हटाया जाना)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Deletion of Article 370)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब 11 सितम्बर, 1964 को श्री प्रकाशवीर शास्त्री द्वारा प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेगी :—

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी, सरदार कपूर सिंह, श्री हेमराज तथा मेरे नाम में इस विधेयक के बारे में एक प्रस्ताव है ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संविधान (संशोधन) विधेयक, 1964 पर वाद-विवाद स्थगित किया जाये ।"

इसका कारण यह है कि कार्यावलि में इसके बाद जो विधेयक है वह राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाया गया है । उन संशोधनों पर बिना विलम्ब विचार किया जाना चाहिये । विशेषकर उस विधेयक को पिछली तिथि से लागू करने सम्बन्धी संशोधन को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये । उस स्थिति में दोनों सभाओं का संयुक्त सत्र बुलाना पड़ेगा । वह विधेयक काफी पुराना है, अतः उसको जल्दी से जल्दी निपटाया जाना चाहिये ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : हमें कार्यावलि के अनुसार चलना चाहिये और नीचे के किसी अन्य मद पर पहले चर्चा नहीं करनी चाहिये ।

श्री स० मो० बनर्जी : काश्मीर का प्रश्न इससे भी महत्वपूर्ण है । इसलिये मैं श्री कामत से यह निवेदन करूंगा कि वे अपने संशोधन को वापिस ले लें ताकि काश्मीर पर इस सभा में पूर्ण रूप से चर्चा की जा सके ।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : मैं श्री कामत के संशोधन का समर्थन करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संविधान (संशोधन) विधेयक, 1964 पर वाद-विवाद स्थगित किया जाये ।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ ।

The Lok Rabha divided.

पक्ष में 151; विपक्ष में 11

Ayes 151; Noes 11.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

संसद्-सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक

SALARIES AND ALLOWANCES OF MEMBERS OF PARLIAMENT (AMENDMENT) BILL

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राज्य सभा द्वारा संसद्-सदस्यों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, 1954 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक में किये गये निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाये :—

खण्ड 1

(1) पृष्ठ 1, पंक्ति 5 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये, अर्थात् :—

"(2) यह 1 जून, 1964 को लागू समझा जायेगा।"

खण्ड 3

(2) पृष्ठ 2, पंक्ति 4 से 7 "ऐसे सदस्य को जिसका सामान्य निवास-स्थान उस स्थान से जहां संसद् का सत्र हो रहा है अथवा समिति की बैठक हो रही है से रेल अथवा सड़क द्वारा सात सौ किलोमीटर से अधिक दूर नहीं है" शब्द निकाल दिये जायें।

खण्ड 4

(3) पृष्ठ 2, खण्ड 4 निकाल दिया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री दाजी (इन्दौर) : जब यह संशोधन विधेयक राज्य सभा को भेजा गया था, उसके बाद देश की आर्थिक स्थिति बहुत अधिक खराब हो गई है। इस समय खाद्यान्न का भारी अभाव है और कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अतः सरकार तथा संसद् की यह जिम्मेदारी है कि वे इस स्थिति में तुरन्त सुधार करें।

जब कि हमारा देश एक आर्थिक संकट से निकल रहा है, और लोग बढ़ रही कीमतों के विरुद्ध आन्दोलन कर रहे हैं, उस समय अपने वेतनों में जून, 1964 से 25 प्रतिशत की वृद्धि करना मुझे उचित प्रतीत नहीं हो रहा। हम श्रमिकों और अन्य काम करने वालों के वेतनों में तो 3 रुपये अथवा 3.50 रुपये की भी वृद्धि नहीं कर सकते परन्तु अपने वेतनों में 25 प्रतिशत की वृद्धि कर रहे हैं और दैनिक भत्ते को 50 प्रतिशत बढ़ा रहे हैं। यह ठीक है कि कीमतें बढ़ गयी हैं, परन्तु यह समस्या तो सब के साथ है, संसद् सदस्यों के लिये यह कोई अलग बात नहीं है। मेरे विचार में यह मामला 100 रुपये का नहीं है, इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत खराब पड़ने का भय है। सामान्य व्यक्ति को तो हम कुछ दें नहीं और आप सब कुछ लेते जायें, यह मुनासिब बात नहीं। मेरा विनम्र निवेदन है कि हमें इस प्रकार नहीं करना चाहिए। यह लोगों की कठिनाइयों की उपेक्षा करने वाली बात होगी।

1365 (ai) LSD—7.

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं राज्य सभा द्वारा प्रस्थापित तीनों संशोधनों का विरोध करता हूं । इन तीनों संशोधनों को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। वेतन को पंचगामी बनाने वाले संशोधन को स्वीकार न करना उचित है । पूरी सीमा समाप्त करने वाले संशोधनों को भी समाप्त नहीं करना चाहिए । सीमा बनाये रखना बड़ा ही ज़रूरी है । मेरा मत यह है कि हमें मूल उपबन्ध पर दृढ़ रहना चाहिए । वेतन तथा भत्ते सम्बन्धी विशेष उपबन्ध की व्यवस्था करने वाले स्वैच्छिक खंड को भी कायम रखना ही चाहिए ।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : I stand to oppose the first amendment but I am opposed to all of them. We all know the situation in this Country but still we are insisting to raise the dearness allowance from Rs. 21 to 31, and raising our salary by one hundred Rupees. We must know that the demand of the 22 lakhs of government employee has been rejected. I am of the opinion that the Bill should not come into force with retrospective effect. At a time when lakhs of persons were agitating against rise in prices, it will be totally wrong that the salaries of Members of Parliament be raised. It is disgraceful that, on due hand, the salaries of the Members of the parliament are being raised, and on the other hand, even a discussion on the grant of additional dearness allowance to the government employees is being postponed.

I will not only oppose this Bill here on the floor of the House but outside I will ask the government servants to go on strike for the dearness allowance.

श्री हनुमन्तैया (बंगलौर नगर) : मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि बहुमत होने के कारण किसी भी दल को मनमानी नहीं करनी चाहिए । साथ ही किसी दल को केवल अपने दल को हित में रख कर किसी को सरकार के विरुद्ध उकसाना भी नहीं चाहिए । संसद् सदस्यों के वेतन और भत्ते के बारे में मेरा निवेदन यह है कि बेहतर होगा यदि भारत के संसद सदस्यों को मिलने वेतन आदि की तुलना अन्य देशों के संसद सदस्यों को मिलने वाले वेतन आदि से की जाय । इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते की तुलना सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य वर्गों के लोगों के साथ करना न तो संगत ही है और न उचित ही जान पड़ता है ।

इसके विपरीत यदि हमारे विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों को सब लोगों के प्रति सहानुभूति है तो बेहतर होगा कि देश के सारे व्यवसायी व्यक्तियों के लिए एक आयोग बनाया जाये और संसद् सदस्यों समेत सबका वेतन प्रति व्यक्ति आय और काम की तुलना करके मात्रा और कोटि के आधार पर निर्धारित किया जाय । केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और देश के श्रमिकों को सरकार और संसद् के विरुद्ध उकसाना ठीक नहीं ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : I am of the opinion that after passing this Bill it will not be possible for us to face the poor masses of the country. I feel that it was not the occasion to bring forward such a Bill. It is very shameful to raise our own pay and refuse to accede to the demand of government employees. I oppose the Bill.

Shri S. N. Chaturvedi (Firozabad) : I stand to oppose the Rajya Sabha amendments, and I consider it my duty to do so. We are passing from very bad days. The present occasion was not opportune to bring forward such a Bill, which will create worst effect in the country. Most of the people

in this country are getting less than 400 Rupees a month. Shri Raghunath Singh says no body can live honestly in 400 Rs. It means most of the poeple in this country are dishonest. It will be disgraceful to raise our pay and ignore the demand of the other people. I am of the opinion that if at all the Bill was to be passed, it should come into force on the 1st June 1965 and not on the 1st June 1964.

Shrimati Subhadra Joshi (Balrampur) : I stand to support the amendments received form the Rajya Sabha. I am of the opinion that the case of the members of the Parliamenr is like the case of unorganized labour, who neither can go on strike nor can put up their demand in any other form. I feel that in the interest of those members of the Parliament who had got no other means of income, this Bill is very essential. Therefore I urge that this Bill should be passed.

Shri Raghunath Singh : In this connection let explain me the positio.n The position is that 70 per cent of members were such who have to devote their entire life to Social work and had no other means of income. We must also realized that after all the members of the Parliament also needed money to fight elections and if they depended for that money an others, that would be a bad day for our democracy. I plead that the amendments made by the Rajya Sabha should be accepted by this House.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राज्य सभा द्वारा संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, 1954 में अग्रेत्तर संशोधन करने वाले विधेयक में किये गये निम्न लिखित संशोधनों पर विचार किया जाये :—

खण्ड 1

(1) पृष्ठ 1, पंक्ति 5 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय, अर्थात :—

"(2) यह 1 जून, 1964 को लागू समझा जायेगा।"

खण्ड 3

(2) पृष्ठ 2, पंक्ति 4 से 7 "ऐसे सदस्य को जिसका सामान्य निवास स्थान उस स्थान से जहां, संसद के सदन का सत्र हो रहा है अथवा समिति की बैठक हो रही है से रेल अथवा सड़क द्वारा सात सौ किलोमीटर से अधिक दूर नहीं है।" शब्द निकाल दिये जाय।

खण्ड 4

(3) पृष्ठ 2, खंड 4 निकाल दिया जाय।"

लोकसभा में मत विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided :

पक्ष में 134 विपश में 9 :

Apes: 134; Noes 9.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें कुछ संशोधन है, क्या श्री चतुर्वेदी उन्हें प्रस्तुत करेंगे ?

श्री श० न० चतुर्वेदी : जी हां, मैं अपना संशोधन सख्या 1 प्रस्तुत करता हूं।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 मतदान के लिए रखा गया।

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ ।

Lok Sabha Divided

पक्ष में 14, विपक्ष में 10

Apes 14 Noes 10

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The Motiin was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि राज्य सभा द्वारा संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, 1954 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक में किये गये निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाये :—

खंड 3

(2) पृष्ठ 2, पंक्ति 4 से 7 "ऐसे सदस्य को जिसका सामान्य निवास स्थान उस स्थान से जहां संसद के सदन का सत्र हो रहा है अथवा समिति की बैठक हो रही है से रेल अथवा सड़क द्वारा सात सौ किलोमीटर से अधिक दूर नहीं है।" शब्द निकाल दिये जायें।

खण्ड 4

(3) 'पृष्ठ 2, खंड 4 निकाल दिया जाय।'

लोकसभा में मत विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha Divided

पक्ष में 129 विपक्ष में 10

Ayes 129 Noes 10

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ s

The motion was adopted.

श्री रघुनाथ सिंह : श्रीमान जी, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किये गये संशोधनों को स्वीकार कर लिया जाय।"

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता मध्य) : मुझे खेद है कि श्री रघुनाथ सिंह जी ने यह विधेयक पेश करके देश के लोगों से मजाक किया है। हमने तो गत बार भी स्पष्ट कर दिया था कि संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते इस प्रकार नहीं बढ़ाये जाने चाहिए। मुझे खेद है कि कांग्रेस दल ने अपने बहुमत का अनुचित प्रयोग किया है। कुछ संसद सदस्यों को चाहे इस सम्बन्ध में कुछ भी कठिनाई थी, परन्तु यह लज्जा का विषय है कि सदस्य इस प्रकार अपना वेतन बढ़ा रहे हैं। आज सारे देश में लोग कीमतों के बढ़ जाने के कारण त्रस्त है। सरकारी कर्मचारी केन्द्र और राज्यों में वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। उनकी मांगों की ओर उपेक्षित व्यवहार अपनाना भारी अन्याय है। यदि हम लोग अपने हित के लिए देश का हित बलिदान कर देंगे तो हम देश के प्रतिनिधि नहीं कहला सकते।

इस वेतन के बारे में जो तर्क प्रस्तुत किये गये हैं वह निराधार हैं। केवल बहुमत के आधार पर इसे पारित किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किये गये संशोधनों को स्वीकार किया जाय।"

लोकसभा में मत विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 136 विपक्ष में 10

Ayes 136, Noes 10

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री ही० ना० मुकर्जी : इस विधान को पारित किये जाने के विरुद्ध अपना विरोध प्रकट करने के परिणाम स्वरूप सभा से वहिर्गमन करते हैं।

(श्री ही० ना० मुकर्जी तथा कुछ अन्य सदस्य माननीय सदस्य सदन से बाहर चले गये।)

आय-कर (संशोधन) विधेयक (धारा २ का संशोधन)

INCOME TAX (AMENDMENT) BILL (AMENDMENT OF SECTION 2)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में अगला कार्य होगा। श्री च० का० भट्टाचार्य।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor): Mr. Deputy Speaker I submit Sir that the time for my constitution (Amendment) Bill may kindly be extended to-day after 5 P.M.

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं।

श्री च० का० भट्टाचार्य : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि आयकर अधिनियम 1961 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस विधेयक में यह निर्धारित किया गया है कि आय-कर अधिनियम की धारा 2 में निम्नलिखित खंड जोड़ दिया जाये; अर्थात् :

"हिन्दू अविभाजित परिवार" का अर्थ है कि हिन्दू अविभाजित परिवार जो मिताक्षर विधि के अनुसार हो।"

(डा० सरोजिनी महिषी पीठासीन हुईं।)

(**Dr. Sarojini Mahishi in the Chair.**)

Shri Prakash Vir Shastri : Madame, I want a ruling from you that the Bill under category 'A' should be taken first and Bills which come under category 'B' and 'C' should be taken after wards.

सभापति महोदय : प्रक्रिया के अनुसार आपके विधेयक को अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिया गया था।

Shri Prakash Vir Shastri : But the House is supereme. You should take the sence of the House now.

सभापति महोदय : आपकी जानकारी के लिये मैं उस प्रस्ताव को सभा में पढ़ देती हूं जो गत अवसर पर पारित किया गया था; अर्थात

"कि संविधान (संशोधन) विधेयक 1964 पर चर्चा स्थगित की जाये।"

नियम 338 के अधीन स्पष्ट दिया हुआ है कि एक ही सत्र में एक जैसे प्रस्तावों पर दो बार निर्णय नहीं लिया जा सकता है। इसलिये आपके विधेयक पर चर्चा स्थगित की जाती है।

इसलिये मैं श्री प्रकाशवीर शास्त्री से अनुरोध करती हूं कि कृपा करके सभा के काम में बाधा न डालें।

डा० मा० श्री० अणे : (नागपुर) : मेरा निवेदन यह है कि जब स्थगन प्रस्ताव पेश किया गया था तब ऐसा समझा गया था कि वेतन के बारे में विधेयक पर चर्चा के बाद इस विधेयक को लिया जायेगा। इसलिये यदि आपको इस बारे में कोई संदेह हो तो आप सभा में मतदान करा सकती हैं।

श्री गौरीशंकर कक्कड़ : (फतेहपुर) : उस समय मैं भी उपस्थित था और यही निर्णय लिया गया था कि उस विधेयक के बाद संविधान संशोधन वाला विधेयक लिया जायेगा।

श्री च० का० भट्टाचार्य : मेरा भी अपना यही विचार है कि श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने उचित प्रश्न उठाया है क्योंकि उस दिन भावना कुछ इसी प्रकार की थी।

सभापति महोदय जिन माननीय सदस्यों ने इस मामले पर अपने विचार व्यक्त किए हैं तथा परामर्श दिए हैं उनका मैं बड़ा आभार मानती हूं। परन्तु मैं बताना चाहती हूं कि नियम 338 के अधीन एक जैसा प्रस्ताव एक दिन में दो बार नहीं लिया जा सकता है इसलिये श्री प्रकाशवीर शास्त्री का विधेयक आज नहीं लिया जा सकता है।

Shri Prakash Vir Shastri : In protest I walkout.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I also walk out.

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री तथा श्री हुक्म चन्द कछवाय सभा से उठ कर बाहर चले गये।]

श्री च० का० भट्टाचार्य: मैंने 1961 तथा 1962 में भी इस प्रश्न को उठाया था परन्तु वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री डा० गोपाल रेड्डी ने मेरी बात की सराहना करते हुए कहा था कि इस संबंध में विधेयक पेश किया जाना चाहिए।

उसके बाद वित्त विधेयक को पेश किए जाते समय मैंने इस बारे में एक संशोधन पेश किया था और समझता था कि संभवतया मेरा संशोधन श्री मोरारजी देसाई स्वीकार कर लेंगे। परन्तु ऐसा नहीं हुआ और मैंने बोलते हुए अपने विचार सभा में बताये तो भी उन्होंने मेरे संशोधन को स्वीकार नहीं किया। आज मैंने पुनः अपने विचार इस विधेयक के रूप में सभा में पेश किए हैं क्योंकि आय कर अधिनियम में कहीं भी "हिन्दू अविभाजित परिवार की परिभाषा नहीं की गई है। इसी कारण से इस अधिनियम के अधीन दाय भाग परिवारों तथा मिताक्षर परिवारों में कोई अन्तर नहीं माना जाता है जबकि दोनों में बड़ा अन्तर होता है।

मिताक्षर परिवारों में संभाशिता बच्चे के जन्म से ही आरंभ हो जाती है और उसका अंश एक हिन्दू अविभाजित परिवार में उसी समय से मान लिया जाता है। परन्तु दाय भाग परिवार के पिता की मृत्यु के बाद ही बच्चे का सम्पत्ति में अधिकार माना जाता है। इसलिये आयकर अधिनियम में एक बड़ी कमी है और मैं उसी को 'हिन्दू अविभाजित परिवार' शब्दों की परिभाषा के द्वारा दूर करना चाहता हूं।

प्रश्न यही उठता है कि किस परिवार को अविभाजित परिवार कहा जाये और उसकी किस आय का आयकर लगाने के लिये निर्धारण किया जाये।

हिन्दू अविभाजित परिवार को लीजिये। इसका अर्थ वह परिवार हुए जिनकी सम्पत्ति का विभाजन हो सकता है परन्तु अभी नहीं हुआ है। ऐसे परिवार दो किस्म के होते हैं। एक दाय भाग परिवार तथा दूसरे मिताक्षर परिवार। दाय भाग परिवार में पिता डिक्टेटर होता है और जब तक वह जीवित है तब तक उसकी सम्पत्ति में उसके बेटों का कोई हिस्सा नहीं होता है। परन्तु पिता के मरने से पहले यदि कोई बटा मर जाता है तो उसका भाग उसके बेटों में बंट जाता है। अब मिताक्षर परिवार को लीजिये मिताक्षर परिवार में बच्चा होते ही उसका अंश परिवार की सम्पत्ति में हो जाता है और

[श्री च०का० भट्टाचार्य]

यदि बच्चा मर जाये तो उसकी सम्पत्ति परिवार के अन्य सदस्यों में बंट जाती है । इसी लिये मेरा यही कहना है कि आयकर अधिनियम में 'हिन्दू अविभाजित परिवार' की परिभाषा उसी रूप में होनी चाहिए जिस रूप में बंगाल कृषि आयकर अधिनियम में दी गई है । उसमें हिन्दू अविभाजित परिवार केवल उसी परिवार को माना गया है जो मिताक्षर परिवार के अन्तर्गत आते हैं जब कि दायभाग परिवार उसके अन्तर्गत नहीं आते क्योंकि इस परिवार का प्रत्येक सदस्य अपनी-अपनी सम्पत्ति का अलग-अलग मालिक होता है । अगर हम हिन्दू विधि को भी देखें तो स्पष्ट मालूम हो जाता है कि केवल मिताक्षर परिवार ही हिन्दू अविभाजित परिवार में आते हैं ।

दायभाग परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के आयकर का अलग-अलग निर्धारण किया जाना चाहिए क्योंकि उनका अपना अलग अस्तित्व होता है ।

'विभाजन' शब्द का अर्थ दायभाग तथा मिताक्षर पद्धति को मानने वाले लोग अलग-अलग लगाते हैं। दायभाग पद्धति को मानने वाले समझते हैं कि सम्पत्ति पर संयुक्त कब्जा था जिसका निश्चित भाग जिसका जिसका था उसको उसको मिल गया । परन्तु मिताक्षर पद्धति के अन्तर्गत प्रत्येक समांशी का भाग नियत करना होता है । स्वामित्व की व्याख्या करनी होती है । यही दोनों में अन्तर है ।

मैं सरकार को यह भी बताना चाहता हूं कि प्रस्तावित संशोधन स्वीकार कर लेने पर राजस्व में अधिक हानि नहीं होगी, इसलिये मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह मेरा संशोधन स्वीकार कर लें और आयकर विधि में मेरे बताये अनुसार संशोधन कर दें । यदि वह चाहें तो हिन्दू विधि के ज्ञाताओं से मेरे इस सुझाव के बारे में परामर्श ले सकते हैं कि उसमें किस प्रकार की व्यवस्था है ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

योजना मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : मुझे खेद है कि मैं माननीय सदस्य से सहमत नहीं हूं । माननीय सदस्य के कथनानुसार 1961 में भी उन्होंने ऐसा ही एक विधेयक पेश किया था जिसको लोक सभा ने अस्वीकार कर दिया था ।

आयकर अधिनियम एक वित्तीय विधान है जो हिन्दू विधि की सभी पद्धतियों पर लागू होता है तथा इसको केवल मिताक्षर पद्धति पर लागू करना उचित नहीं होगा । मैं इसके साथ-साथ यह भी बताना चाहता हूं कि यदि दायभाग परिवार की सम्पत्ति पर आयकर का निर्धारण हिन्दू अविभाजित परिवार के रूप में नहीं किया गया तो सम्पत्ति के स्वामी पर व्यक्तिगत रूप से कर लगेगा तथा उसकी मृत्यु के बाद उसके वारिसों पर सामूहिक रूप से कर लग जायेगा । इस प्रकार उनको बीमा प्रीमियम आदि की जो छूट मिलनी चाहिए वह नहीं मिलेगी ।

मैं इसके साथ-साथ यह भी बताना चाहता हूं कि आयकर जांच आयोग तथा कराधान जांच आयोग दोनों ने इस पर विचार किया था और यह विचार व्यक्त किया था कि हिन्दू अविभाजित परिवार को एक यूनिट माना जाना चाहिए क्योंकि यही हिन्दु विधि के अनुसार ठीक है ।

इसके अतिरिक्त स्वर्गीय पंडित ठाकुर भार्गव ने सुझाव दिया था कि हिन्दू अविभाजित परिवार पर कराधान के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त की जानी चाहिए । विधि मंत्रालय के परामर्श से मामले की जांच की गई थी और यह निश्चित किया गया कि इस प्रश्न की जांच के लिये समिति नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है ।

जब तक हिन्दू अविभाजित परिवार की वर्तमान स्थिति रहेगी तब तक माननीय सदस्य के सुझाव के अनुसार आयकर में संशोधन करना उचित नहीं होगा । इसके अतिरिक्त इस संशोधन में मरुकट्टयम तथा अलियासनातन हिन्दू पद्धतियों का उल्लेख नहीं किया गया है जब कि हिन्दू परिवार की यह भी दो शाखायें हैं । इसलिये मैं विधेयक का विरोध करता हूं ।

श्री च० का० भट्टाचार्य : मैंने मंत्री महोदय के भाषण को सुना । मैं यह नहीं चाहता था कि इस संशोधन में हिन्दू परिवारों के किस्मों को बताऊं । मेरा तो तात्पर्य यह था कि आयकर अधिनियम में प्रयुक्त 'हिन्दू अविभाजित परिवार' शब्दों के अन्तर्गत दाय भाग परिवार नहीं आने चाहिएं ।

माननीय मंत्री ने आयकर संबंधी आयोगों तथा समितियों का उल्लेख किया । मैं मानता हूं कि इनमें विद्वान व्यक्ति होंगे परन्तु मैंने अपना संशोधन पश्चिम बंगाल विधान परिषद द्वारा पारित 'कृषि आयकर अधिनियम' के आधार पर पेश किया था । उसमें स्पष्टतया दिया है कि 'मिताक्षर विधि में परिभाषित हिन्दू अविभाजित परिवार' । मैं चाहता था कि आयकर अधिनियम में भी यही शब्द रख दिए जाते । अब या तो पश्चिम बंगाल विधान परिषद ने इन शब्दों को रख कर गलती की है अथवा आयकर अधिनियम में इन शब्दों को न रख कर हमारी सरकार ने गलती की है ।

माननीय मंत्री ने कराधान जांच समिति का जिक्र किया । मैं उस समिति को हिन्दू विधि में पारंगत नहीं मानता हूं । इस प्रश्न पर तो हिन्दू विधि के ज्ञाता ही अपनी राय दे सकते हैं ।

श्री ब० रा० भगत : मैंने यह कहा था कि आयकर विधान एक वित्तीय विधान है तथा उसमें हिन्दू विधि को शामिल नहीं किया जा सकता है ।

श्री च० का० भट्टाचार्य : परन्तु जब एक विधेयक में कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाये तो उन शब्दों की पूर्ण व्याख्या होनी चाहिए ।

दूसरे हिन्दू विधि के ज्ञाताओं की राय लेनी चाहिए कि हिन्दू अविभाजित परिवारों में कितने किस्म के हिन्दू परिवार आते हैं ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
Mr. Speaker in the Chair.]

मैं उपयुक्त समय आने पर इसको पुनः पेश करूंगा और इस समय अपना विधेयक वापस लेना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय: क्या सभा माननीय सदस्य को विधेयक वापस लेने की अनुमति देती है ।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां ।

विधेयक सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

THE BILL WAS, BY LEAVE, WITHDRAWN

बैंक दर बढ़ाये जाने, ऋण नियन्त्रण आदि में रूपभेद के बारे में वक्तव्य

STATEMENT *RE*: ENHANCEMENT OF BANK RATE MODIFICATION OF CREDIT CONTROL ETC.

वित्त मन्त्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : अध्यक्ष महोदय, लगभग एक सप्ताह पहले मैंने लोक सभा में बताया था कि सरकार मूल्य स्थिति के बिगड़ने से बड़ी चिन्तित है । 5 सितम्बर को सामान्य सूचकांक 156.7 थे । जिसका अर्थ हुआ कि एक वर्ष में ये लगभग 14 प्रतिशत बढ़ गये हैं । मूल्य बढ़ जाने से तथा खाद्य सामग्री के मूल्यों के अत्यधिक बढ़ जाने से स्पष्ट हो जाता है कि हमारी अर्थ व्यवस्था पर इस समय कितना भार पड़ रहा है ।

अर्थ व्यवस्था पर पड़ रहे इस भार को कम करने के लिये इस समय यह आवश्यक हो जाता है कि सरकारी खर्च में कमी की जाये तथा अनावश्यक खर्च में कटौती की जाये। कुछ सप्ताह पहले मैंने घोषणा की थी कि केन्द्रीय सरकार ने अपने व्यय में 70 करोड़ रुपयें की बचत करने का निर्णय किया है । मैं चाहता हूं कि इस रक़म को न्यूनतम माना जाये ।

मुझे आशा है कि राज्यों में भी खर्च काफी कम कर दिया जायेगा । मेरी राज्यों से अपील है कि वह वर्तमान मूल्य स्थिति को देखते हुए अपने व्यय पर पुनः विचार करें । मूल्य स्थिर रखने तथा योजना की सफलता के लिये अब यह आवश्यक हो जाता है कि सभी प्रकार के व्यय पर निगरानी रखी जाये ।

हमें घाटे की अर्थ व्यवस्था को कम से कम अपनाना है । इसके बार बार अपनाने से हमारी वित्तीय स्थिति इतनी खराब हो गई है कि यदि हमने इसी के सहारे और आगे बढ़ने का प्रयत्न किया तो स्थिति बहुत गंभीर हो जायेगी ।

मैं पहले ही बता चुका हूं कि गैर सरकारी क्षेत्र के कार्यों से मुद्रा के प्रसार तथा वास्तविक उत्पादन वृद्धि में असमानता आ गई है । इसको भी ठीक करना है । रिजर्व बैंक इस पर विचार कर रहा है और इसी लिये इसने बैंक दरों को 5 प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय ले लिया है ।

इसके साथ साथ ऋण नियंत्रण की वर्तमान प्रक्रिया में भी परिवर्तन किया जा रहा है । रिजर्व बैंक से अनुसूचित बैंकों द्वारा ऋण लेने के काम का विनियमन एक कोटा पद्धति के अधीन किया जाता था । अब रिजर्व बैंक ने एक नई प्रणाली शुरू करने का निर्णय किया है जिसके अन्तर्गत रिजर्व बैंक से वाणिज्यिक बैंक जो ऋण लेंगे उसको वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों से मिला दिया जायेगा । अत: आवश्यक प्रतिबन्ध लगाने के लिये रिजर्व से ऋण मिलने पर प्रत्यक्ष प्रतिबन्ध लगाने की बजाय लागत वृद्धि पर अधिक बल दिया जायेगा । इस प्रकार अर्थ व्यवस्था का उत्पादन क्षमता पर कोई बुरा प्रभ व नहीं पड़ेगा ।

अल्पकालीन और दीर्घकालीन जमा राशि के ऊपर ब्याज़ की दर में इस समय जो थोड़ा अन्तर है वह जमाराशि को बढ़ाने को प्रोत्साहित नहीं करता है । अत: रिज़र्व बैंक बैंक दर को बढ़ाने के साथ साथ जमा राशि पर ब्याज की एक अधिक व्यवस्थित दर लगाने के बारे में क़दम उठा रहा है जिसके अन्तर्गत लम्बी अवधि के लिए जमा की गई रक़म पर ब्याज़ की दर तुलनात्मक दृष्टि से अधिक आकर्षक बन जायेगी और जमा करने वाला अधिक राशि जमा करेगा ।

दिल्ली आंख की पुतली लगाना विधेयक

DELHI CORNEAL GRAFTING BILL

Shri Naval Prabhakar (Karol Bagh) : I beg to move :

'That the Bill to make provision with respect to the use of eyes of deceased persons for therapeutic purposes, be taken into consideration.'

I am moving this Bill with a sense that this will give light to those persons who have lost it. Just imagine the misery of those who have lost their eyes and now feel dark allround. Therefore I have suggested in this Bill that if any person wants to donate his eye then he must be allowed to do this.

I have consulted all the bills introduced in Madras, Bombay and Punjab in this regard and tried to make it as practicable for introduction in Delhi as possible. I have consulted doctors also and taken their view in it. Therefore I submit Sir, that it may be accepted and passed by this Parliament so that a authenticity may be given to this as all other bills introduced in the States in this regard have been introduced by notifications.

Some doctors have told me in the Hospital Advisory Committee that they have approached the Government so many times in this regard but government is not very enthusiastic about this. I appeal that government should give due consideration. I have provided in this bill that the person who wants to donate his eyes should give his statement before a doctor and the doctor after that take out his eye and keep it in the Hospital for grafting it to other person.

I request the Minister to accept my bill.

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : Mr. Speaker, Sir, I welcome the spirit behind this bill but want to know that a man who uses the eyes of a dead man will not feel that the eyes he is using are of a dead man. It is very disgraceful.

These days we hear so much of 'Dan' *i.e.*, donations that that the meaning of 'Dan' in true sense has lost. We were brave and always praised for that. But now we are going so low as to think of donation of eyes from a dead man.

Gandhiji always preached that to be slave is worst than death. Therefore a man who is using the eyes of other man is his slave and do not confirm with the ideals preached by Bapu. Moreover when the eyes of a man have taken back by the God and you want to give his another persons' eyes, you are obstructing in the work of God.

Therefore I request Shri Naval Prabhakar to withdraw his bill.

Shri Shiv Narain (Bansi) : Mr. Speaker Sir, Shri Naval Prabhakar has moved a very laudable bill.

Mr. Speaker : Hon. Member may continue next time.

सके पश्चात् लोक-सभा सोमवार 28 सितम्बर, 1964/6 आश्विन, 1886 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Monday the 28th September, 1964/Asvina 6, 1886 (Saka).

GMGIPND—LS III—1365 (ai) LSD—26-11-64—600.